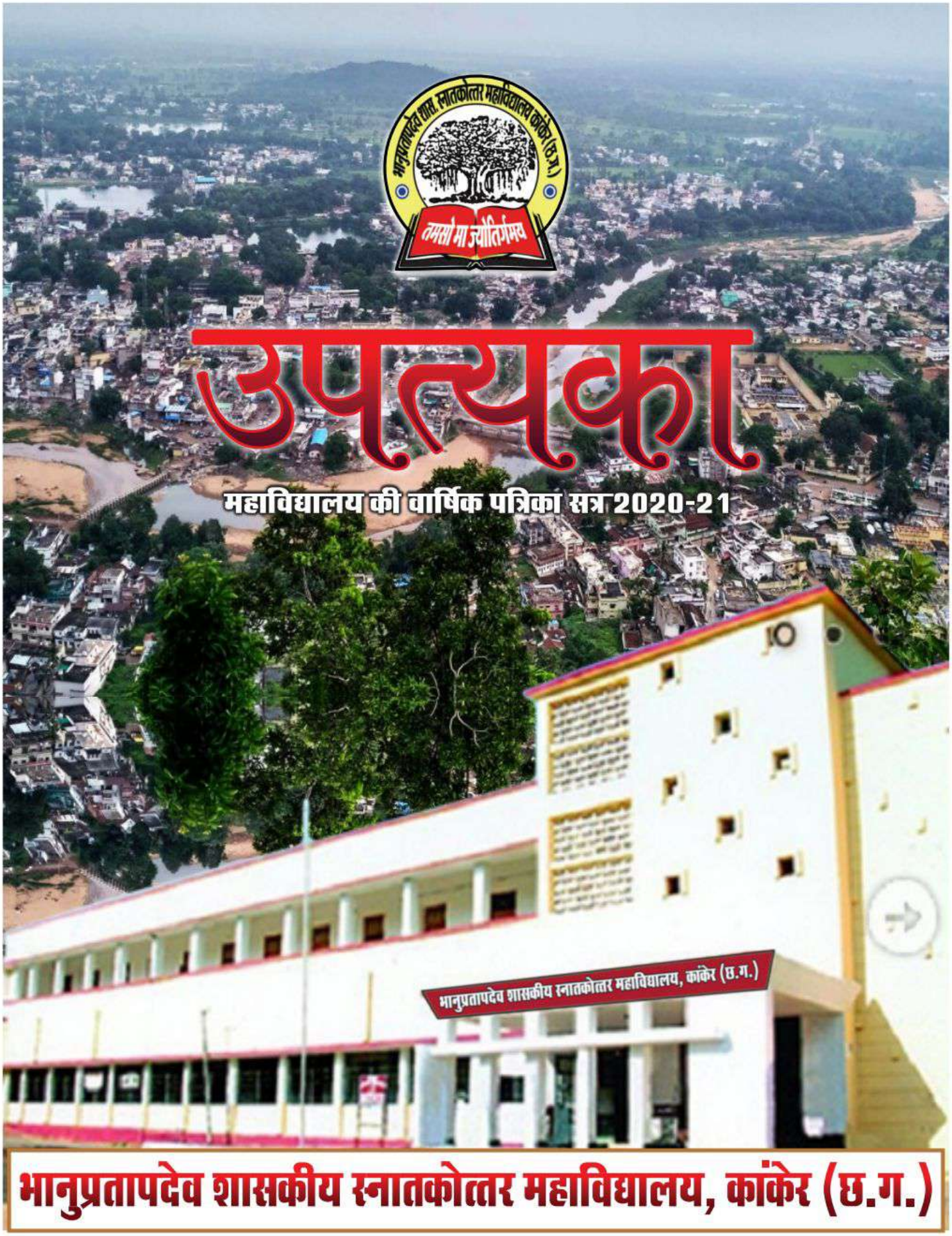

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.)

जिनके हम ऋणी हैं...

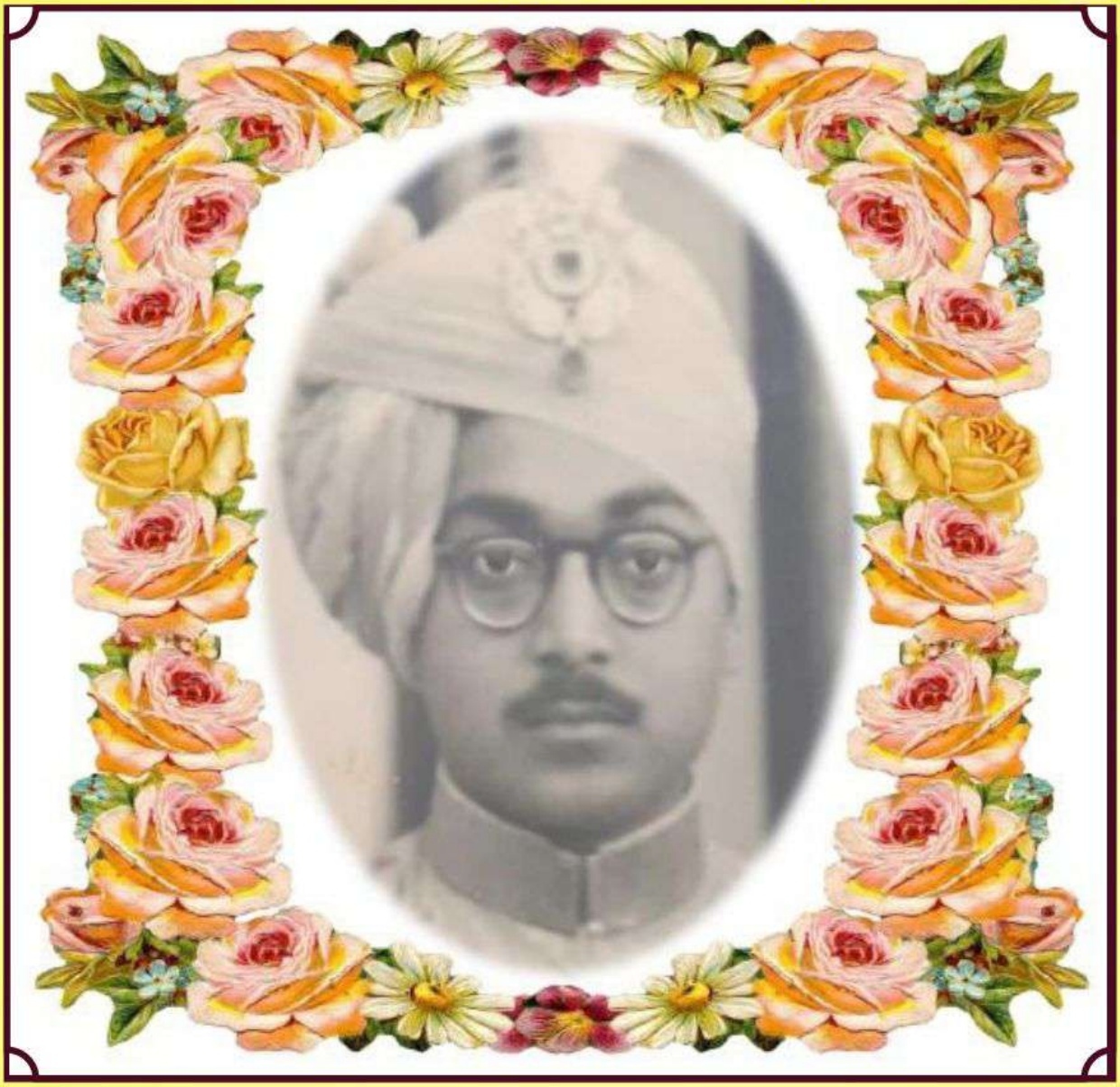

जन्म: १७ सितम्बर १९२२ मृत्यु: १४ अगस्त १९६९

स्व. महाराजाधिराज भानुप्रतापदेव

महाविद्यालय के संस्थापक

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर

जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

(नैक द्वारा मूल्यांकित, बी–ग्रेड)

उपत्यका

सत्र- 2020-21

संरक्षक/प्रभारी प्राचार्य

डॉ. कृपा राम ध्रुव

सह-संपादक

डॉ. जय सिंह

संपादक

प्रो. नवरतन साव

डॉ. अर्चना सिंह

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर

जिला– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

(नैक द्वारा मूल्यांकित, बी–ग्रेड)

उपत्यका

सत्र- 2020-21

मार्गदर्शक मंडल

प्रो. पी. एस. गौर, डॉ. व्ही. के. रामटेके, डॉ. लक्ष्मी लेकाम

डॉ. स्वामी राम बंजारे, डॉ. एल. आर. सिन्हा, डॉ. डी. एल. पटेल

डॉ. आर. के. एस. ठाकुर, प्रो. शरद ठाकुर, सुश्री आर. कुलदीप

प्रो. एस. के. सिन्हा, प्रो. नरेन्द्र कुमार साहू

विनम्र

श्रद्धांजलि

उन समस्त

कोरोना वारियर्स को

जो मानवता के रक्षार्थ

अकाल काल के गाल में समा गए...

सुश्री अनुसुईया उइके
राज्यपाल छत्तीसगढ़

राजभवन
रायपुर - 492001
छत्तीसगढ़, भारत
फोन : +91-771-2331100
फोन : +91-771-2331105
फैक्स : +91-771-2331108

क्र. / १८९ / पीआरओ / रास / 20
रायपुर, दिनांक २५दिसंबर 2020

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर द्वारा महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका **"उपत्यका"** का प्रकाशन किया जा रहा है।

शिक्षण प्रणाली को रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाने और विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास में महाविद्यालयीन पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका, विद्यार्थियों की रचनात्मक गतिविधियों को उपयुक्त मंच प्रदान करेगी।

पत्रिका के प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(सुश्री अनुसुईया उइके)

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री

Bhupesh Baghel
CHIEF MINISTER

मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर, 492002, छत्तीसगढ़
फोन: +91 (771) 2221000, 2221001
ई–मेल : cmcg@nic.in

Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Atal Nagar, Raipur, 492002, Chhattisgarh
Ph.: +91 (771) 2221000, 2221001
E-mail : cmcg@nic.in

Do.No. .....252.....Date :11\06\2021

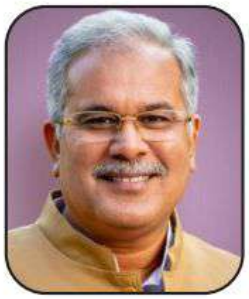

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, कांकेर द्वारा महाविद्यालयीन पत्रिका 'उपत्यका' का प्रकाशन किया जा रहा है।

महाविद्यालयीन पत्रिका का प्रकाशन सचमुच सराहनीय पहल है। ऐसी पत्र–पत्रिकाएं छात्र–छात्राओं में अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पत्रिका में रचनाशील शिक्षक–शिक्षिकाओं तथा छात्र–छात्राओं की मौलिक रचनाएं प्राथमिकता से प्रकाशित की जानी चाहिए। पत्रिका से महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों और विशेषताओं की जानकारियों भी लोगों तक पहुंचती है।

प्रकाशन अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(भूपेश बघेल)

उमेश पटेल
मंत्री
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, कौशल विकास,
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग

मंत्रालय कक्ष क्रमांक- M1-12
महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर 492002 (छ.ग.)
फोन : 0771-2510316, 2221316
नि. : D-1/2, शास. आवासीय परिसर, रेवेन्द्र नगर, रायपुर
फोन : 0771-2881030
ग्राम व पोस्ट बंदेली, जिला-रायगढ़ कार्यालय: 7000477747

क्रमांक 8/3475 दिनांक 25.12.2020

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकार हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर द्वारा वार्षिक पत्रिका "**उपत्यका**" का प्रकाशन किया जा रहा है। निश्चित ही यह पत्रिका विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल के विकास में सहायक होगी, साथ ही महाविद्यालय से संबंधित अन्य उपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन भी इस पत्रिका में होगा जिससे छात्र-छात्रायें लाभान्वित होंगे।

पत्रिका प्रकाशन के लिए महाविद्यालय परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(उमेश पटेल)

मोहन मण्डावी
संसद सदस्य
कांकेर लोकसभा (छत्तीसगढ़)
सदस्य - केन्द्रीय कृषि स्थायी समिति
सलाहकार - केन्द्रीय कोल एवं माईन्स

सत्यमेव जयते

निवास :
'मानस भवन' विश्वामित्र नगर, गोविन्दपुर, कांकेर,
जिला - उत्तर बस्तर कांकेर, पिन - 494 334
मोबाइल : 90139 97092, 94255 90879
फोन : 07868 222552 (कार्यालय)
दिल्ली निवास. : 187, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
ई-मेल : mandaviml16@gmail.com

पत्र क्रमांक : 1009 दिनांक : 18/2/21

संदेश

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर, बस्तर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध उ.ब. कांकेर का अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थान है । महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के रचनात्मक प्रयास को अपनी पत्रिका 'उपत्यका' के माध्यम से साकार रूप में प्रस्तुति अपने आपमें विशिष्ट है, क्योंकि इस पत्रिका के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का बीज प्रस्फुटित होगा और इस विशिष्ट अंचल के भविष्य की रचनात्मक मेधा से समाज परिचित होगा । यह प्रयास अन्य महाविद्यालयों के लिए उदाहरण होगा, जो युवा विद्यार्थियों के सर्वगीण विकास का आधार बनेगा ।

युवाओं के आंतरिक संवाद को वास्तविक आकर प्रदान करने हेतु महाविद्यालय परिवार को अशेष शुभकामनाएँ.....

(मोहन मण्डावी)

शिशुपाल शोरी
आई.ए.एस. (से.नि.)
संसदीय सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन, आवास एवं पर्यावरण,
वन, विधि एवं विधायी कार्य

निवास : ई-2, 42 सेक्टर-17, नवा रायपुर
अटल नगर (छ. ग.)-492002
निवास : सी-2/2, सिविल लाईन, कांकेर,
जिला : उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.)
पिन-494334
मो. नं. : 94255-15822, 70001-59724
ई मेल : ap.shori@gmail.com

क्रमांक : 4055-21/सं.स./81-कांकेर

दिनांक : 20/01/2021

—: संदेश :—

"जिस साहित्य से हमारी सुरूचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हममें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौन्दर्य–प्रेम ना जागे, जो हममें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं।" — मुंशी प्रेमचन्द

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर (छत्तीसगढ़) के महाविद्यालयीन नियमित छात्र–छात्राओं के लिए "उपत्यका" कॉलेज पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है । निश्चित ही यह आप सभी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में एक अभिनव कार्य का सम्पादन है। "उपत्यका" इसी तरह हिन्दी साहित्य को नई ऊंचाई देती रहे, इस प्रलेख में शामिल समस्त महाविद्यालयीन नियमित विद्यार्थियों को सादर बधाई।

"साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक–शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जन मानस को आलोक स्तम्भ के समान दिशा और प्रकाश देता है। साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विवशताओं के सामने विकल्पो, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है।"

आशा है आज के वैविध्यपूर्ण जीवन को अनन्त तक पहुंचाने में यह महाविद्यालयीन पत्रिका (उपत्यका) कालजयी साबित होगी। सफल सम्पादन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं सहित !

(शिशुपाल शोरी)

जितेन्द्र सिंह ठाकुर
अध्यक्ष
महाविद्यालय जनभागीदारी समिति
भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

निवास
कचहरी के पास
कांकेर (छ.ग.)

दिनांक 20.02.2021

–: संदेश :–

हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय द्वारा पत्रिका **"उपत्यका"** का प्रकाशन किया जा रहा है। महाविद्यालय पत्रिका के माध्यम से विद्यार्थियों में सृजन का अविर्भाव होता है और वे अपनी अभिव्यक्ति को लेखन के रूप में प्रकट करते हैं। पत्रिका **"उपत्यका"** के प्रकाशन पर संपादक मण्डल, सभी लेखकों एवं सृजनशील व्यक्तियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...

आशा है कि महाविद्यालय पत्रिका **"उपत्यका"** का यह अंक विद्यार्थियों सहित साहित्य प्रेमियों के लिए संग्रहणीय होगा और युवाजनों को प्रेरणा भी देगा।

शुभकामनाओं सहित...

जितेन्द्र सिंह ठाकुर
अध्यक्ष

BASTAR UNIVERSITY, JAGDALPUR
District-Bastar, (Chhattisgarh, India) 494001

Dr. Shailendra Kumar Singh
Vice-Chancellor
(M.A., M.Phil., Ph.D. Statistics &
Ex Vice-Chancellor, MATS Uni. Raipur (C.G.)

क्रमांक 2855 / ब.वि.वि. / नि.स. / 2020 जगदलपुर, दिनांक 17.12.2020

–: शुभकामना संदेश :–

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि प्रदेश के कांकेर जिले के अग्रणी शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका **"उपत्यका"** का प्रकाशन करने जा रहा है। इस प्रकार का प्रकाशन किसी भी शैक्षणिक संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों एवं अन्य विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। साथ ही विद्यार्थियों के चिंतन, सृजनात्मक क्षमताओं एवं प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति का एक शसक्त माध्यम भी है। इस कारण महाविद्यालया द्वारा किया जा रहा प्रयास प्रशंसनीय है।

वार्षिक पत्रिका **"उपत्यका"** के सफल प्रकाशन के साथ–साथ इसके उद्देश्यपरक होने के लिये मैं महाविद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

प्रोफे. (डॉ.) शैलेन्द्र कुमार सिंह
कुलपति

चंदन कुमार,
भा.प्र.से.
कलेक्टर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़.

अर्धशासकीय पत्र क्र.: 1922
कांकेर, दिनांक : 28 Dec. 2020

Dear Shri Dhruv,

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर द्वारा अपनी महाविद्यालयीन पत्रिका 'उपत्यका' के प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है।

वनांचल के युवा प्रतिभाओं के लिए यह पत्रिका अपनी मौलिक रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का माध्यम प्रदान करने के साथ ही उनमें कला, साहित्य, संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान से युक्त बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

यह पत्रिका विद्यार्थियों में अपनी लेखनी के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अभिवृत्ति और सफलता प्राप्ति की अभिप्रेरणा प्रस्फुटित करे, यही मेरी हार्दिक कामना है।

Best Wishes!!

भवदीय,

(चंदन कुमार)

डॉ. के. आर. ध्रुव,
प्राचार्य,
भानुप्रतापदेव शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कांकेर (छ.ग.)

आभार, स्वीकृति एवं समर्पण...

विगत एक दशकों के छुट–पुट प्रयासों के बाद **''उपत्यका''** का यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। कोविड–19 रूपी वैश्विक महामारी के इस दौर में 'लॉकडाउन' का सदुपयोग करते हुए हमारे विद्यार्थियों ने अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर इस नगरी की साहित्यिक उर्वरा भूमि की परिपाटी को आगे बढ़ाने में निःसंदेह महती भूमिका का निर्वहन किया है। ये वो नई पौध हैं जो समय के साथ चलते हुए अपनी सृजनधर्मिता की सुगंध से समाज को सुवासित करने में सफल होंगे जो समाजोपयोगी भी होगा यह हमारा पूर्ण विश्वास है।

पिछले वर्षों में कुछ–न–कुछ व्यवधान के कारण **''उपत्यका''** के प्रकाशन में हम सफल नहीं हो पाए लेकिन इस बार प्रभारी प्राचार्य डॉ. के. आर. ध्रुव के दृढ़ निश्चय, महाविद्यालय के प्राध्यापकों के कुशल मार्गदर्शन, महाविद्यालयीन परिवार के सक्रिय सहयोग एवं रचनाधर्मी विद्यार्थियों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप **''उपत्यका''** का यह अंक आपके हाथों तक पहुंचाने में सफलता मिली है।

अंत में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों, कार्यालयीन सहयोगियों एवं विद्यार्थियों का आभार जिनके सहयोग के बिना इतना महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं होता।

–संपादक मण्डल

प्राचार्य की कलम से...

किसी भी शैक्षणिक संस्थान की पत्रिका उस संस्थान में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणेत्तर गतिविधियों तथा विद्यार्थियों की रूचि को प्रदर्शित किये जाने का माध्यम है। महाविद्यालय की पत्रिका *"उपत्यका"* भी विद्यार्थियों के सृजन का प्रयास है एवं उनकी साहित्यिक अभिरूचि का दर्पण है। हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को विश्व में प्रसिद्धि दिलाने में बस्तर का बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ को बस्तर की नैसर्गिक सुन्दरता के साथ–साथ यहॉ की रची–बसी लोक–कला, लोक–संस्कृति, लोक–साहित्य, लोक–वाद्य, लोक–संगीत, लोक–नृत्य, लोक–परम्परा, लोक–चिन्हों और लोक–जीवन ने समृद्ध किया और छत्तीसगढ़ को विश्व के सामने इन्हीं के द्वारा रेखांकित भी किया जाता है। महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भी इन्हीं मूल्यों को *"उपत्यका"* के रूप में प्रस्तुत किया है।

उत्तर बस्तर कांकेर जिला बस्तर संभाग का प्रवेश द्वार है। भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षा के प्रसार में अग्रणी योगदान रहा है। 1962 में ग्राम्य भारती शिक्षण संस्था के तले प्रारंभ हुआ और वर्तमान में 2850 विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए विशाल वट् वृक्ष के रूप में प्रतिस्थापित है। इस महाविद्यालय ने बस्तर के प्रतिष्ठित शिक्षा

प्राचार्य की कलम से...

विदों, राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और जन–सामान्य को पल्लवित किया और वे आज समाज में अपना अपना योगदान दे रहे हैं।

2018 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् बैंगलोर द्वारा महाविद्यालय को ''बी'' ग्रेड से मूल्यांकित किया गया है, आगामी वर्षों में सभी के सहयोग एवं प्रयास से इस ग्रेडिंग में और अधिक सुधार की उम्मीद है। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को विज्ञान, कला, वाणिज्य तथा विधि स्नातक स्तर पर, विज्ञान संकाय के तीन विषयों में, कलासंकाय के छः विषयों और वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर उपाधि का अध्ययन लाभ मिल रहा है साथ ही बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर द्वारा हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान विषयों के लिए शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान की गई है। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र की आवश्यकता और मांग के अनुरूप नवीन विषयों को समाहित करते हुए उनके प्रारंभ किये जाने का प्रयास किया जाए और इस हेतु महाविद्यालय कृत संकल्पित भी है और अपने सूक्त वाक्य *''तमसोमाज्योर्तिगमय''* के पथ पर अग्रसर होने का प्रयास करेगा।

अंत में, *''उपत्यका''* के संपादक मंडल के सभी सदस्य साधुवाद के पात्र हैं जिनके अथक प्रयास से इस पत्रिका का पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ है साथ ही उन सभी सांस्कृतिक–साहित्यिक चिन्तकों, ''युवा'' लेखकों, कवियों, रचनाकारों, सृजनकर्ताओं और पाठकों को अशेष शुभकामनाएं एवं आभार.....!

डॉ. के. आर. ध्रुव
(प्राचार्य)

महाविद्यालय के सम्माननीय जनभागीदारी सदस्यों की सूची

श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर
अध्यक्ष
9425259059

श्री चंदन कुमार I.A.S.
कलेक्टर, कांकेर
पदेन उपाध्यक्ष

दिनेश यादव
मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांकेर
सदस्य

श्री योगेश कुमार साहू,
(सांसद प्रतिनिधि)
सदस्य
9691903355

श्री सुनील गोस्वामी
(विधायक प्रतिनिधि)
सदस्य
9424274258

श्री राजकुमार पंजाबी
सदस्य
9425262051

श्री सोमेश सोनी,
एल्डरमेन
सदस्य
9893800787

श्री ध्यानचंद
केवलरमानी
सदस्य
9425259221

श्री याशिन कराणी
सदस्य
9425262168

श्री हृदय राम शोरी
सदस्य
8839791078

श्री रमेश गौतम
सदस्य
9425262167

श्रीमती सोनल वर्मा
सदस्य
8889042698

श्री संजीव (संजू) अहिरवार, पूर्व पार्षद
सदस्य
9755631700

श्री कुमान राम गजबल्ला
सदस्य
7677209288

श्रीमती पदमा चन्द्राकर
सदस्य
9424274628

श्रीमती सविता पोया, प्राचार्य,
सदस्य
9826507105

श्री कौशल किशोर उके, प्राचार्य
सदस्य
9826195307

श्री आर. पी. एस. ठाकुर, प्राचार्य
सदस्य
9424294747

श्रीमती मीरा आर्ची चौहान
सदस्य
9406108146

प्रो. पी. एस. गौर, विभागाध्यक्ष भूगर्भ शास्त्र,
सदस्य
7694979525

प्रो. शरद ठाकुर, विभागाध्यक्ष इतिहास,
सदस्य
9407031333

डॉ. के. आर. ध्रुव
प्राचार्य
पदेन सचिव
9406108188

सम्पादकीय

लोककवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि *''होहिये वही जो राम रचि राखा''*। क्या वैश्विक महामारी कोविड–19 की तार्किक एवं सकारात्मक व्याख्या उक्त पंक्ति के तारतम्य में किया जा सकता है? इस प्रश्न का जवाब 'हॉ' में देना चाहिए। कारण कोविड–19 ने जहॉ एक ओर भय का वातावरण निर्मित कर हमें अपने–अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं इस महामारी काल ने हमें आत्मचिंतन एवं आत्ममंथन का पर्याप्त समय भी दिया, वरना हम लोग तो जीवन की भागमभाग एवं यांत्रिक जीवन में कहीं खो से गए थे।

आत्मचिंतन के इस दौर में हमारे अंदर की जो प्रतिभाएँ सुप्तावस्था में पहुँच गई थीं, उन्हें जागृत करने के लिए पर्याप्त समय मिला जो कि उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। इस समय में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचान कर अपनी कलम के माध्यम से खुद को रेखांकित करने में कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखी और ऐसे ही विद्यार्थियों के मेहनत का नतीजा ''उपत्यका'' के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैसे भी कांकेर नगरी न केवल दण्डकारण्य का प्रवेशद्वार है बल्कि बस्तर अंचल का एक प्रमुख साहित्यिक केन्द्र भी रहा है। मूर्धन्य साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी, आशिक अली 'प्रेमी' से लेकर वर्तमान समय के चर्चित कवि बहादुर लाल तिवारी तक की एक लम्बी सूची है। इन सभी ने साहित्य जगत् में इस नगरी को प्रतिष्ठापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इतना ही नहीं आज भी इस परंपरा को अबाध गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभा सम्पन्न अध्येताओं की कमी नहीं है। जिनमें इस महाविद्यालय को एक विद्यार्थी के रुप में गौरवान्वित करने वाले सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, मीरा आर्ची चौहान, राजेश शुक्ला, अमिताभ दीवान, अनुपम जोफर, अनुरमा शुक्ला, पल्लवी झा, जनक सिन्हा, आत्माराम साहू, अनिल कुमार मौर्य आदि शामिल हैं।

यह पत्रिका भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक सार्थक पहल है। **'उपत्यका'** के माध्यम से हम संभावनाशील विद्यार्थी साहित्यकारों को एक मंच देकर उन्हें आगे बढ़ाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, ताकि कांकेर नगरी की यह गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ती रहे और उभरती प्रतिभाओं के पौधरोपण के लिए नई जमीन तैयार हो सके। साथ ही वे इस अवसर से न केवल प्रोत्साहित होंगे बल्कि खुद को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। हमारे विद्यार्थियों की रचनाओं से उनके समाज को देखने–परखने की समझ एवं सामाजिक सरोकारों का भी पता चलता है।

और हां **''उपत्यका''** के इस अंक में इस महाविद्यालय के सांस्कृतिक विरासत की एक बानगी भूतपूर्व विद्यार्थियों की रचनाओं से भी परिलक्षित होती है।

जहॉ तक 'संपादक मण्डल' के दायित्व की बात है तो वह किसी बाग के उस माली की तरह होता है, जिसका मुख्य कार्य विद्यार्थी रुपी पौधों की देखभाल कर उन्हें समाज में अपनी संवेदनात्मक खुशबू बिखेरने में सहायता प्रदान करता है। जिसके लिए उसे उचित समय पर पौधों को न केवल खाद्–पानी देना होता है बल्कि कॉट–छॉट कर उसे सहेजना एवं तराशना भी पड़ता है। हम लोगों (संपादक मण्डल) ने भी यही कार्य करने का भरपूर प्रयास किया है। यद्यपि जब यह अंक आपके हाथों में पहुॅचेगा तभी पता चलेगा कि हमारी मेहनत कहॉ तक सफल हुई है।

पुनश्च, उन विद्यार्थीयों को बधाई एवं शुभकामनाऍ जिनकी रचना **''उपत्यका''** के इस अंक में प्रकाशित हुई है और जिनकी रचनाऍ स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं हुई हैं उन्हें निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उन्हें आगे भी अवसर मिलते रहेंगे।

मानवता के कल्याण की शुभकामनाओं सहित...

–संपादक मण्डल

अनुक्रमणिका

क्रमांक	शीर्षक	लेखक/कवि	पृष्ठ क्र.
1.	कांकेर महाविद्यालय का इतिहास	स्व. (प्रो.) डी.के.एस. ठाकुर	01
2.	ज्ञान–यज्ञ को समर्पित एक महान् व्यक्तित्व महाराजाधिराज स्व. भानुप्रतापदेव	डॉ. (श्रीमती) पूनम साहू	03
3.	यादों के घेरे में– लालाजी (मेरे बड़े पिताजी)	डॉ. आभा श्रीवास्तव	07
4.	**Woman at War**	**Dr. Archana Singh**	09
5.	बस्तर की जनजातीय संस्कृति एवं लोक कलाएँ	डॉ. स्वामीराम बंजारे	11
6.	'जल रहा है देश'	डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग	13
7.	**A Visit: A New Institution**	**Prof. P. Kindo**	14
8.	**"UPATYAKA"**	**Dr. Nidhi Bhatt**	15
9.	मेक इन इण्डिया	डॉ. आर.के.एस. ठाकुर	16
10.	जनजातीय संस्कृति : मेनहिर (उर्सकाल)	प्रो. एन. आर. साव डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग	17
11.	आत्माभिव्यक्ति जारी रहे...	डॉ. जय सिंह	20
12.	मानव विज्ञान	डॉ. राजेश शुक्ला	21
13.	विमुद्रीकरण	मुकेश कुमार यदु	22
14.	**Empowering Women through Entrepreneurship**	**Divya Dewangan**	23
15.	वक्त बड़ा बलवान है	प्रियंका दौलतानी	24
16.	''रक्तदान महादान'' (मेरा अनुभव)	कु. शिखा सोनी	25
17.	लेख, लेखक और लेखन	कु. शशिकला साहू	26
18.	''गणराज रक्तदान समूह का गठन''	युवराज सिंह नेताम	28
19.	बस्तर की भूगर्भिक संरचना	हिमांशु सिन्हा	29
20.	बस्तर का इतिहास	कु. दीपिका कश्यप	31
21.	इतिहास कांकेर का	आशिका दर्रो	33
22.	जीतने वाले कभी हार नहीं मानते...	कु. सविता रावटे	35
23.	बस्तर: संस्कृति और सौन्दर्य	दुर्गाप्रसाद नेताम	36
24.	बीजापुर का सांस्कृतिक महत्व (मद्देड़ बाजा)	कुमार ज्योतिरादित्य	37
25.	छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग का विकास	कु. शारदा कोमरा	38
26.	होवत हे बियान	ललित गोयल	40
27.	ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य–रक्षा	कु. अलका नेताम	41
28.	मोबाईल फोन	कु आंचल यादव	42
29.	गुरू वंदना	गुरूदास बिस्वास	43
30.	यातायात के नियम	अरविन्द कुमार अमिला	44

अनुक्रमणिका.....

क्रमांक	शीर्षक	लेखक/कवि	पृष्ठ क्र.
31.	कृषि आय एवं कर अपवंचन	कु. ममता पारकर	46
32.	जी. एस. टी.	अभिजीत बाड़ई	47
33.	ज्ञान–गठरी (नॉलेज कॉर्नर)	संपादक मंडल	49
34.	ईमानदारी की कथाएं	विरेन्द्र कुमार	51
35.	एक किसान की कहानी	कु. हिमा कुंजाम	52
36.	गुरू और शिष्य की कहानी	रूपेश कुमार मण्डावी	53
37.	हिन्दी मेरी प्यारी हिन्दी	भोला चौहान	54
38.	बदलती प्रकृति बदलता मौसम	दीनदयाल सरोज	54
39.	गिलोय	देवेश साहू	55
40.	त्रिफला	कु. तामेश्वरी नेताम	56
41.	कालमेघ (भुईनीम)	रीना नेताम	57
42.	हिन्दी दिवस का इतिहास	कु. शैलेन्द्री पटेल	58
43.	हिन्दी दिवस क्यों मनाया जाता हैं?	कु. सुनीता सिन्हा	59
44.	संविधान क्या, क्यों और कैसे?	आशु प्रजापति	61
45.	वकील काला कोट क्यों पहनते हैं	गीतांजली सिन्हा	61
46.	महिलाओं के कानूनी अधिकार	कु. क्षमा साहू	62
47.	महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके कानूनी अधिकार	कु. भारती केशरिया	64
48.	मानवाधिकार	कु. अम्बिका चौहान	67
49.	दहेज प्रथा	कु. आलोका मण्डल	68
50.	साक्षरता	कु. कमितला नेताम	71
51.	समानता की अवधारणा	कु. पार्वती किर्तनीयां	73
52.	महिला सशक्तिकरण	कु. अनिता नागवंशी	75
53.	समय–प्रबंधन	आयशा परवीन	76
54.	आत्म–विकास एवं सम्प्रेषण	कु. नरमिला	77
55.	मेरी राष्ट्रीय सेवा योजना की यात्रा	गुरूदास बिस्वास	78
56.	कोरोना महामारी के दौरान रेड्क्रॉस का योगदान	जयंत सरकार	78
57.	घुमक्कड़ी–डायरी	विशाल ठाकुर	79
58.	**I MISS MY SCHOOL DAYS....**	**Ku. Sakshi Meshram**	81
59.	**How to do Tax planning**	**Pragya Senapati**	82
60.	महाविद्यालय के गौरव	गोविन्द सिन्हा	83
		शिल्पा साहू	84

अनुक्रमणिका.....

भूतपूर्व विद्यार्थियों की रचनाएं...

क्रमांक	शीर्षक	लेखक/कवि	पृष्ठ क्र.
61.	सपनों का संसार	सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	86
62.	सिसकती है दूधनदी	मीरा आर्ची चौहान	86
63.	राष्ट्रीय सेवा योजना: ज़रिया जिंदगी संवारने का	शहाना शेख	87
64.	यादें	अमिताभ कुमार दीवान	89
65.	दिन बचपन के	राजेश शुक्ला ''काँकेरी''	90
66.	पेड़	अनिल कुमार मौर्य 'अनल'	90
67.	मार्ग अगर अवरुद्ध हो	कु.गरिमा पोयाम	91
68.	नश्वर काया	अनुरमा शुक्ला	91
69.	जीत लेंगे जीवन का हर समर	अनुपम जोफर	92
70.	अमृत का गागर	पल्लवी झा (रूमा)	93
71.	पृथ्वी का दर्द	डॉ. पूर्वा शर्मा	93
72.	एक सामान्य विद्यार्थी से शैडो कलेक्टर तक	संदीप द्विवेदी	94
73.	महाविद्यालय की यादें	अनिल कुमार मौर्य 'अनल'	97
74.	तलाश	आत्मा राम साहू	98
75.	प्यारी बेटियां	अनुपमा पांडेय	99
76.	कॅइकर राज	राजेन्द्र प्रसाद नागवंशी	99
77.	छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन	प्रो. नवरतन साव डॉ. (श्रीमती) बसन्त नाग डॉ. मनोज राव	100
78.	कोविड–19 महामारी के दौरान मनो–सामाजिक समस्याएं व समाधान विषयक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन	मनोविज्ञान, अंग्रेजी व जन्तु विज्ञान विभाग	100
79.	मनोविज्ञान विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता हेतु प्रयास	डॉ. अर्चना सिंह, डॉ. मनोज राव डॉ. जय सिंह	102
80.	भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा बस्तर संभाग के नोडल महाविद्यालय के रूप में नैक हेतु सद्प्रयास	महाविद्यालयीन नैक प्रशिक्षण समिति	103
81.	गणराज रक्तदान समूह के कुछ रक्तदाताओं की सूची	गजेन्द्र कुमार, गोविन्द सिन्हा	104
82.	महाविद्यालय परिवार के सदस्यों की सूची	महाविद्यालयीन कार्यालय	105

कांकेर महाविद्यालय का इतिहास

स्व. (प्रो.) डी.के.एस. ठाकुर

पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी

आदिवासी बहुल बस्तर जिला के उत्तरी अंचल में स्थित कांकेर नगर इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जनश्रुति व लोक मान्यता के आधार पर कंक ऋषि की तपस्या भूमि होने के कारण इसका नाम कांकेर पड़ा। वाल्मीकि रामायण में गोदावरी अंचल पर्यन्त सम्पूर्ण क्षेत्र को 'महाकान्तार' नाम से अभिहित किया गया है। दण्ड नामक राक्षस शासक का राज्य इस क्षेत्र में था अतः इसे 'दण्डकवन' अथवा दण्डकारण्य भी कहा गया । पौराणिक सन्दर्भ के साक्ष्य से पहले यहॉ समृद्ध राज्य था किन्तु इस राज्य के शासक दण्ड के निरंकुश आचरण से कुद्ध होकर अगस्त्य ऋषि ने इस भू–भाग को घोर जंगल में बदल जाने का श्राप दिया था। उनके श्राप के प्रभाव से ही यह क्षेत्र निबिड़ वन में परिवर्तित हो गया। विष्णु पुराण में जिस 'नंन्दिराज' पर्वत का उल्लेख है उसे ही बैलाडीला कहा जाता है। कांकेर से पूर्व दिशा की ओर 56 कि.मी. की दूरी पर स्थित सिहावा के पास ही ऋषि ऋष्यश्रृंग (श्रृंगी ऋषि) का आश्रम प्रसिद्ध है। पौराणिक साक्ष्य के अनुसार इसी ऋषि ने महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दूसरी मान्यता यह भी है कि कांकेर के समीपस्थ पहाड़ों की तलहटी में कॉकेय नामक जड़ी, जिसके काढ़े का उपयोग प्रसव के उपरान्त जच्चा एवं पारिवारिक जन करते थे, बहुलतायत से उत्पन्न होती थी और कांकेर नामकरण का एक आधार यह भी है। इन मान्यताओं का आधार जो भी हो कांकेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि युक्त नगर है तथा भारतीय संघ में विलय के पूर्व तक इसे देशी रियासत का दर्जा प्राप्त था।

उच्चशिक्षा के प्रसार प्रचार की दिशा में एक उल्लेखनीय योगदान तब प्राप्त हुआ जब वर्षों पूर्व 4 जुलाई 1962 में यहॉ उपाधि महाविद्यालय की स्थापना हुई। बस्तर शिक्षा समिति द्वारा स्थापित यह महाविद्यालय बस्तर जिले में दूसरा महाविद्यालय है जिसकी स्थापना का संपूर्ण एवं एकमात्र श्रेय कांकेर रियासत के भूतपूर्व शासक एवं तत्कालीन विधायक महाराजाधिराज भानुप्रतापदेव को है, जिन्होंने अपने राजमहल का पार्श्व प्रकोष्ठ महाविद्यालय को उपलब्ध कराया। यही नहीं अपितु अपने निजी ग्रंथागार से अमूल्य ग्रंथ उन्होंने महाविद्यालय पुस्तकालय को भेंट स्वरूप प्रदान किया। इतिहास एवं अंग्रेजी साहित्य के इन अमूल्य ग्रंथों ने महाविद्यालयीन पुस्तकालय को एक गौरवपूर्ण स्थान दिया है।

सन् 1962 में सम्पूर्ण बस्तर जिला में मात्र दो महाविद्यालय थे। कांकेर के अशासकीय महाविद्यालय के अतिरिक्त दूसरा शासकीय महाविद्यालय बस्तर जिला के मुख्यालय जगदलपुर में था जो कांकेर से दक्षिण की ओर 156 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांकेर से उत्तर की ओर रायपुर 139 किमी. की दूरी पर स्थित है।

महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य श्री बसंत लाल झा एवं महाविद्यालय संचालन समिति के सचिव श्री कृष्ण कुमार झा ने एक विशेष परिकल्पना के तहत् इस महाविद्यालय का नाम

''ग्राम्य भारती महाविद्यालय'' रखा था। शिक्षा समिति की योजना थी कि ग्राम्य भारती महाविद्यालय को 'रूरल इन्स्टीट्यूट' का स्वरूप कालान्तर में दिया जाए।

उन दिनों शासकीय महाविद्यालय जगदलपुर में भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था नहीं थी। ग्राम्य भारती महाविद्यालय कांकेर ने इस कमी को पूरा करके स्तुत्य योगदान दिया। कांकेर के नागरिकों की मांग और इच्छा को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालय के स्थापना वर्ष में ही कॉलेज में वाणिज्य निकाय प्रारंभ किया गया। कांकेर के ऐसे छात्रों को जिन्होने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापना वर्ष में ही बी.ए. पूर्व की परीक्षा प्रारंभ की गई। सागर विश्वविद्यालय, सागर के तत्कालीन उपकुलपति श्री जी.पी. भट्ट ने अपने विशेष प्राधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रथम वर्ष में ही महाविद्यालय को दो कक्षाएँ प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित कांकेर जैसे छोटे नगर में महाविद्यालय की स्थापना से वे बहुत प्रभावित हुए। उन दिनों कांकेर के 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अन्य महाविद्यालय नहीं था। सन् 1962 में ही एन.सी.सी. यूनिट प्रारंभ करने की अनुमति महाविद्यालय को प्राप्त हो गई जबकि जगदलपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में एन.सी.सी. नहीं था।

स्थापना वर्ष 1962 में ही 54 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या उत्साहवर्धक थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा छात्र–संघ का गठन किया गया। इस छात्र–संघ का उद्घाटन विवेकानन्द आश्रम के प्रणेता तथा गणित के उद्भट् विद्वान स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा किया गया। 2 जुलाई 1962 रथयात्रा पर्व के पुनीत अवसर पर महाविद्यालय की स्थापना का समाचार कांकेर निवासियों के लिए एक रोमांचक समाचार था। उसी दिन तत्कालीन 5000 की जनसंख्या वाले इस छोटे से नगर में ज्ञान और शिक्षा की शुभ यात्रा प्रारंभ हुई और प्रारंभिक वित्तीय संकटों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रगति का यह क्रम अव्याहत रहा। कालान्तर में छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही।

एक नवीन शिक्षण संस्था की स्थापना का शुभ संदेश देते हुए तथा सहयोग संरक्षण का आव्हान् करते हुए कांकेर के भूतपूर्व शासक महाराजाधिराज भानुप्रतापदेव प्रातःकाल से सायंकाल तक, जब अस्तांचलगामी भानु की किरणे पश्चिमी क्षितिज को आलोकित कर रही थी, नगर की सड़कों पर अपना वाहन स्वयं चलाते हुए घूमते रहे। उनके अनुरोध एवं उद्यम का शुभ प्रभाव तत्काल दृष्टिगत हुआ तथा अविलम्ब बड़ी राशि महाविद्यालय के लिए एकत्रित कर ली गई। इसी क्रम में दानवीरों ने भूदान तथा सम्पत्तिदान की घोषणाएं भी सार्वजनिक रूप से की।

इस संबंध में उल्लेखनीय तथ्य है कि जब कांकेर में महाविद्यालय स्थापित हुआ तब रायपुर, राजनांदगॉव, जॉजगीर और बिलासपुर में ही निजी महाविद्यालय संचालित किए जा रहे थे। कांकेर में महाविद्यालय की स्थापना के प्रेरक समाचार से प्रभावित होकर बाद में धमतरी, बालोदाबाजार, भाटापारा, राजिम, अम्बागढ़ चौकी, डोंगरगढ़, महासमुन्द, बागबाहरा आदि स्थानों

में अशासकीय महाविद्यालय खोले गए। सम्प्रति इसमें से अधिकांश कांकेर की भॉति शासनाधीन हो गए हैं।

कांकेर का ग्राम्य भारती महाविद्यालय 1 जनवरी 1975 को शासनाधीन हो गया। इसके शासनाधीन होने में महाविद्यालयीन प्रशासिका समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद शर्मा तथा तत्कालीन केन्द्रीय उच्च शिक्षा मंत्री माननीय अरविन्द नेताम (सम्प्रति केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री) की सराहनीय भूमिका रही। इनके सद्भावनापूर्ण प्रयास के कारण ही महाविद्यालय के शासनाधीन होने में नियम और प्रक्रिया संम्बंधी कोई बाधा आड़ें नहीं आई।
(टीप– उक्त आलेख कार्यालयीन सहयोगी श्री एस.आर. अहरवाल के सहयोग से प्राप्त हुआ)

*****

ज्ञान–यज्ञ को समर्पित एक महान् व्यक्तित्व महाराजाधिराज स्व. भानुप्रतापदेव

डॉ. (श्रीमती) पूनम साहू
अतिथि व्याख्याता (इतिहास)

आदिवासी बहुल उत्तर बस्तर कांकेर जिले में 04 जुलाई 1962 तिथि अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस दिन कांकेर रियासत के महाराजाधिराज स्व. भानुप्रतापदेव ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाकर ग्राम्य–भारती उपाधि महाविद्यालय की स्थापना की थी। जिस दिन कांकेर में महाविद्यालय की स्थापना हुई उस दिन रथयात्रा थी। ज्ञान रूपी यह रथ प्रारंभ में धीमी गति से चलता हुआ आज अपनी पूरी गति के साथ ज्ञान का प्रकाश सम्पूर्ण उत्तर बस्तर में बिखेर रहा है। भानु (सूर्य) की किरणों से बस्तर की प्रतिभायें आलोकित हो रही हैं। शुरूआत में भवन के अभाव में महाविद्यालय का प्रारंभ कोमलदेव क्लब के समीप स्थित विशाल बरगद वृक्ष के नीचे किया गया। प्राचार्य व कार्यालय के लिए कोमलदेव क्लब के दो कमरे दिये गये। महाविद्यालय के खुलने से उस समय कांकेर के नागरिकों में भारी उत्साह था। महाराजाधिराज ने सर्वप्रथम इस महाविद्यालय को यहां की बहुमुल्य और दुलर्भ पुस्तकें, कलात्मक फर्नीचर दान में दिये और महाविद्यालय मे कक्षाएँ संचालित करने के लिए अपने महल के दक्षिण में स्थित गैरेज व प्राचार्य, प्राध्यापकों के लिए निःशुल्क मकान दिये। महाविद्यालय को साधन सम्पन्न बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया। कांकेर के नागरिकों ने अपनी क्षमता अनुसार टेबल, कुर्सी, आलमारी, श्वेतपट्ट, बैंच आदि दान में दिये। गॉव वालों ने इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने के लिए तारसगॉव के अभियान का नेतृत्व स्व. विश्राम सिंह ठाकुर (विधायक) तथा भानुप्रतापपुर के अभियान का नेतृत्व प्राचार्य श्री बसंत लाल झा द्वारा किया गया। दोनों अभियानों में नागरिकों ने धन के साथ–साथ जमीन भी दान में दी। महाराजाधिराज ने चारामा के समीप स्थित अपनी जमीन दान में दी। 1962 से 1966 ई. तक महाराजा ने प्राचार्य, प्राध्यापक व कर्मचारियों को अपनी ओर से बराबर वेतन दिया। इस

दौरान महाराजाधिराज को आर्थिक संकट का सामाना करना पड़ा और वे काफी अस्वस्थ्य भी रहने लगे।

महाराजाधिराज स्व. भानुप्रतपादेव के योगदान के बाद यदि किसी ने इस महाविद्यालय के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तो उसमें ''बस्तर शिक्षा समिति'' जगदलपुर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस समिति के अन्तर्गत यह महाविद्यायल संचालित होता रहा। श्री विष्णु प्रसाद शर्मा श्री बसंत लाल झा इस समिति के अध्यक्ष रहे। श्री के.के. झा और श्री प्रताप अग्रवाल के सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। इस महाविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में श्री विष्णुप्रसाद शर्मा, श्री शेषराव नायडू, श्री चित्त संतोष लहरी और श्री महादेव टॉकसाले ने अपना अमूल्य योगदान दिया।

महाविद्यालय का प्रारंभ कला और वाणिज्य संकाय की प्रारंभिक कक्षाओं से किया गया। प्रारंभिक दो सत्रों तक यह महाविद्यालय सागर विश्वविद्यालय, सागर से संबद्ध रहा। सत्र 1964–65 से 2008 तक यह महाविद्यालय पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से संबंद्ध रहा। तत्पश्चात् बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर से आज पर्यन्त संबंद्ध है।

महाविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था में श्री बसंत लाल झा, श्री केशव पांडे, श्री. एन. पी. श्रीवास्तव जैसे अनुभवी प्राचार्यों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में महाविद्यालय के संरक्षक डॉ. कृपा राम ध्रुव प्राचार्य पद को सुशोभित व गौरवान्वित कर रहे हैं तथा इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कस्तूरी की तरह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में इस महाविद्यालय की गरिमा और गौरव को फैलाया।

जब कांकेर का महाविद्यालय बंद होते होते बचा था.....

सन् 1962 में स्थापित कांकेर के डिग्री महाविद्यालय की उम्र आज 59 वर्ष की हो चुकी है। आज यहां स्नातकोत्तर की कक्षाएँ भी हैं तथा छात्रों की तादाद भी हजारों में है। किन्तु सन् 1969 में ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि महाविद्यालय बंद होते–होते बचा था। सरकार से अनुदान मिलने में भारी विलम्ब होता था। विश्वविद्यालय से मान्यता हेतु नियमानुसार कॉलेज के नाम पर 50,000 की सुरक्षा निधि परमावश्यक थी तथा स्टॉफ को समय पर वेतन के अलावा अनेक शर्तें थीं। ऐसे बुरे वक्त पर महाराजाधिराज तथा इलाके के प्रतिष्ठित नागरिकों ने जनता के नाम से एक मार्मिक अपील जारी की। जिसे हम ज्यों का त्यों प्रकाशित कर रहे हैं। इस निवेदन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। एक एक सेर धान एकत्रित कर प्राप्त रकम से महाविद्यालय को बचा लिया गया। तात्कालिक महाविद्यालय के संचालन समिति तथा बस्तर शिक्षा समिति के अध्यक्ष पं. विष्णुप्रसाद शर्मा ने उन दिनों को याद करते हुए पत्रकारों को बताया कि कितनी मुश्किलों से संचालित किया गया। अपील करने वाले अधिकतर महानुभाव आज इस संसार में नहीं है। उन समस्त दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम उनकी 1969 में जारी की गई अपील प्रकाशित कर रहे है। जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है–

—: निवेदन :—

ग्रामवासियों,

आपको यह मालूम ही है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में केवल एक ही कॉलेज है, जहाँ हम सब ऊँची शिक्षा पाने का लाभ उठाते हैं। परन्तु इस कॉलेज की आर्थिक दशा एकदम खराब हो जाने से अब इसके बंद हो जाने की हालात हो गई है। हमारे बच्चों की भलाई के लिए इस कॉलेज का चालू रहना जरूरी है।

अतः कॉलेज की आर्थिक दशा सुधारने के लिए आप सब भाईयों से सादर अनुरोध है कि —

1. प्रत्येक किसान भाई एक सेर धान प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से दान देने की कृपा करें।
2. यह दान का धान गाँव के पटेल के पास जमा किया जावे।
3. गाँव के पटेल सब जमा धान हल्का पटवारी के मुख्यालय में जमा करेंगे। जहाँ से कॉलेज के प्रतिनिधि उसे प्राप्त कर पटेल को रसीद देवेंगे।
4. यह कार्य दिनांक 15/02/1969 तक पूर्ण करना है।
5. नगदी राशि बिलकुल ही न दी जावे।

आशा है कि समस्त ग्रामवासी इस शुभ कार्य में अपना पूरा सहयोग देकर इस कॉलेज को चालू रखने में सहयोगी होंगे।

हम हैं आपके विनीत :—

महाराजाधिराज, कॉकेर	झाड़ूराम विधायक	नारायण सिंह देव
महारानी साहिबा कांकेर	विश्राम सिंह विधायक	घनश्याम सिंह देव
राजमाता कांकेर	डोरेलाल तिवारी	जगमोहन कुमार त्रिभुवन शाहदेव
रामदयाल, बुदेली	जीवनसिंह, आतुरगाँव	युवराज उदय प्रताप
सुदराम, कुरूभाट	थनवार, अर्जुनी	प्रतिभा देवी जगमोहन पलेवा
अवधबिहारी दास महंत	सी.एस. लहरी	सामलाराम भिरौद
थनवार, भैसमुड़ी	वृन्दावन बिहारीलाल	लक्ष्मण पोटाई
बच्चूसिंह सामेतरा	जयन्तीलाल दबे	लक्ष्मण ठाकुर ईरागाँव
गोविन्दराम, देवी नवागाँव	विष्णु प्रसाद शर्मा	मोड्डा ठाकुर ईरागाँव
ठाकुर प्रसाद देवी नवागाँव	प. गँगापारी	नाथूदास सम्बलपुर
घरमन ठाकुर कोदागाँव	प्रकाश पन्त	बालगोविन्द, सम्बलपुर
शशाँक राय परसोदा	महिपालसिंह	गनेशराम, धनेसरा
भंवरलाल, चारामा	सूरजमल बाफना	पदुमसिंह, कॉकेर
सुखदेवभाटा बेवरती	बृजभूषण प्रसाद शर्मा	अमोलकचन्द चारामा
पुरूषोत्तम भाई, हल्बा	आशिफ अली खान	आदित्यनारायण, चारामा
मधुकांत व्यास	नागेन्द्रपाल सिंह	रघुराजसिंह देव

—: निवेदन :—

प्रिय ग्रामवासियों,

आपको यह मालूम ही है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में केवल एक ही कालेज है, जहाँ हम सबके बच्चे ऊंची शिक्षा पाने का लाभ उठाते हैं, परन्तु इस कालेज की आर्थिक दशा एकदम खराब हो जाने से अब इसके बंद हो जाने की हालत हो गई है। हमारे बच्चों की भलाई के लिए इस कालेज का चालू रहना जरूरी है।

अतः कालेज की आर्थिक दशा सुधारने के लिए आप सब भाईयों से सादर अनुरोध है कि :—

१. प्रत्येक किसान भाई एक सेर धान प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से दान देने की कृपा करें।
२. यह दान का धान गाँव के पटेल के पास जमा किया जावें।
३. गाँव के पटेल सब जमा धान हल्का पटवारी के मुख्यालय में जमा करेंगे, जहाँ से कालेज के प्रतिनिधि उसे प्राप्त कर पटेल को रसीद देवेंगे।
४. यह कार्य दिनांक १५-११-६९ तक पूर्ण करना है।
५. नगदी राशि बिलकुल ही न दी जावे।

आशा है आप समस्त ग्रामवासी इस शुभ कार्य में अपना पूरा सहयोग देकर इस कालेज को चालू रखने में सहयोगी होंगे।

हम हैं आपके, विनीत :-

महाराजाधिराज, काँकेर	झाड़ूराम, विधायक	नारायणसिंह देव
महारानी साहिबा काँकेर	शिवरामसिंह विधायक	घनश्यामसिंह देव
राजमाता, काँकेर	कोरेलाल तिवारी	जगमोहन, [illegible]
कुमार त्रिभुवन शाहदेव	रामदयाल, दुदेली	चंदनसिंह आतुरगाँव
युवराज उदय प्रताप	सुदराम, कुर्र भाट	धनधार, अर्जुनी
प्रतिमा देवी	जगमोहन, पंडेला	अवध बिहारी दास महंत
डी० एन० लहरी	[illegible], बिरोद	[illegible], भैंसमुंडी
वृन्दावन बिहारीलाल	लक्ष्मण पोटाई	अनूपसिंह सामेतरा
जयन्तीलाल दवे	लक्ष्मण ठाकुर, ईरागाँव	गोविन्दराम, देवी नवागाँव
विष्णु प्रसाद शर्मा	मोहना ठाकुर, ईरागाँव	ठाकुर प्रसाद, देवी नवागाँव
पं० गंगाचारी	नाथूदास, सम्बलपुर	धरमन ठाकुर, [illegible]
प्रकाश चन्द	बालगोविन्द, सम्बलपुर	शशिभूषणराय, परसोदा
महिपालसिंह	गनेशराम, धनेसरा	भंवरलाल, चारामा
सूरजमल बाफना	पदुमसिंह, कांकेर	सुखदेवमाझी, पेंदरवाही
कृष्णभूषण प्रसाद शर्मा	आमोलकचन्द, चारामा	पुरुषोत्तमभाई, हल्बा
आबिद अली खान	आदित्यनारायण, चारामा	मधुकर व्यास
नागेन्द्रपालसिंह	रघुराजसिंह देव	—

इसके पश्चात् 1 जनवरी 1975 में इस महाविद्यालय के शासनाधीन होने पर यह उम्मीद की जा रही थी कि इस महाविद्यालय का नामकरण महाराजाधिराज के नाम पर किया जाएगा। कुछ औपचारिकताओं और जनसहयोग के अभाव में ऐसा न हो सका। लंबे संघर्ष के पश्चात् श्री अरविन्द नेताम तत्कालीन कृषि राज्यमंत्री भारत शासन, श्री शिव नेताम तत्कालीन सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री (म.प्र. शासन) व छात्रसंघ पदाधिकारियों के अथक प्रयासों के कारण माननीय श्री दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन ने इस महाविद्यालय का नाम महाराजाधिराज भानुप्रतापदेव के नाम से करने की घोषणा दिनांक 16/10/1995 को कांकेर प्रवास के समय की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कांकेर के नागरिकों में हर्ष व्याप्त हुआ। महाराजाधिराज भानुप्रतापदेव ने कांकेर में उच्च शिक्षा का ज्ञान रूपी जो पौधा लगाया था आज उसने विशाल बरगद का रूप धारण कर लिया है और आज इस महाविद्यालय की अपनी शानदार इमारत है एक विशाल सांस्कृतिक भवन, सम्पन्न प्रयोगशालाएँ, ग्रंथालय तथा पाँच छात्रावास हैं। कांकेर के उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए महाविद्यालयीन परिवार व उत्तर बस्तर के नागरिक सदैव महाराजाधिराज के ऋणी रहेंगे। महाविद्यालय के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले महाराजाधिराज स्व. श्री भानुप्रतापदेव के लिए यह शेर सार्थक सिद्ध होता है–

"फूँक–फूँक कर अपना आशियाँ हमने,
दूसरों के दिये जलाये हैं।"

*****

यादों के घेरे में– लालाजी (मेरे बड़े पिताजी)

डॉ. आभा श्रीवास्तव
अतिथि व्याख्याता (हिन्दी)

जनमानस में बहुत ही सरलता, सहजता से हृदयंगम, निडरता व प्रामाणिकता के साथ यथार्थ की तस्वीर, लेखनी के माध्यम से अपने अंदाज में सामने रखने वाले दृढ़ संकल्पी, महर्षि तुल्य, दण्डक ऋषि लालाजी, बस्तर का पर्याय– लालाजी परम सौभाग्य से मेरे बाबा (बड़े पिताजी) के लिये जब संस्मरण की बात आती है तो बहुत ही सहजता से उनका स्वरूप निखारते ये शब्द पंक्तिबद्ध हो जाते हैं–

बस्तर ही खद्दर, बस्तर ही खटिया
बस्तर ही चद्दर, बस्तर ही तकिया
बस्तर बिना लालाजी के, याद नहीं
लालाजी बिना, बस्तर की बात नहीं।

इन पंक्तियों में बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में लालाजी का व्यक्तित्व व कृतित्व समाहित है। जिनका जीवन बहुत ही अभाव, संघर्ष व सादगी से परिपूर्ण रहा परन्तु उनकी लेखनी उतनी ही विशिष्टता से हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती यथार्थ को कुछ इस अंदाज में बयां करती है–

दृढ़ संकल्पों के शिविरों में
जन्म ले रहीं आशंकाएं
आश्रय मिला सर्वनामों को
दर–दर भटक रही संज्ञाएं।

पाठकों को जागृत करने की क्षमता रखने वाली ये पंक्तियॉ उन्हें वातावरण को खंगालने हेतु प्रेरित करती हुई, भटक रही संज्ञाओं को उनका स्थान दिलाने एवं प्रयास का संकल्प लेने हेतु बाध्य करती हुई साहित्य के महत्व को सार्थक करती है।

लाला जगदलपुरी जी परिवार के लिए वटवृक्ष, जिनकी छॉव में पूरा परिवार पल्लवित, पुष्पित व सम्मानित हुआ, उनके साथ बीते जीवन के हर दिन, हर पल, यादों के घेरे में सामने आते जाते हैं।

हर अनुभूति की अभिव्यक्ति संभव नहीं किन्तु लालाजी के स्नेहाशीष व मार्गदर्शन में जीवन को जो विशिष्टता मिल पायी उसे बहुत संक्षेप में आपके समक्ष रख रही हूॅ। बाबा की हार्दिक इच्छा थी कि मैं शोधकार्य करूॅ, उनके ही मार्गदर्शन में मैंने अपनी पी एच. डी. का विषय– ***छतीसगढ़ के गीतकारों का साहित्यक अनुशीलन*** चुना। विषय के अनुरूप छतीसगढ़ के वरिष्ठ व कनिष्ठ गीतकारों के नाम बाबा ने सुझाये।

अपने नाम के आगे डॉ. लगाने के लिये कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो कोई शोधार्थी ही बता सकता है, लेकिन बाबा के वरदहस्त से समस्त गीतकारों ने बहुत ही सम्मान व आशीर्वाद सहित मेरे शोधकार्य को पूर्णता तक पहुॅचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और मेरा शोधकार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ।

आज भी जब किसी शोधार्थी से मिलती हूॅ तो सारी यादें ताजा हो जाती हैं कि कैसे विद्यादान से महान विभूतियॉ स्वयं तो अजर–अमर हो ही जाती हैं, साथ ही हृदय में जो स्थान बना लेते हैं वो हृदय की ही भॉति हर पल धड़कता रहता है।

*****

Woman at War

Dr. Archana Singh
Asstt. Professor & Head (English)

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।
– मनुस्मृति

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।
– मैथिलीशरण गुप्त (यशोधरा)

The above mentioned two quotations about women represent women's situation in the society. In the first one woman has been depicted as an incarnation of Goddess and the second one shows the pathetic and precarious condition of hers in the society. In a single sentence it can be said that either very high or very low but not equal, not about a gender-equal society.

UNICEF says gender equality means that women and men, and girls and boys, enjoy the same rights, resources, opportunities and protections. It does not require that girls and boys, or women and men, be the same, or that they be treated exactly alike. Gender equality increases the overall well-being of the nation along with economic prosperity. As per the World Economic Forum's gender gap ranking, India stands at rank 108 out of 149 countries. This low rank is a clear cut depiction of the major gap in opportunities available for woman with comparison to man. It is a well-understood notion that the countries which have very less disparity between men and women progressed a lot. However, the government of India has taken many beneficiary steps to ensure gender-equality in the society like **" बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना "** and many more.

Of course, there are many schemes, policies and laws to ensure the development and safety of women but what should be the role of women in the society, only with the help of some policies and laws she cannot achieve her place.

- She has to stand for herself.
- She has to understand what is good and what is bad for her and how to handle the situations by her own.
- She has to respect her intellectuality.
- She should shed her image of a bodily person.
- She should respect other woman and admire her.
- She should keep herself away from talking ill about other women.
- She should never ever support the person who tarnishes the image of other woman.

William Shakespeare said, "The world would be imperfect without the presence of woman." Did he mean to say that only the presence of women would make this world perfect? NO, woman has to make herself perfect in all the skills. She should have to make herself intellectually perfect. Generally, it is noticed, especially in the working place that her voice of dissent is suppressed and labeled as "unethical" and she is harassed one or the other way. The proper answer to this harassment is only to keep herself upright and to perform her duties diligently and effectively.

If she wants this 'mankind' to be called 'humankind', she should come out of the tendency of 'Ladies First'. As Swami Vivekanand said, "Our duty is to put the chemicals together; the crystallization will come through God's laws. Let us put ideas into their heads, and they will do the rest."

"Don't be an object of pity but be the kind of woman that when your feet hit the floor each morning the devil says "Oh beware, she's up!"

*****

बस्तर की जनजातीय संस्कृति एवं लोक कलाएँ

डॉ. स्वामीराम बंजारे
विभागाध्यक्ष (हिन्दी विभाग)

जनजातीय संस्कृति इतना उदात्त है कि वह सबको साथ लेकर चलती है। अपनी क्षेत्रीय बोली, मौखिक साहित्य, लोक–संगीत, रीति–रिवाज, देवी–देवताओं और कलाभिव्यक्ति को साथ लेकर चलती है। कला के अभाव में किसी भी संस्कृति की सांस्कृतिक सार्थकता पूर्ण नहीं हो पाती। बस्तर के नारायणपुर और कोण्डागाँव इलाकों में आबाद गोंड़–मुरियों और अबूझमाड़ियों के बीच प्रचलित 'घोटुल' में लोक संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वादन, और नर्तन का सामंजस्य मिलता है। घोटुल में चेलिक, मोटियारी, सिरेदार, बोलोसा–दुलोसा आदि के सजने–संवरने के विविध सौन्दर्य–प्रसाधन अपना अलग महत्व रखते हैं।

बस्तर के तीज–त्योहार, पर्व–उत्सवों व हाट–बाजारों में लोक संस्कृति एवं लोक–कलाओं के दर्शन होते हैं। कलाएँ मुख्य रूप से सात प्रकार की हैं –

01. मिट्टी की कला – जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है।
02. काष्ठ (लकड़ी) की कला।
03. बॉस कला
04. पाषाण कला
05. लौह कला
06. घड़वा कला (बेल मेटल)
07. जूट कला (रानबावॅस) घास व पत्ते।

मिट्टी की कला :– पोला त्योहार में बैल, हाथी, घोड़ा, बन्दर, चूहा आदि की कुम्हारी मूर्तियॉ काम में लाई जाती हैं। बैल और हाथी की पूजा होती है। शेष आकृर्तियॉ बच्चों के खेलने के काम आती हैं। कोंदी, चूल्हा, चाटू आदि से बच्चियॉ खेलती और मन बहलाया करती हैं। पशु आकृतियों से बालक खेलते हैं। मिट्टी से कुम्हारी कला (टेराकोटा) के अन्तर्गत विभिन्न दर्शनीय आकृतियॉ निर्मित होती हैं ऐसी आकृतियों के अन्तर्गत सिंह, बाघ, चीतल, मुख, बैल, देव–देवियॉ, मानव मूर्तियॉ तथा लैंप–शेड्स, बेलबूटेदार कलश, गमले, घड़े कलापूर्ण सुराहियॉ आदि बनते आ रहे हैं।

काष्ठ (लकड़ी) कला – काष्ठ से बनी वस्तुएँ व्यवहार में अधिक होती हैं। काष्ठ में बैल–गाड़ियॉ, माची, खाट, टेंड़ा, खोहला, नागर, घाना, मचान और मकान आदि लकड़ी से बनते हैं। परन्तु अब समय बदल गया है। लकड़ी की कमी और प्लास्टिक से निर्मित आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि के कारण बस्तर के लोक जीवन में काष्ठ निर्मित वस्तुओं का चलन कम होने लगा है। किन्तु काष्ठकला ने अब व्यवसाय का रूप ले लिया है। विशेषकर प्रदर्शन उपयोगी काष्ठ फलकों पर घोटुल के दृश्य तथा सल्फी पेड़ आदि उकेरे जाते हैं। इन दिनों गणेश, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती और रथारूढ़ श्रीकृष्ण की आकृतियॉ भी बस्तर की काष्ठ कला में

शामिल हो चुकी हैं। साथ ही कुल्हाड़ी, सिंह, हिरन, हाथी, कंघियॉं, आम के पेड़, छिन्द के पेड़ आदि की आकृतियॉं भी काष्ठ से बना कर बाजार में बेचने लगे हैं और इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं। आदिवासी नर–नारियॉं सींग–मुकुटधारी, गॅवर–नर्तक कलात्मक काष्ठ मूर्तियॉं भी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी हैं। काष्ठ से बने झुमर भी ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके मृतक स्तम्भ भी काष्ठ के बने होते हैं।

पाषाण कला :– बस्तर अंचल में गंगों, नागों और चालुक्यों के समय की प्राचीन मूर्तियॉं यहां के मूर्तिकारों को मूर्ति निर्माण की दिशा में प्रेरित करती हैं। अंचल के कलाकार देव गुड़ियों के लिए मान्यता प्राप्त देवों और देवियों की मिथक–मूर्तियॉं आस्था पूर्वक तैयार करते आ रहे हैं। गोड़ों के बीच महाभाषाजी संस्कार के अन्तर्गत परिवार के मुखिया या किसी प्रतिष्ठित प्रिय मृतक की याद में कलात्मक पाषाण स्तंभ मरघट में स्थापित करने की प्रथा आज भी प्रचलित है। स्त्री–पुरूष की आंचलित पाषाण मूर्तियॉं तथा पत्थर के कलात्मक दीपक और दीप स्तंभ भी देखने को मिल जाते हैं।

लौह कला :– बस्तर में लोहार जाति के ग्रामीण कलाकार तब से लेकर अब तक सक्रिय बने हुए हैं और अब वे चूल्हा, छुरी, चिमटा, चाटू कजरौटी, लामन, हल का फाल कुल्हाड़ी, हसिया आदि गृहस्थोपयोगी सामान बनाते आ रहे हैं। अधुनातन युग में प्रदर्शनीय और उपयोगी आकृतियों के समान जैसे घोड़ा हिरन, सारस, फूलदान आदि के साथ–साथ बहु वर्तनीय आकार के सामान भी बनाने लगे हैं।

घड़वा कलाः– बस्तर के घड़वा कला कर्मी पहले कुंडरी, कसॉंड़ी, समई, चिमनी और पैड़ियॉं तैयार करते थे। अब वे लोग देवी–देवता, स्त्री–पुरूष, हिरण, हाथी, अकुम (तोड़ी) आदि बनाते आ रहे हैं। घड़वा कला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई है और बिकने लगी है। यह कला उत्तरोत्तर विकसित होती चली जा रही है। इसके विकास के चलते इसकी पारम्परिकता भी टूटी है। घड़वा कला को ढोकरा कला भी कहा जाता है।

बॉंस–कला :– बस्तर का जीवन बॉंसमय दिखाई देता है। बॉंस की बाड़ उठायी जाती है, बॉंस के टोकने, सूपा, बूटी, गर्पा, बिस्सरटाटी, दॉंदर, छतोड़ी, चाप, चटाई, टार्टी और कड़ूॅंगी वगैरह आज भी आम तौर पर बनते–खपते आ रहे हैं। पुराने समय में झॉंपी सुहाग पेटिका के रूप में काम आती रही है, अब उसका स्थान टीन की पेटी, (बाक्स) ने लिया है। आज बॉंस कला का मशीनीकरण हो गया है। बॉंस से अब अकल्पनीय वस्तुओं का निर्माण होने लगा है। लैंप, शेड, ट्रे, बैग चित्रित कर्टन आदि के साथ धनकुल वाद्य यंत्र का निर्माण भी बॉंस से किया जाता है। लम्बे लम्बे बॉंसों (डांगो) की जो डंगईयॉं पर सफेद काले और लाल रंग के ही झंडे दिखाई देते हैं। डंगई के शीर्ष भाग पर चांदी या पीतल का ''गुबा'' स्थापित मिलता है। गुबा का आकार लघु गुम्बद की तरह दिखाई देता है। ये डंगइयॉं, मेलों, मड़ईयों में घूमते–फिरते देव–देवियों के साथ–साथ उनकी गतिविधियों में शामिल दिखाई देती हैं। प्रतिवर्ष रथ यात्रा (गोंचा पर्व) के अवसर पर बॉंस की तुपकी (छोटी बंदूकची) चलायी जाती है। अमूस त्योहार से लेकर नवॉंखानी तक बॉंस की गेड़ी बनाकर, चढ़ने का रिवाज है।

जूट कला :– बस्तर में माहरा जाति के लोग रस्सी बटने का काम करते आ रहे हैं। पशुओं को बॉधने–छॉदने, फॉदने के लिए, गाड़ी का जुआ चौड़ी से जोड़ने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए निमित दावां, जोता, नाड़ी, छौके आदि बनाते आ रहे हैं। रस्सी बनाने के लिए पटसन, सिमाड़ी और सीसल (रान बावॅस) का प्रयोग किया जाता है। सीसल की रस्सी से बैग, थैली और फूल आदि बनने लगे हैं। पनारा जाति के लोग छींद (छोटी खजूर) के पत्तों से वर–वधु के लिए कलापूर्ण 'मौर' (मुकुट) बनाया करते हैं। छींद के पत्ता से ही चटाई, गोल–गोल चेंडू तैयार करते हैं। धान की बालियों से सेला (तोरण) तैयार करते हैं। देवगुड़ी के आसपाएं (ग्लोबनुमा) सेला कला टॉगे जाते हैं।

बस्तर के लोक नृत्यों में 'गॅवर नृत्य' को विश्वविख्यात होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसे 'माड़ियानाच' भी कहते हैं। बस्तर की कला और संस्कति पर युग परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। लोक–कला और लोक–संस्कृति अब अपनी पारम्परिकता को लांघने लगी है।

*****

'जल रहा है देश'

डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग
सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

जल रहा है देश, हाल बदहाल है,
जाति–पाति का भेद कर दिया बेहाल है।
भोर है धुँआ–धुँआ रातें लाल लाल हैं,
एक मसला सुलझा नहीं दूसरा तैयार है।
इंसानियत शर्मसार है दामन तार तार है,
मन की पवित्रता खो गयी हर तरफ व्याभिचार है।
भ्रष्टाचार के बोझ तले दबे अर्थ खनकदार है,
जिंदगी की कीमत तले बोलियॉ हर तरफ खरीददार हैं।
मंजिलें तो पास हैं मगर रास्ते नुकिलेदार हैं,
वक्त के बहाव में जीना हुआ मुहाल है।
आस्तिनों के सॉप ने डस लिया मानवता बेताल है,
नैतिकता की आड़ में कितनी भेड़चाल है।
भरोसा खो गया अब तो सवाल ही सवाल है,
दोस्ती की आड़ में मतलबी व्यवहार है।
तड़प रही है जिंदगी रंगों में उबाल है,
जल रहा है देश हाल बदहाल है।

संकलित रचना

गुटखा

गुटखा क्या है, एक धीमा जहर शरीर पर जो ढाता कहर।
कुछ लोग इसे खाना समझते हैं शान, लेकिन परिणाम से होते हैं अनजान।
क्या मिलता है गुटखा खाकर, छोटा हो जाता है जीवन का सफर।
गुटखा खाना बहुत बड़ा रिस्क है। जीवन की बाउण्ड्री पार लगाये ऐसा 'सिक्स' है।
पेट के अंदर जाते ही रोगों से अपाइन्टमेन्ट फिक्स है।
हानि की चिन्ता नहीं लोग इसे खाकर दुष्परिणाम भूल जाते हैं क्षणिक सुख पाकर।
गटर समझ मुँह में गुटखा रूपी कचरा डाल रहे हैं।
जानबुझकर पेट में बीमारी पाल रहे हैं।
कब तक भैसों की तरह लोग गुटखा चबाते रहेंगे।
कब तक लोग मौत के मुँह में जाते रहेंगे।
कितना समझाऊ लोग कहाँ सुन रहे हैं।
अपने लिए जिंदगी नहीं मौत चुन रहे हैं।
प्रण कर लो अब गुटखा का बहिष्कार होगा।
लोगों का इसकी लत छुटे, यही मेरे लिए पुरस्कार होगा।

*****

A Visit: A New Institution

P. Kindo
Assistant Professor (English)

All of a sudden, transferred
To a place unintended
Visited a new college
In Bastar-Northern edge.
A college has big strength
A good staff with strong faith
Surrounded by natural things
And many intellect beings.
Established in urgent time
Bloomed fast with a great prime
A lead college of tribal zone
Has Vision-Mission as shown.
Provides quality education

For the students with caution
Avails a low cost learning
Gains GER with timing.
Students coming up higher
As college steps prior
Stakeholders look proficient
In all fields significant.
An obvious thing will prolong
As attempted since a long
The Patron is the one in all
A good father protects all.
Submitted not to leave any
Who has interest in study
To mold into perfect men
For the task is taken.
No doubt! Many gems shine
With excellent awards dine
Thus, the Institution stands
Par excelled in Bastar bands.

Note:

This is a small poetry; I have tried to pen the lines ending with rhymes. Each line is written with seven syllabic stanzas. It is the most vivid personal experience in the Institution. It is a description about the college which is one of the famous lead colleges in Chhattisgarh, India. This Institution caters a Low cost quality education and as well as it has attracted many stakeholders in the North-Bastar.

*****

"UPATYAKA"

Dr. Nidhi Bhatt
Assistant Professor (English)

In the midst of pandemic,
Everyone is in panic,
Where, one or the other is sick,
There comes the academic.
Anyhow we have to stand,
Walk together hand in hand.
Just in the blink of eyes,
We can have the replies.
Finally, from Bhanupratapa,
Here comes our 'Upatyaka'.

मेक इन इण्डिया

डॉ. आर. के. एस. ठाकुर
विभागाध्यक्ष, वाणिज्य

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने देश के विकास और लोगों को लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की। जिसमें से उन्होंने मेक इन इंण्डिया की भी नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरूआत 25 सितंबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में की थी। मेक इन इंण्डिया का मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को अपने देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना इसके साथ ही भारत में नागरिकों को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान करना है ताकि अंतराष्ट्रीय स्तर पर शरत की एक अलग पहचान बन सके। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण उद्योग को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

मेक इन इंडिया का मतलब है मेड इन इंडिया अर्थात जिन वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में ही किया गया हो। अगर ज्यादातर वस्तुएं हमारे देश में ही बनी होंगी तो साफ है कि इन वस्तुओं की कीमत भी कम होगी क्योंकि जब किसी वस्तु का बाहर से आयात किया जाता है तो उसमें टैक्स लग जाने की वजह से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, वहीं अगर वस्तुओं का निर्माण हमारे देश में होगा तो अन्य देशों में वस्तुओं के निर्यात करने की संभावना बढ़ेगी और अपने देश की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ–साथ देश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मेक इन इंडिया अभियान के तहत मोदी सरकार का करीब 30000 कम्पनियों को भी जोड़ने का उद्देश्य है। इससे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी साथ ही विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। मोदी सरकार का मुख्य लक्ष्य मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत साल 2022 तक सभी सामान का निर्माण भारत में शुरू करना है। इसके अलावा 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार भी सृजित करना है। मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात अन्य देशों में करना है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में करीब 12 से 14 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करना है।

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी हां एक तरफ मेक इन इंडिया यहां लोगों को फायदा पहुंचाने वाली साबित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया से कई क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। इससे जहां औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत कई कंपनियों का निर्माण किया जा रहा है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का विलोपन हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर कारखाने प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा उपभोग करते हैं। इसलिए ऐसे संसाधन विलुप्त होते जा रहे हैं। संक्षेप में कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे जिससे स्वरोजगार एवं उद्योग को नई दिशा मिलेगी।

*****

जनजातीय संस्कृति :

मेनहिर (उर्सकाल)

प्रो. एन. आर. साव
सहा. प्राध्यापक, हिन्दी

डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग
सहा. प्राध्यापक, समाजशास्त्र

बस्तर अचंल एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, अनेक जनजातियों के लोग निवास करते हैं। जिनमें मुरिया, माड़िया, गोड़, हल्बा, भतरा, गदबा, ध्रुव, परजा प्रमुख है। इन जनजातियों की संस्कृति, नृत्य, गीत, प्रथाएं, रीति–रिवाज, संस्कार सभी विलक्षण, अद्‌भूत और आकर्षक होता है। इनकी संस्कृति में एक ऐसा तिलिस्म है, जिनके सम्मोहन में आकर हर कोई खीचे चले आते हैं।

यूं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तीन प्रकार के संस्कार सन्निहित होते हैं :–

1. जन्म संस्कार
2. विवाह संस्कार
3. मृतक संस्कार

जनजातियों के इन्हीं मृतक संस्कार से संबंधित एक अद्‌भूत पारलौकिक प्रक्रिया जिनमें उनको धार्मिक भावनाओं के साथ–साथ उनके सांसारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। यह विलक्षण और अचंभित पारलौकिक प्रक्रिया जिन्हें "**मेनहिर**", उर्सकाल, कोटोकाल तथा सामान्य भाषा में मृतक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। **मेनहिर** की यह परम्परा जनजातीय समाज की भव्यता के प्रति सहज ही आकर्षित करती है। भले ही वह भव्यता में मिश्र की पिरामिड जैसा तो नहीं है, परन्तु अपने आप में अजूबा अवश्य है।

इस बस्तर अंचल के गोड़, मुरिया, माड़िया जनजाति अपने बड़े बुजुर्गो के सम्मान में अपने परिजनों के मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को जीवंत और चिरस्थायी और अक्षुण बनाये रखने के लिए मृतक स्तंभ (**मेनहिर**) बनाते हैं।

"**मेनहिर**" की यह परम्परा पाषाणयुगीन संस्कृति से साम्यता रखती है। **मेनहिर** की परम्परा का उल्लेख डॉ. बैरियर एल्विन ने अपनी प्रमुख कृति **"ट्राइबल आर्ट ऑफ मीडिल इण्डिया"** में बस्तर के दण्डामी माड़ियाओं के संदर्भ में किया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक एक शिलाखंड को "**मेनहिर**" के रूप में मृतक के स्मृति–स्वरूप स्थापित करते थे। यह प्रायः 6से 7 फीट ऊँचा, नुकीला और चौड़ा होता था। कहीं कहीं पर 15 फीट ऊँचा नुकीला एवं चौड़ा **मेनहिर** भी स्थापित किया जाता था।

"**मेनहिर**" या स्मृति स्तंभ का निर्माण मृतक क्रिया–कर्म के दशगात्र तक बनाये जाते है, उनमें विशिष्ट आकृति या चित्र उकेरे जाते हैं। इन चित्रों के माध्यम से मृतक व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, जीवन स्तर, रहन–सहन, खान–पान तथा टोटम को दर्शाया जाता है। वर्तमान समय में इनमें आधुनिकीकरण के कारण बनाये जाने वाले चित्रों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है।

मेनहिर के स्वरूप और आकार में भी परिवर्तन आया है, पाषाण युग में पत्थर के, तत्पश्चात लकड़ी एवं वर्तमान समय में ईट, क्रांकीट और पत्थर के **मेनहिर** भी बनाये जाते हैं, जो औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा यंत्रीकरण को दर्शाता है।

पहले खद्दर–खपरैल के मृतक स्तंभ बनाये जाते थे, लेकिन अब चबूतरा के आकार, मंदिरनुमा, मृतक व्यक्ति की प्रतिमा तथा विभिन्न वाहन पर बैठे चौड़े स्मृति स्तंभ भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन **मेनहिर** (मृतक स्तंभ) की समय–समय पर पूजा, आराधना भी की जाती है। गांव के मुखियां, सिरहा, गुनिया के **मेनहिर** प्रायः अधिक होते हैं।

प्रत्येक जनजाति गांवों में जनजातियों के गोत्र भूमि या श्मशान भूमि अवश्य होती है और यह उनके पूर्वजों से संबंधित होने के कारण पवित्र मानी जाती है। इस गोत्र भूमि में एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी पीढ़ी को भी स्थापित करने के लिए उसी देव भूमि का उपयोग करते हैं। मृतक की आत्मा जिन्हें जनजाति देवतुल्य मानकर "जीव" कहते हैं, उन्हें पूर्वजों के साथ देवलोक में स्थापित करने के लिये मृतक संस्कार के समय धार्मिक आयोजन के साथ–साथ स्थापित करने की रस्म निभाई जाती है। इस कार्य को अक्को मामा अर्थात् (समधान पक्ष) के द्वारा किया जाता है। अक्को मामा के साथ–साथ अन्य व्यक्ति भी सहयोग करते हैं, इनके रस्म भी अन्य समाजों से अलग है। अक्को मामा "हातूर ढोल" जिसे "मृतक ढोल" भी कहा जाता है, को बजाता है। इनमें विशेष तरह के पाढ़ बजते हैं, उनके धुन पर अक्को मामा के साथ–साथ युवक–युवतियां भी नृत्य करते हैं।

अक्को मामा द्वारा निर्धारित व्यक्ति कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर स्थापित करने वाले पत्थर के सामने जाते हैं। यह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं होता बल्कि विशिष्ट स्थान का होता है। गोत्र के अनुसार स्थान का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिये काऊदो वंश के लिये देवडोंगरी नाम की पहाड़ी से पत्थर लाते हैं। उसको अक्को मामा जो कि हिचामी वंश के गायता होता है, गोबर की लिपायी कर चौक बनाकर, शराब, दाल एवं चावल उस विशेष पत्थर के सामने रखकर जमीन की खुदाई कर उसे निकालने का प्रयास करता है। अगर वह आसानी से निकल जाता है, तो यह माना जाता है कि देव (आत्मा) प्रसन्न है। अगर आसानी से नहीं निकालता तो यह समझा जाता है मृत व्यक्ति की आत्मा (देव) नाराज है। फिर उसे प्रसन्न करने अभिमंत्रित कर (जिसे **लेस्को आना** भी कहा जाता है) काले मुर्गे की बलि दी जाती है।

इस तरह निकाले गए विशेष पत्थर को अक्को मामा और उसके सहयोगी उसे विशिष्ट आकार प्रदान करने के लिये बिना पाये के लकड़ी के तख्त पर रखकर नये कपड़े से ढककर काऊदों वंश की श्मशान भूमि पर लाते हैं। अलग–अलग गोत्र के लिए अलग–अलग भूमि स्थान होती है। उदाहरण के तौर पर काऊदों वंश को लिया गया है। पत्थर लाते समय इस बात का खास–ध्यान रखा जाता है कि वह गांव से ना गुजरे। इसका कारण यह होता है कि वहां मृतक की आत्मा (अर्थात देव) का स्थान है जो साथ–साथ चलते हैं। रास्ते में घर की बहन, बेटियां रास्ता रोककर नेंग स्वरूप पैसे की मांग करती है। नेंग के रूप में पैसे या वस्तु प्राप्त कर पत्थर को स्नान कराकर "गप्पा–टोकरी" जिसमें चावल भरी होती है, उस पर

रखकर सभी उपस्थित जन हल्दी चावल टीके लगाकर हनाल कोट (श्मशान भूमि) तक लाते हैं। पत्थरों में प्रायः जिन रंगो का प्रयोग किया जाता है वह गेरूवा, लाल, हरा, काला, पीला, नीला, अर्थात चटकीले रंगो का होता है। चूंकि जनजाति अरण्यक संस्कृति एवं प्रकृति के सन्निकट होते हैं, अतः उनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों वे समायोजन करना जानते हैं, इसलिए इन रंगो का इनके जीवन में महत्व है। यही भावना इनके चित्रांकन को जीवंत बनाता है।

मेनहिर में चित्रांकन मृतक व्यक्ति की अभिरूचि से संबंधित होता है। यह उस व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित होता है। यह उस व्यक्ति के स्वभाव को प्रदर्शित करने के साथ–साथ टोटम, गणचिन्ह, सामाजिक स्थिति एवं भोग–विलास से भी जुड़ा होता है। मृतक स्तंभ (मठ) पर सामान्यतः घोड़ा, बैलगाड़ी, दरबान, जीप, कार, मोटर सायकल की आकृति बनायी जाती है।

दैनिक समाचार–पत्र **"भास्कर"** के दिनांक 06 नवम्बर 2020 के अंक में प्रकाशित आलेख में इसका उल्लेख किया गया है कि मृत्यु के पश्चात मृतक व्यक्ति को जिन नामों से जाना जाता है, **मेनहिर** में उसका भी चित्रांकन किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम बहादूर है, तो उसे पहचान देने के लिए उसके मृत्यु पश्चात उसकी गदा पकड़ी हुई मूर्ति स्थापित की जाती है।

*वर्तमान में **मेनहिर** के उदाहरण :–*

1. आधुनिकीकरण के इस दौर में **मेनहिर** में स्पष्ट रूप से बदलाव परिलक्षित हो रहा है। जैसे कांकेर से नरहरपुर जाने वाले मार्ग में स्कूटर पर सवार हेलमेट लगाये हुए व्यक्ति की प्रतिमा अनायास ही राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह **मेनहिर** यातायात के साधनों में परिवर्तन के रूप में स्कूटर का प्रयोग किये जाने की स्थिति को दर्शाता है। साथ ही साथ सुरक्षा के लिये "हेलमेट" की उपयोगिता को बताते हुए उसके प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है।
2. दूसरे **मेनहिर** में एक किसान बैलगाड़ी पर बैठा हुआ है। बैलगाड़ी में धान की फसल लदा हुआ है, जिसका कुछ अंश नीचे गिर रहा है। जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता कि वह व्यक्ति एक संभ्रांत कृषक है, जो अपने पीछे भरे–पूरे परिवार के साथ–साथ सुख संसाधन एवं धन–धान्य छोड़कर जा रहा है। उसके चेहरे के भाव में अपार संतुष्टि झलक रहा है और दो बैल उसकी गृहस्थी को दर्शा रहा है।

इस तरह कहा जा सकता हैं कि जनजातीय समाज की परम्पराएं आज भी विद्यमान है। जो यह दर्शाता है कि भले ही समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है फिर भी वे अपने पूर्वजों के प्रति असीम निष्ठा, समर्पण तथा उनको देवतुल्य मानकर उनकी असीम यादों को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपनी संस्कृति को हस्तांतरित करने का सार्थक प्रयास जारी है।

*****

आत्माभिव्यक्ति जारी रहे...

डॉ जय सिंह
सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान)

मनुष्य जीव जगत में श्रेष्ठ प्राणी है। मानव ने अपनी उत्पत्ति के बाद से आज पर्यंत लगातार विकास किया है। इस सफर में सृष्टि के अन्य जीवों व पदार्थों को मानव ने अपने विकास का साधन बनाया। पाषाण काल से वर्तमान तक मानव के इन प्रयासों व सफलताओं का इतिहास हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे पास शाब्दिक और अशाब्दिक अभिव्यक्ति की विशिष्ट योग्यता मौजूद है। जरा सोचिये ! यदि हमारे पूर्वजों ने अपने प्रयासों व जानकारियों को सांकेतिक चित्र रूप में या लिखकर अभिव्यक्त नहीं किया होता तो क्या आपको उनके बारे में कुछ भी पता होता ? स्पष्ट है कि मानवीय श्रेष्ठता उसकी भाषाई व सांकेतिक अभिव्यक्ति की योग्यता के कारण ही है। यदि एक मानव की तुलना दूसरे मानव से भी करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अपनी योग्यता की अभिव्यक्ति बेहतर ढंग से करता है वह दूसरों की अपेक्षा अधिक योग्य दिखाई देता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि वास्तव में ऐसा ही हो। उपयुक्त समय व स्थान पर योग्य व्यक्ति द्वारा स्वयं की अभिव्यक्ति न किये जाने के कारण कम योग्यता वाले निर्णय लेते हैं जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। कहा भी गया है कि समाज को अयोग्य लोगों से कोई खतरा नहीं बल्कि सामर्थ्यवान और योग्य लोगों के सामने आकर नेतृत्व न करने से वास्तविक खतरा उत्पन्न होता है।

दैनिक जीवन में भी अभिव्यक्ति की योग्यता का बड़ा महत्त्व है। आप उतने ही अच्छे विद्यार्थी माने जायेंगे, जितने बेहतर ढंग से कक्षा या परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर बोलकर या लिखकर प्रस्तुत करेंगे। आपके नियमित व मेहनती होने का वास्तविक लाभ भी प्रस्तुतिकरण के बाद ही प्राप्त होगा। परिवार में एक दुसरे के प्रति स्नेह बने रहने के लिए भी अपनी भावनाओं को जाहिर करना आवश्यक होता है। जब आप अपनी माँ, पिता, भाई, बहन या किसी भी पारिवारिक सदस्य से कहते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनका आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है तो वे खुश होते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं जिससे संबंधों में मजबूती आती है। दूसरी तरफ यदि आप कुछ दिन किसी से बात नहीं करते या उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं करते तो यह लगने लगता है कि आपसी स्नेह में कमी आ गयी है। यही बात अन्य सामाजिक संबंधों में भी लागू होती है। सामाजिक रूप से बेहतर व्यक्ति समाज में स्वयं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। एक बेहतर शिक्षक तुलनात्मक रुप से विषय का प्रभावी प्रस्तुतीकरण करता है और अभिनेता या अभिनेत्री अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति शैली के कारण ही दूसरों से बेहतर दिखाई देते हैं। अतः ऐसा कोई भी व्यक्ति या समाज नहीं जिसमें विशिष्ट योग्यताएं निहित न हों, अंतर बस अभिव्यक्ति का ही है।

सार रूप में कहा जाय तो बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेषताओं के साथ जन्म लेता है। विकास के क्रम में हमें स्वयं की अधिकतम योग्यता को अभिव्यक्त करने की कला विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस क्रम में महाविद्यालय की विभिन्न सह–शैक्षणिक व बौद्धिक गतिविधियों में यथा–संभव प्रतिभाग करना चाहिए। गुरुजनों को भी यह कर्तव्य रूप में सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी आत्माभियक्ति में सक्षम बने। यदि ऐसा होगा तो हमें किसी भी विद्यार्थी से यह नहीं पूछना पड़ेगा कि वह भविष्य में क्या करेगा। उसका लक्ष्य स्वयमेव उसकी अभिव्यक्ति में ही प्रकाशमान होगा। वास्तव में शिक्षा की यही सार्थकता है। प्रत्येक विद्यार्थी को उज्जवल भविष्य की अशेष शुभकामनाओं सहित...

*****

मानव विज्ञान

डॉ. राजेश शुक्ला
पूर्व अतिथि व्याख्याता (मानव विज्ञान)

''मानव विज्ञान आपको लक्ष्य प्राप्त करने का असर प्रदाय करता है''

मानव विज्ञान विभाग की स्थापना भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर में बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर अन्तर्गत वर्ष 2018 में किया गया है। विभाग के तत्कालिक प्राचार्य डॉ. कोमल सिंह शार्वा, प्रो. शरद ठाकुर विभागाध्यक्ष, डॉ. राजेश शुक्ला अतिथि व्याख्याता (मानव विज्ञान) के मार्गदर्शन में संचालित होना आरम्भ हुआ।

मानव विज्ञान के अध्ययन को चार प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जाता है–

- जैविक–शारीरिक मानव विज्ञान
- सामाजिक–सांस्कृतिक मानव विज्ञान
- भाषाई मानव विज्ञान
- पुरातात्विक मानव विज्ञान

भारत में 31 से अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक कला एवं विज्ञान, स्नातकोत्तर कला एवं विज्ञान, मास्टर ऑफ फिलॉसफी अन्तर्गत प्रागैतिहासिक मानव विज्ञान, शारीरिक–जैविक मानव विज्ञान, सामाजिक–सांस्कृतिक मानव विज्ञान, व्यवहारिक मानव विज्ञान, व्यापार मानव विज्ञान, फॉरेंसिक मानव विज्ञान, चिकित्सा मानव विज्ञान, मानव अनुवांशिकी, जनजाति अध्ययन आदि विषयों में अध्ययन एवं विशेषज्ञता के अवसर प्रदान किया जाता है।

मानव विज्ञान के सामाजिक क्षेत्रों में क्षेत्र कार्य एवं शोध में शामिल होने के कारण अन्य विषयों से अधिक विशिष्ट प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस विशेष प्रविधि के कारण, मानव वैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्र में कार्य/सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। जैसे भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय खेल प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूरोपियन कमीशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोश, महामारी विज्ञान, चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थानों में, भाषा विज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, केयर परामर्शदाता, क्षेत्र अन्वेषक, शासकीय अनुसंधान संस्थान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, कला गैलरी क्यूरेटर, प्रकाशन गृह, गैर सरकारी संस्थानों, अभिलेख संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, पुस्तकालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन आदि। इस प्रकार यह विषय इसका अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

*****

महाविद्यालयीन प्राध्यापक परिवार

प्रथम पंक्ति (बांये से दांए)– प्रो. नवरतन साव,डॉ. व्ही.के. रामटेके,डॉ.स्वामी राम बंजारे,डॉ.आर.के.एस. ठाकुर, प्रो.पी.एस.गौर,डॉ. के.आर.ध्रुव (प्राचार्य),डॉ.कमला ठाकुर,डॉ.लक्ष्मी लेकाम,डॉ.अर्चना सिंह,डॉ.बंसत नाग,डॉ.निधि भट्ट

द्वितीय पंक्ति (बांये से दांए)– ले. विजय प्रकाश साहू,डॉ.जयसिंह,प्रो.पी.किण्डो,प्रो.ए.के.ज्योति,प्रो.एस.के.सिन्हा, प्रो.आर.कुलदीप,प्रो.सुमिता पाण्डे,डॉ.किरण वर्मा,डॉ.पूनम साहू,डॉ.शर्मिला सोनी,डॉ.योगिता साहू

तृतीय पंक्ति (बांये से दांए)– मनीष कुमार अठभैया,सेमंत बघेल,गिरीश साहू,राकेश कुमार थवाईत,चित्रसेन राय, कोमल सिंह भलावी,मुकेश कुमार चंद्राकर,कु.पुष्पलता कंवर,कु.आकांक्षा टाण्डिया,कु.अनूजा कुजूर,कु.गीतांजली देशलहरा कु.सीमा साहू

बायें से दायें– प्रो. नवरतन साव (संपादक), डॉ. के. आर. ध्रुव (प्राचार्य), डॉ. अर्चना सिंह (संपादक), डॉ. जय सिंह (सह–संपादक)

प्रथम पंक्ति (बांये से दांए)– प्रो.पी.एस.गौर, डॉ स्वामी राम बंजारे, डॉ.के.आर.ध्रुव (प्राचार्य), डॉ अर्चना सिंह डॉ.लक्ष्मी लेकाम, प्रो.आर.कुलदीप

द्वितीय पंक्ति (बांये से दांए)– प्रो.नरेन्द्र कुमार साहू,प्रो.एस.के.सिन्हा,प्रो.व्ही.के.रामटेके

महाविद्यालयीन कर्मचारी परिवार

प्रथम पंक्ति-नीचे बैठे हुए (बायें से दायें):- श्रीमती द्रोपती जैन, श्रीमती राजकुमारी शोरी
द्वितीय पंक्ति- (बायें से दायें):- श्री संतराम अहरवाल, डॉ. कृपाराम ध्रुव (प्राचार्य), श्री मनीराम यादव, श्री सुनेश्वर ठाकुर
तृतीय पंक्ति- (बायें से दायें):- श्री सूरज कुमार बिछिया, श्री दिवाकर वर्मा, श्री बिदेराम मरकाम, श्री गोवर्धन ध्रुव, श्री भुवन लाल भूआर्य, श्री भारत सिंह कँवर
चतुर्थ पंक्ति- (बायें से दायें):- श्री पुरुषोत्तम कुमार यादव, श्री मनोज ठाकुर, श्री रिखीराम भूआर्य, श्री चम्पालाल नेताम, श्री खेमुराम पटेल

मुख्य लिपिक श्री एस के वर्मा को सेवा निवृत्ति पर विदाई

कर्मचारी श्री मनीराम यादव को सेवा निवृत्ति पर विदाई

महाविद्यालयीन एन.सी.सी. परिवार

प्रथम पंक्ति (बांये से दांए)– टिकेश्वर चकटिया, हेमंत कुमार, डॉ.के.आर.ध्रुव प्राचार्य, ले. विजय प्रकाश साहू, नीलकमल, नवरतम वट्टी
द्वितीय पंक्ति (बांये से दांए)– खिलेश्वर साहू, सचिन नेताम, तरुणराज साहू, मूलचंद साहू,नवीन साहू विजय कुमार, पूनमचंद सेन

रासेयो स्वयंसेविका कु. शिल्पा साहू मान. उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी से उत्कृष्ट स्वयंसेविका का पुरस्कार ग्रहण करते हुए

विमुद्रीकरण

मुकेश कुमार यदु
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)

भारत एक विकासशील देश है जो दिन–प्रतिदिन विकास की बुलंदियों को छूता जा रहा है। ऐसे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोट–बंदी करने का निर्णय एक बहुत ही कठिन निर्णय था, जो कि भारत की मोदी सरकार ने लिया। ऐसे में बहुत से आम लोगों को तकलीफ हुई परन्तु भ्रष्टाचार और काला धन जैसी समस्या कम भी हुई, जिसके कारण कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की नई क्रांति आई है। नोट–बंदी के बाद नागरिकों को एक निर्धारित समय सीमा दी गयी जिसके अंतर्गत वे बैंको में जाकर बंद हुए नोटों को बदल सकें और उतनी ही कीमत के नए नोट ले सकें।

नोट–बंदी को ही *विमुद्रीकरण* कहा जाता है। नोट–बंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्य के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना जिससे वे किसी भी काम के नहीं रहते, न ही उनसे कोई लेन–देन किया जा सकता है और न ही कुछ खरीदा जा सकता है। दूसरे शब्दों में जब पुराने नोटों और सिक्कों को बंद करके नए नोट और सिक्के चलाए जाते हैं उसे नोट–बंदी या विमुद्रीकरण कहते हैं।

सन् 2016 में नोट–बंदी से पहले बहुत से जाली नोट भी पाए गए थे जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे थे। देश के अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए नोट–बंदी की आवश्यकता पड़ी। भ्रष्टाचार, कालाधन, नकली नोट, महंगाई और आतंकवादी गातिविधियों पर काबू पाने के लिए नोट बंदी का उपयोग किया जा सकता है। विमुद्रीकरण हमारे भारत देश के लिए कोई नई बात नहीं थी। हमारे भारत में पहली बार सन् 1946 में 500, 1000 और 10 हजार के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। 1970 के दशक में भी प्रत्यक्ष कर की जांच से जुड़ी वांचू कमेटी ने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था, लेकिन सुझाव सार्वजनिक हो गया, जिसके चलते नोट–बंदी नहीं हो पाई। जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10 हजार के नोट बंद कर दिए। हालांकि तत्कालीन आरबीआई गवर्नर आई जी पटेल ने इस नोट–बंदी का विरोध किया था। भारत में 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 2005 से पहले के 500 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। 2016 में भी मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों की नोट–बंदी या विमुद्रीकरण का फैसला किया। इन दो करेंसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के 86 प्रतिशत भाग पर कब्जा किया था, यही नोट बाजार में सबसे अधिक चलते थे।

नोटबंदी के दौरान पूरा भारत कैशलेस हो गया था। सारा लेन देन ऑनलाईन हो गया था। विमुद्रीकरण ने लोगों को थोड़े दिन की परेशानी जरूर दी थी लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा लाभ भी हुआ है। विमुद्रीकरण की योजना उतनी सफल नहीं रही, जितनी होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी काफी हद तक इससे बहुत फायदा हुआ है।

*****

Empowering Women through Entrepreneurship

Divya Dewangan
Guest Lecturer (Commerce)

Women empowerment has become the key element in an economy's growth, with women going forward the family moves, the village moves, and the country moves, hence the first prime minister of India Jawaharlal Nehru said about the importance of women that "You can tell the condition of the nation by looking at the status of its women". A large percentage of the women workforce still resides in the village where they are unemployed because they don't get the basic infrastructure and financial assistance, and their level of education is also not worth it, that they can accurately predict risks and no business work they can do . Because of which neither they can contribute to their family nor for society.

Nowadays, Women Empowerment has emerged as an important issue for the country development as well as the economy. In the Indian context women empowerment is a big issue for the development of the country. Women Empowerment through entrepreneurial activities is a vital component to develop the economy. Entrepreneurship is the best way to enhance financial empowerment and self-sufficiency, participation in entrepreneurial activities helps in the overall empowerment of women like social equality, personal rights, political participation, property rights , community development , and the last most important national development.

In almost every community and in every domain of life, women assume unequal position and status; thus it is crucial to empower them by providing equal opportunities.The term empowerment is a multidimensional social process and it helps people expand control over their own lives. Empowerment of women is not only imperative but also crucial for all-round development of society and the nation as a whole. The issue of 'Empowerment of women' has became a central point in the programs and activities of the government and the non-government organisations. Thereafter, it has also become a major concern of politicians, social bureaucrats, scientists, and researchers. Empowering women is to build them independently in all dimensions from the mind, thoughts, rights, decision, financial, etc. by leaving all the family and social limitations. It is to bring equality in the society between males and females in all areas.

Women entrepreneurs may be defined as a "Women or a group of women who initiate, organise and run a business enterprise." The Indian government has identified women entrepreneurs based on participation of women in business sector. Therefore, a woman entrepreneurdefines as "an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51%of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women."

The issue of women's empowerment has since recently become a major problem throughout the world, including India. In India women are showing to come main stream of development, entrepreneurship is a key to enhance the empowerment of women who stand weakest section of society. Business skills, awareness and adaptability are the main reason for women to become business venture but Indian women are facing some major problems to run business and become empower like, lack of confidence, socio-cultural barrier, risk taking ability, motivation, willingness to do something new, lack of knowledge of business administration, awareness about financial assistance, skill ability, identify the risk and opportunity, lack of family and community support,etc.

Highly educated, technically sound and skilled women should not be reliant on salary jobs, but should be encouraged to operate their own enterprise. In order to increase women empowerment, unexplored talents of young women can be recognized, educated and used for different types or business. Also recognizing the role of women entrepreneurs in economic development and taking steps to promote women entrepreneurship.

*****

वक्त बड़ा बलवान है

प्रियंका दौलतानी
अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य)

ये वक्त भी कितना बलवान है,
बिना कुछ कहे ही, बहुत कुछ सिखाता है।
कभी गिराता है, कभी उठाता है कभी गिरकर चलना सिखाता है,
बिना कुछ कहे ही, बहुत कुछ सिखाता है।
ये वक्त हीं तो है जो, अपने में गैरों का पता लगाता है,
बिना कुछ कहे ही, बहुत कुछ सिखाता है।
गैर जिम्मेदार को जिम्मेदार, अनुशासनहीन को अनुशासित बनाता है,
बिना कुछ कहे ही, बहुत कुछ सिखाता है।
वक्त भी एक महान शिक्षक है,
परे ये बिना किताब, बिना छड़ी, बिना आवाज सब कह जाता है,
बिना कुछ कहे ही, बहुत कुछ सिखाता है।
अभिमान ना करे दौलत, पद, प्रतिष्ठा का
क्योंकि ये वक्त है जनाब और वक्त तो सबका आता है,
बिना कुछ कहे ही, बहुत कुछ सिखाता है।

*****

''रक्तदान महादान''

(मेरा अनुभव)

कु. शिखा सोनी
एम.ए. तृतीय सेमेस्टर (अर्थशास्त्र)

मैं कु. शिखा सोनी एम.ए. तृतीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र की छात्रा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं 18 वर्ष की हुई, मैंने पहली बार 08 दिसम्बर 2017 को रक्तदान किया था। मेरे महाविद्यालय भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 5 सितंबर 2015 को शिक्षक दिवस एवं गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के पुरूष इकाई के कार्यक्रम अधिकारी प्रो. एन. आर. साव तथा महिला इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग के मार्गदर्शन में ''गणराज्य रक्तदान समूह'' की स्थापना की गई। जिसके संस्थापक हमारे वरिष्ठ स्वयंसेवक साथी युवराज नेताम हैं। मुझे बचपन से ही सबकी मदद करनी थी परंतु यह अवसर मुझे बहुत वर्षों बाद महाविद्यालय में आयोजित इस शिविर में प्राप्त हुआ।

मैं अक्सर छोटी–छोटी बातों से डर जाती थी। थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो घबरा जाती थी, पर रक्तदान कर जब किसी की जान बचाई तब उसके परिवार की खुशी देख मुझे हिम्मत आ गई। दुनिया में कई ऐसे लोग है जिन्हें एक खरोच भी आ जाए तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनमें से एक मैं भी थी, लेकिन बात जब किसी की जिन्दगी बचाने की हो तो ब्लड निकालने वाली निडिल का दर्द महसूस ही नहीं होता है।

मैंने आज तक **छः बार** रक्तदान किया है और रक्तदान करने से मुझे कोई भी परेशानी नही हुई, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मुझे याद है जब प्रथम बार रक्तदान किया था उसके छः महीने बाद मुझे फिर से रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। दिनांक 15 जून 2018 को वो एक वृद्ध महिला थी जिनका नाम मितानिन बाई था, उनके परिवार में कोई नहीं था। उनके पड़ोस में एक लड़का था जो उनका मुँहबोला बेटा था उसने मेरी मित्र को बताया और मेरी मित्र ने मुझे और मैंने तुरन्त ही जाकर रक्तदान कर दिया। उन्होंने मुझे पैसे देने चाहे पर मैंने कहा ये निःशुल्क मदद है आप इन पैसों से उनका अच्छे से ईलाज कराइए। जब तीसरी बार रक्तदान किया तब एक महिला थी जो बहुत बीमार थी मुझे भी रक्तदान किये तीन महीने हो गए थे और उन्हे रक्त की सख्त जरूरत थी।

दिनांक 23 अक्टूबर 2018 को रा.से.यो. समूह के माध्यम से पता चला और मैंने रक्तदान किया। चौथी बार किया तब मेरे पिताजी के मित्र को सड़क दुर्घटना में अत्यधिक चोट लगी थी, तब पिताजी के बताने पर मैंने तीन महीने पूरे होने से पूर्व ही धमतरी जाकर

रक्तदान किया था। पॉचवी बार एक लड़की थी जो कि बहुत कमजोर थी, उसके शरीर में सिर्फ 3 ग्राम ही रक्त बचा था। उसे रक्त की अत्यधिक आवश्यकता थी। मैंने उसे रक्तदान किया तथा उसके बाद जब मैं उससे मिलने गई तो उसकी हालत देखकर दया आयी, साथ ही गर्व महसूस हुआ कि मैं उसकी सहायता कर पाई। 14 अक्टूबर 19 को मुझे छठीं बार रक्तदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीमती बबीता यादव गर्भवती महिला थीं जिनके शरीर में रक्त की कमी होने से उन्हें तत्काल रक्त की आवश्यकता थी।

मैं आभारी हूँ अपने माता–पिता की जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए एवं दूसरों की मदद करना सिखाया। मॉं ने आज तक यही बताया– बेटा आप सब की मदद करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। साथ ही अपने महाविद्यालय के सभी गुरूजनों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रक्तदान करने का प्रथम अवसर प्रदान कर मुझे इस मानव सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अगर मुझे आगे भी रक्तदान का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं इस सहयोग हेतु हमेशा तत्पर रहूँगी...

*****

लेख, लेखक और लेखन

शशिकला साहू
बी.ए. भाग– दो

हमारे दैनिक जीवन में लेखक और उसके लेखन का बहुत बड़ा महत्व है। लेखन कला है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातें सही ढंग से लोगों तक पहुँचा सकते हैं।

प्राचीन काल से ही लेखकों के द्वारा लेखन कार्य किया जाता रहा है। लेखन कार्य इतना भी आसान नहीं है कि हर व्यक्ति एक अच्छा लेखक बन जाए। क्योंकि लेख, निबंध, कहानी, कविता आदि लिखने के लिए कोई समय सारणी नहीं होती है। यह तो उस समय लिखा जाता है जब हमारे मन में एक स्फूर्ति आती है चाहे वह समय दिन का हो या आधी रात, हमारा मन बेचैन हो उठता है, तब हमें उस विषय पर जिस विषय में हम चिंतन कर रहे होते हैं लेख लिखने की प्रेरणा मिलती है।

विश्व में बहुत खरे लेखनकर्ता हुए जिन्होंने बहुत सारी कहानी, कविता, निबंध, जीवनी, रेखाचित्र आदि लिखे। अच्छे लेखकों की एक लेखन लोगों की सोच बदल देती है, लोगों की जिन्दगी बदल देती है।

मुंशी प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, कबीर दास, तुलसीदास आदि बहुत बड़े बड़े कहानीकार, उपन्यासकार, कवि, निबंधकार हुए जिन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाया और उनके दिल में घर कर लिया।

इन्होंने कई विषयों पर लेख लिखे जैसे– बेरोजगारी, गरीबी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, कर्मकाण्ड आदि। जिसे पढ़ने के बाद हमारे मन में एक उत्साह, एक जोश उत्पन्न होता है और हम अपने मन में यह ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है अपने लिए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और जब तक हम कुछ अच्छा न कर लें हमें चैन नहीं मिलता है।

एक कवि की कविता और एक लेखक के कहानी के माध्यम से ही हम अपने देश और अपने समाज के विकास की ओर बढ़ते हैं। एक लेखक ही होता है जो हमें इस दूनिया का सही ढंग से आईना दिखाता है।

कहा भी गया है कि *''साहित्य समाज का दर्पण होता है।''* यदि कुछ ही पल के लिए हम यह सोच लें कि यदि इस दुनिया में कोई लेख नहीं होता तो क्या होता? यदि कोई लेखक ही नहीं होते तो लिखने की इच्छा ही नहीं होती तो क्या होता?

ज्यादा कुछ नहीं होता डरिए मत। बस हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हम क्या हैं, क्या थे? इन सब बातों की हमें जानकारी बिलकुल भी नहीं होती और शिक्षा...! इसकी तो कल्पना भी नहीं होती।

अर्थात लेखन का कार्य सभी लोगों को करना चाहिए। सभी के लिए न सही अपने लिए ही सही लेकिन लेखन हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है।

ए कलम गजब तेरी माया,
जज के हाथ लगी तो जिंदगी और मौत का फैसला आया।
बच्चे के हाथ लगी तो,
उनका भविष्य बताया।
***डॉक्टर** के हाथ लगी तो किसी को हँसाया और किसी को रूलाया।*
और एक लेखक के हाथ लगी तो,
पूरी दुनिया को उसने आईना दिखाया।

अतः यह स्पष्ट है कि सिर्फ आधुनिक काल में ही नही बल्कि प्राचीन काल से ही लेखकों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। यदि लेखक नही होंगे तो लेखन नहीं होगा और लेखन नहीं होगा तो हम सबसे अनजान बनकर किसी एक कोने में पड़े रहेंगे अर्थात लेखक और लेखन दोनों ही मानव जीवन में बेहद महत्वपूर्ण हैं।

*****

"गणराज रक्तदान समूह का गठन"

युवराज सिंह नेताम
भूतपूर्व छात्र

मुझे अच्छी तरह से याद है कि दिनांक 12 नवंबर 2013 को मेरे ग्राम–उरझे, पोस्ट–भर्रीटोला, तहसील–डौंडी, जिला–बालोद में जिन्हें मैं दादा जी कहा करता था, श्री स्व. सावन लाल नेताम उम्र 45 वर्ष, पिता श्री सोनऊ राम नेताम की मृत्यु खून की कमी के कारण हुई। यह बात मुझे पता चलने पर इस घटना ने मेरे दिल को झिंझोड़ दिया और मैं निराश हुआ। समय के साथ में यह घटना धुंधलाते गया। इसके एक वर्ष के बाद आगे की पढ़ाई करके लिए मैंने जुलाई 2014 में भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में बी.ए. भाग प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। सेवा कार्य में रूचि होने के कारण मैं राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों से परिचित हुआ। जिसमें प्रमुख रूप से रक्तदान करने की परम्परा रही है।

महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा जिला संगठक डॉ. कुरैशी मैडम, भुतपूर्व कार्यक्रम अधिकारी प्रो. एन.आर. साव, वर्तमान कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मनोज राव व डॉ. बसंत नाग द्वारा स्वयं सेवकों को हमेशा रक्तदान जैसे सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। महाविद्यालय में स्वयं सेवकों द्वारा प्रतिवर्ष 15 से 20 यूनिट रक्तदान किया जाता रहा है। यहां के रक्तदान परम्परा को देखकर मेरे मन में दादा जी की मृत्यु वाली घटना याद आ गई। तब मैं इस संबंध में धीरे–धीरे सोचना शुरू किया और ग्राम किरगोली में राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय विशेष शिविर की याद आ गई जहाँ विशेषज्ञों द्वारा रक्तदान के बारे में जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन के दिन कैम्प फायर हुआ जिसके अन्तर्गत देश सेवा एवं जनसेवा का संकल्प लिया गया। यह संकल्प पूरा करने का अवसर दिनांक 5 सितम्बर 2016 शिक्षक दिवस एवं गणेश चतुर्थी के दिन अपने दोस्त डोमेन्द्र पटेल, विकास यादव, संदीप द्विवेदी, योगेश राजपूत, पुष्पेन्द्र जैन व चेतन विश्वकर्मा के सहयोग एवं प्रो. एन.आर. साव, डॉ. मनोज राव तथा डॉ. बसंत नाग के मार्गदर्शन से गणराज रक्तदान समूह का गठन किया गया। खुशी की बात यह है कि इसी दिन स्वयंसेवक टिकेश्वर साहू ने रक्तदान कर गणराज रक्तदान समूह संगठन को सिद्ध कर दिया और रक्तदान से हमें आगे बढ़कर मानव सेवा करने के लिए प्रेरित किया, आज पर्यंत 500 से अधिक यूनिट रक्तदान किया जा चुका है जो निरन्तर जारी रहेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के दैनिक गतिविधि एक दिवसीय, दो दिवसीय या सात दिवसीय विशेष शिविर एवं इसके अतिरिक्त रक्त समूह परीक्षण एवं एड्स नियंत्रण, रक्तदान, पल्स पोलियो अभियान, कुष्ठ उन्मूलन अभियान, मलेरिया, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता रैली कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और समस्त आदेशों का पालन करते हुए मैं स्वयं 8 बार रक्तदान किया एवं दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करने का कार्य निरंतर जारी है। इस समूह में निःस्वार्थ भाव से रक्तदान किया जा रहा है। जिसमें न कोई फण्ड की व्यवस्था है न ही किसी अधिकारी का सहयोग है, हम सभी मिलकर यह कार्य निरंतर कर रहे हैं जिसे अभी तक 5 वर्ष हो चुका है। इस गणराज समूह में लगभग 200 से ऊपर सदस्य सम्मिलित हैं।

*****

बस्तर की भूगर्भिक संरचना

हिमांशु सिन्हा
बी.एस सी. भाग–दो

भूगर्भिक संरचना

बस्तर जिला मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है, जगदलपुर जिला मुख्यालय है। जिले का क्षेत्रफल 4029.98 वर्ग किमी. है।

बस्तर जिले का भू–पृष्ठ प्राचीन शैलों से निर्मित है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बस्तर जिले के शैलों को निम्नांकित समूहों में बॉटा गया है।

1. विन्धयन शैल समूह – लेटेराईट लौह अयस्क
2. कड़प्पा शैल समूह – इन्द्रावती समूह – शबरी समूह
3. प्राचीन ट्रेप – अबूझमाड़ समूह एवं समकक्ष (अ) अवसाद (ब) अग्नेय क्षारीयं
4. आर्कनियन ग्रेनाईट और – नीस ग्रेनाइट शैल समूह नाइस
5. धारवाड़ क्रम प्राचीन शैल – बैलाडीला समूह

1. **विन्धयन शैल समूह :–** यह केशकाल के पूर्व एवं पश्चिम भाग में कांकेर एवं कोण्डागॉव की सीमा के बीच तथा उत्तर पूर्वी पठार (कोण्डागॉव) पर विस्तृत है। यहां क्वार्टजाईट एवं बलुआ पत्थर की क्षतिजिक तहे हैं।
2. **कड़प्पा शैल :–** कड़प्पा–युगीन शैल बस्तर के एक चौथाई भाग में पाए जाते हैं ये चट्टानें मर्दापाल (कोण्डागॉव) से तीरथगढ़ (जगदलपुर तहसील) तक एवं चित्रकोट में भी पायी जाती हैं। यहां क्वार्टजाईट बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि चट्टाने मिलती हैं।
3. **प्राचीन ट्रेप :–** इसे दकनट्रेप के नाम से भी जाना जाता है यह विन्धयन और कड़प्प से भी प्राचीन है। इसके दो क्षेत्र हैं :–

   अ. अबूझमाड़ का पहाड़ी क्षेत्र जो ओरछा के पश्चिम में है तथा ब. परतापुर एवं कोयलीबेड़ा के बीच के क्षेत्र हैं। (ये दोनो क्षेत्र नारायणपुर तहसील में हैं।)
4. **आर्केनियन ग्रेनाइट और नाइस चट्टानें :–** ये चट्टानें बस्तर जिले के लगभग तीन–चौथाई क्षेत्र में दृष्टि गोचर होती हैं जो प्राचीन ट्रेप से भी पुरानी हैं। अबूझमाड़ के पहाड़ी प्रदेश, भानुप्रतापपुर तथा कोयलीबेड़ा क्षेत्र में ये चट्टाने पायी जाती हैं।
5. **धारवाड़ क्रम :–** धारवाड़ शैल कायांतरित अवसादी शैल हैं। ये भू–गर्भ में बहुत ही भ्रंशित एवं वलित रूप में पायी जाती हैं। ये शैल बस्तर के मध्य में उत्तर–दक्षिण दिशा में पाये जाते हैं। बस्तर में धारवाड़ शैल समूह नारायणपरु तहसील में मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
   1. बैलाडीला पहाड़ी का उत्तरी किनारा
   2. रावघाट पहाड़ी का उत्तरी किनारा
   3. भानुप्रतापपुर और कोयलीबेड़ा क्षेत्र।

इस प्रकार भू–गर्भिक बनावट के फलस्वरूप बस्तर में पृथ्वी के प्राचीन शैल से लेकर आधुनिकतम् नवीन चट्टाने पायी जाती हैं। जिले में विन्धयन, कड़प्पा शैल क्षेत्र में जल की संरचना क्वार्टजाईट में 0.5–8 प्रतिशत, बलुआ पत्थर में 4–30 प्रतिशत व चूना पत्थर 0.5–17 प्रतिशत है। बस्तर जिले में मुख्यतः ग्रेनाइट नाइस, शिस्ट एवं अन्य बलुआ व चूना पत्थर चट्टानें पाई जाती हैं।

बस्तर के प्रमुख जलप्रपात :–

1. **चित्रकोट जलप्रपातः–** बस्तर का प्रमुख जलप्रपात चित्रकोट है जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस जल प्रपात की ऊँचाई 90 फुट है। जगदलपुर से 39 किमी. दूर इन्द्रावती नदी पर यह जलप्रपात बनता है। समीक्षकों ने इस प्रपात को आनन्द और आतंक का मिलाप माना है। 90 फुट ऊपर से इन्द्रावती की ओजस्विन धारा गर्जना करते हुए गिरती है।
2. **तीरथगढ़ जलप्रपात :–** छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तीरथगढ़ में कांगेर घाटी पर स्थित कई झरने हैं। तीरथगढ़ झरने जगदलपुर की दक्षिण–पश्चिम दिशा में 35 किमी. की दूरी पर स्थित हैं। तीरथगढ़ झरने भारत के सबसे ऊँचे झरनों में से एक हैं। तीरथगढ़ झरनों की ऊंचाई लगभग 300 फीट है। तीरथगढ़ झरनों पर पिकनिक का आनंद उठाया जा सकता है।
3. **तमाड़ा घूमर/मथूरा जलप्रपात** :– यह झरना छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर से लगभग 45 किमी. की दूरी पर स्थित है। यह चित्रकोट झरने के बहुत करीब है। चित्रकोट बारसूर मार्ग पर बिंताघाटी या वितना घाटी में सेंदरी गॉव में स्थित है। यह हाल ही में खोजा गया है। यह झरना 100 फुट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित है और यह झरना आम तौर पर बरसात के मौसम में बनता है।

बस्तर का प्रमुख गुफा कुटुम्बसर

यह गुफा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है जो 60–120 फीट गहरी है तथा इसकी लम्बाई 4500 फीट है। इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लम्बी गुफा कर्ल्सवार ऑफ केव (अमेरिका) से की जाती है। इस गुफा की खोज 1950 की दशक में भूगोल के प्रोफेसर डॉ. शंकर तिवारी ने कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद से की थी। इस गुफा को गोपनसर (छिपी हुई गुफा) कहते थे। जो बाद में कुटुम्बसर गॉव के नजदीक होने से कुटुमसर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गुफा में रंग बिरंगी अंधी मछलियॉ पाई जाती है जिन्हें प्रोफेसर के नाम पर कप्पी ओला शंकराई कहते हैं।

*****

बस्तर का इतिहास

कु. दीपिका कश्यप
एम. ए. तृतीय सेमेस्टर (इतिहास)

बस्तर भारतीय राज्य छतीसगढ़ का एक संभाग है। जिसका प्रशासनिक मुख्यालय जगदलपुर है। यहॉ की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत भाग जनजातीय है।

पहले यह एक देशी रियासत था। इसका अधिकांश भाग कृषि के अयोग्य है। यहॉ जंगल अधिक हैं जिनमें गोंड एवं अन्य आदिवासी जनजातियॉ निवास करती हैं। यहॉ जंगलों में साल तथा सागौन के पेड़ प्रमुख हैं। यहॉ की स्थानांतरित कृषि में धान तथा कुछ मात्रा में ज्वार बाजरा पैदा कर लिया जाता है। इंद्रावती, शबरी, शंकनी–डंकिनी, महानदी एवं दूधनदी यहॉ की प्रमुख नदियां हैं। चित्रकोट, तीरथगढ़ आदि कई मनमोहक झरने भी हैं।

जगदलपुर, बीजापुर, कांकेर, कोंड़ागांव, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा आदि प्रमुख नगर हैं। यहॉ के आदिवासी जंगलों में लकड़ियॉ, लाख, मोम, शहद, चमड़ा साफ करने तथा रॅगने के पदार्थ आदि एकत्र करते रहते हैं। खनिज पदार्थो में लोहा व अभ्रक महत्वपूर्ण हैं। 14वीं सदी में इसकी जानकारी अन्नम देव को मिली जो काकतीय राजा के भाई थे। यह कुछ गिने चुने जगहों में से एक है जहॉ अंग्रेज अपना राज स्थापित नहीं कर पाए। स्वतंत्रता के पश्चात् यह मध्यप्रदेश राज्य का हिस्सा बना।

अर्थव्यवस्था – बस्तर जिले की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार कृषि और वनोपज संग्रहण हैं। कृषि में प्रमुख रूप से धान व मक्का की फसल और गेहूँ, ज्वार, कोदो, कुटकी, चना, तुअर, उड़द, तिल, राम तिल, सरसो आदि के सहायक रूप में उत्पादन किया जाता है। कृषि के अलावा पशुपालन, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन भी सहायक भूमिका निभाते हैं।

वनोपज संग्रहण यहॉ के ग्रामीणों के जीवन उपार्जन के प्रमुख श्रोतों में से एक है। वनोपज संग्रहण में कोषा (टसर) तेंदूपत्ता, लाख, धुप, सालबीज, इमली, अमचूर, कंदमूल, औषधियॉ प्रमुख हैं। पत्थर, गिट्टी, मुरूम, फर्शीपत्थर एवं रेत का खनन भी अर्थव्यवस्था के सहयोगी तत्व हैं।

संस्कृति एवं कला – बस्तर अपनी परम्परागत कला–कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के निवासी अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे हैं। परन्तु प्रचार के अभाव में यह केवल उनके कुटीरों से साप्ताहिक हाट–बाजारों तक ही सीमित है। उनकी यह कलाकृति बिना किसी मशीनी सहयोग के बनाये जाते हैं।

बस्तर के कला–कौशल में मुख्य रूप से काष्ठ कला, बॉस कला, मिट्टी कला व धातु कला (घड़वा) शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचर्स पर बस्तर की संस्कृति, त्योहारों, जीव–जन्तुओं, देवी–देवताओं की कलाकृति बनाना, देवी–देवताओं की मूर्तियॉ, साज–सज्जा की कलाकृतियॉ आदि बनायी जाती हैं। बांस कला में बांस की सीकों से कुर्सियॉ, बैठक, टेबल, टोकरियॉ, चटाई और घरेलू साज–सज्जा की कलाकृतियॉ बनायी जाती हैं। मिट्टी कला में देवी–देवताओं की मूर्तियॉ, सजावटी बर्तन, फूलदान, गमले और घरेलू

साज–सज्जा की सामग्री बनायी जाती है। धातु कला में तांबे और टिन मिश्रित धातु के ढलाई की हुए कलाकृतियॉ बनायी जाती हैं। जिसमें मुख्य रूप से देवी–देवताओं की मूतियॉ, पूजा–पात्र, जनजातीय संस्कृतियॉ और घरेलू साज–सज्जा की सामग्रियॉ बनायी जाती हैं।

बस्तर अंचल के हस्तशिल्प, चाहे वे आदिवासी हस्तशिल्प हों या लोक हस्तशिल्प, दुनिया भर के कला–प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने में सक्षम रहे हैं। कारण कि इनमें इस आदिवासी बहुल अंचल की आदिम संस्कृति की सोंधी महक बसी है। यह शिल्प–परम्परा और उसकी तकनीक बहुत पुरानी है।

देवी–देवता और तीज–त्योहार– चैतराई, आमाखाई, अकती, बीज–खुटनी, हरियाली, इतवारी, नवाखाई आदि बस्तर के आदिवासियों के मुख्य त्योहार हैं। आदिवासी समुदाय एकजुट होकर बुढ़ादेव, ठाकुरदाई, रानीमाता, शीतला, रावदेवता, भैंसासुर, मवली, अंगारमोती, डोंगर, बगरूम आदि देवी–देवताओं को पान–फूल, नारियल, चावल, शराब, मुर्गा, बकरा, भेड़, गाय, भैंस आदि देकर अपने–अपने गॉव परिवार की खुशहाली के लिए मन्नत मांगते हैं।

भाषाएं– कभी बस्तर में कई बोलियां थीं लेकिन अब गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी, परजी जैसी गिनी–चुनी बोलियॉ ही बची हैं। *दो दर्जन से अधिक बोलियॉ* विलुप्त हो चुकी हैं। बस्तर की कुछ बोलियॉ *संकटग्रस्त हैं और इनके संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकता है।*

बस्तर दशहरा– बस्तर दशहरा के नाम चर्चित यहॉ का दशहरा अपने आप में अनूठा है। इस दशहरे की ख्याति इतनी अधिक है कि देश के अलग–अलग भागों के साथ विदेशों से भी पर्यटक इसे देखने आते हैं। बस्तर दशहरे का आरम्भ श्रावण (सावन) महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से हो जाता है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी लाई जाती है। इस रस्म को ***पाटजात्रा*** कहा जाता है। यह त्योहार दशहरा के बाद तक चलता रहता है और ***मुरिया दरबार*** की रस्म के साथ समाप्त होता है। इस रस्म में बस्तर के महाराज दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं। यह त्योहार भारत का सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला त्योहार है।

मृतक स्तम्भ – यह बस्तर में एक ऐसी अनोखी परम्परा है जिसमें परिजन के मरने के बाद उसका स्मारक बनाया जाता है, जिसे मृतक स्तम्भ के नाम से जाना जाता है। इसे मेनहिर (उर्सकाल) भी कहा जाता है। दक्षिण बस्तर में मुरिया–मारिया जनजाति में मृतक स्तम्भ बनाए जाने की प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा के अन्तर्गत स्थानीय जनजातियों में पूर्वजों को जहां दफनाया जाता है वहॉ एक 6–7 फीट ऊँचा तथा चौड़ा स्मारक बनाया जाता है।

घोटुल – छतीसगढ़ के आदिवासी इलाकों के माड़िया जनजाति में घोटुल गॉव के किनारे बनी एक मिट्टी की झोपड़ी होती है। कई बार घोटुल में दीवारों की जगह खुला मण्डप होता है। घोटुल में आने वाले लड़के–लड़कियों (चेलिक–मोटीयारी) को अपना जीवन साथी चुनने की छूट होती है। घोटुल को सामाजिक स्वीकृति भी मिली हुई है।

*****

इतिहास कांकेर का

आशिका दर्रो

तृतीय सेमेस्टर (इतिहास)

कांकेर (कोरापुट–वर्तमान कांकेर) जिला छतीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं। कांकेर पहले बस्तर जिले का हिस्सा था। लेकिन 1998 में कांकेर जिले को एक स्वतंत्र जिले के रूप में पहचान मिली। कांकेर जिले के चारामा विकासखण्ड से 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं।

इतिहास

कांकेर राज्य पहले एक घने जंगल दडकारण्य के क्षेत्र में आता था कांकेर भिक्षुओं का देश था। यहां अनेक ऋषि (भिक्षु) कंक, लोकेश, अंगिरा और श्रृंगी आदि रहते थे। छठीं शताब्दी (ई.पू.) से पहले यह क्षेत्र बौद्ध धर्म से प्रभावित था। कांकेर के प्राचीन इतिहास बताता है कि यह हमेशा के लिए स्वतंत्र राज्य बना रहा।

206 ई. में कांकेर राज्य सातवाहन राजवंश के अधीन था और राजा सातकर्णी थे। सातकर्णी के बाद पुलमावी, शिवश्री और शिवस्कंद राजा बने। सातवाहन के बाद कांकेर राज्य नाग, वाकाटक के नियंत्रण में था।

वाकाटक के बाद कांकेर राज्य नल वंश के नियंत्रण में आ गया। इतिहासकारों के अनुसार व्याघ्रराज पहले नल शासक राजा थे। एवं राजा वरहराज दूसरे नल शासक थे जिन्होंने दण्डकारण्य के पूरे क्षेत्र को जीता था।

वरहराज के बाद, भवदत वर्मन कांकेर राज्य का राजा बना। भवदत वर्मन के राज्य के दौरान वाकाटक राजा नरेंन्द्र सेन ने राज्य पर हमला किया और राज्य का एक छोटा हिस्सा जीत लिया, लेकिन कुछ सालों के बाद भवदत वर्मन ने खोया हिस्सा वापस जीत लिया और उड़ीसा, महाराष्ट तक अपने राज्य का विस्तार किया। भवदत वर्मन की मृत्यु के बाद उनका बेटा अर्थपति राजा बन गया। अर्थपति को अपने पिता से एक बड़ा राज्य मिला था लेकिन अपने पिता की तरह गुण था और वाकाटकों ने राज्य का कुछ हिस्सा जीत लिया।

नल राजाओं के बाद इस राज्य को प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन ने जीत लिया पुलकेशिन ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों को भी जीता। उसके राज्य के दौरान कांकेर राज्य में मंदिरों का बहुत निर्माण किया गया। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य, विनयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिमान द्वितीय ने इन क्षेत्रों में 788 ईस्वीं तक शासन किया। चालूक्य राजाओं के बाद इस क्षेत्र पर नल, नाग एवं कल्चुरियों का शासन 1100 ई. तक था। सोमवंश का शासन कांकेर राज्य में 1125 ईस्वी से 1344 ईस्वीं तक था। इस क्षेत्र में कंदरा, चंद्रा राजवंशो का भी शासन था। राजवंशो के बाद यह क्षेत्र मराठो और अंग्रजों के नियंत्रण में आ गया।

प्रागैतिहासिक स्थल

गोटीटोला– यहाँ से शैलचित्रों की श्रृंखला मिली है, जिसमें मानव आकृतियां, तीर व धनुष के साथ शिकार करता हुआ मानव प्रमुख है। सभी चित्र लाल, चटक, गेरूवा, काले, पीले रंग के मिश्रण से चित्रित हैं।

खैरखेड़ा – चारामा विकासखण्ड के ग्राम खैरखेड़ा में आदिम अभिव्यक्ति के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। पंजों के भी चित्र मिले हैं।

चंदेली – यहां से सांकेतिक लिपि, छोटे–छोटे कद के मानव आकृति तथा उड़न तस्तरी के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इन छोटे–छोटे कद वाले मानव को स्थानीय लोग ***रूहेड़ा*** कहते हैं।

इनके अलावा उड़कुड़ा, गाड़ागौरी, मोहपुर, कुलगाँव, कुकरादाह, मनकेसरी तथा घोटिया से भी प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

मेला

लिंगोदेव (लिंगोबाबा) मेला– बस्तर संभाग के कांकेर जिला अंतर्गत ग्राम सेमरगांव में लिंगोदेव मेला का आयोजन किया जाता है। 3 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस मेला में कांकेर, कोण्डागांव और नारायणपुर जिला के देवी देवताओं को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण पहुँचते हैं। सेमरगांव लिंगोदेव को आदिवासी अपने शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आंगादेव में प्रमुख लिंगोदेव की मान्यता है।

कांकेर के राजा सोमवंशी थे। कांकेर राजवंश के बारे में कहानी इस प्रकार है– यहां के प्रथम नरेश कान्हरदेव जगन्नाथपुरी के राजा थे। उन्हें कुष्ट रोग हो गया था। इसीलिए उस राज्य का उन्हें त्याग करना पड़ा था। स्वास्थकर जगह की तलाश में कान्हरदेव सिहावा आ पहुंचे थे। सिहावा से ही महानदी निकलती है। उस समय सिहावा में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम के पास एक पोखर था। इसके बाद सिहावा के लोगों के अनुरोध करने पर राजा वहीं बस गये और राज्य करने लगे। इसी वंश के तीसरे राजा ने राजधानी सिहावा से कांकेर ले आए। प्राचीनकाल में कांकेर को कंकण कहते थे। सिहावा में एक शिलालेख मिला है जिसके माध्यम से ये प्रमाणित किया जा सकता है कि सोमवंशी राजा कुछ समय तक यहां राज्य करते थे। वह शिलालेख सन् 1182 में उत्कीर्ण किया गया था। राजिम में एक शिलालेख मिला थी जो सन् 1144 का है। उस शिलालेख से यह पता चलता है कि जब रतनपुर में कल्चुरी राजा पृथ्वीदेव (द्वितीय) राज्य करते थे। उसी समय पृथ्वीदेव के सेनापति जगपाल ने कांकेर प्रदेश को युद्ध में हराकर अपना राज्य बना लिया था। इसीलिए उस समय से इस कांकेर प्रदेश के लेखों में कल्चुरी संवत का प्रयोग होने लगा था।

दो ताम्रपत्र मिले हैं जिस पर कांकेर के सोमवंशी राजा पंपराज के पिता सोमराज और पितामह बोपदेव के नाम भी हैं।

पुरातत्व – कांकेर बस्ती के दक्षिण में हमें पुरातत्व के निशान देखने को मिलते हैं। जिससे पता चलता है कि राजा शुरू में पहाड़ी के ऊपर रहा करते थे। जहां पहुंचने के लिए एक पगडण्डी पत्थर से बने द्वार तक आज भी जाती है। उस द्वार के दोनों ओर बैठने के लिए जगह बनी हुई है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पहरेदार वहीं बैठते रहे होंगे। उस द्वार से थोड़ी दूरी पर एक मैदान है जहॉ ईंट पत्थर आज भी पड़े हैं। कहा जाता है कि वे प्राचीन महल के ईंट पत्थर हैं। वहॉ से थोड़ी दूर एक मंदिर है जो भगवान शिव का है। पास में ही दो तालाब सोनई–रुपई है। तालाब के पास दो गुफाएँ हैं। गुफाएँ काफी प्रशस्त हैं। पांच–छः सौ व्यक्ति वहॉ एक साथ बैठ सकते हैं। पहाड़ी के पूर्व की ओर एक गुफा और है। उस गुफा को लोग जोगी गुफा कहते हैं।

*****

जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते

कु. सविता रावटे
एम. ए. तृतीय सेमेस्टर (इतिहास)

आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़ा आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टींन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो आप क्यों करते हैं ?

अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ ये अंत तो नहीं है ना, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालो की कभी हार नहीं होती।

मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरूआत मात्र है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए।

*****

बस्तरः संस्कृति और सौन्दर्य

दुर्गाप्रसाद नेताम
एम.ए. तृतीय सेमेस्टर (राजनीति शास्त्र)

भारत समृद्ध संस्कृति का देश है। जहॉ एक से ज्यादा धार्मिक संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। पूरे विश्व में भारत अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर की संस्कृति भी अद्भूत व आकर्षणयुक्त है।

बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जहॉ पर अदिवासी संस्कृति की झलक हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। बस्तर घने जंगलों से सजा हुआ जिला है जो विशाल क्षेत्र में फैला है। ये जिला बेल्जियम जैसे देशों से काफी बड़ा है। दिनांक 25 मई 1998 को कांकेर व दन्तेवाड़ा जिला का निर्माण हुआ। दन्तेवाड़ा स्थित मॉ दन्तेश्वरी शक्तिपीठ में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। बस्तर जिला नक्सल प्रभावित इलाका है। जहॉ लाल आतंक का केन्द्र बिन्दु है। यह लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई है। अभी तक यह समस्या बनी हुई है। जिसके कारण बस्तर में कोने–कोने में विकास में व्यवधान उत्पन्न होती है। आईये हम सभी बस्तर को जाने व पहचाने। बस्तर आज अपने आप में मग्न और संस्कृति से सराबोर है। बस्तर में 70 प्रतिशत आबादी गोड़, मुरिया, माड़िया, हल्बा, धुरवा जैसी जनजातियॉ निवास करती है। बस्तर का प्राचीन नाम चक्रकूट था। जहॉ 14वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजाओं ने शासन किया। वहीं ऐसा माना जाता है यहां के अंतिम शासक प्रवीणचन्द्र भंजदेव जी थे। बस्तर का इतिहास काफी पुराना है। बस्तर अपनी संस्कृति के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बस्तर के स्थानीय भाषाओं में गोंडी, हल्बी और कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। बस्तर में घोटुल प्रसिद्ध है। यह मुरिया जनजाति का सर्वाधिक विकसित युवागृह है जो झोपड़ीनुमा मण्डप होता है। इसमें लड़की व लड़का एक दुसरे को जीवनसाथी चुनते हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में चेलिक–मोटियारी कहा जाता है।

बस्तर का दशहरा बहुत लोकप्रिय है। बस्तर दशहरा की शुरूआत सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या को होती है इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लायी जाती है। इसे ***पाटजात्रा*** कहते हैं। यह दशहरा 75 दिनों तक चलने वाली विश्व प्रसिद्ध है। बस्तर के लोग 600 साल से यह पर्व मनाते आ रहे हैं। यह बस्तर की आराध्य देवी मॉ दन्तेश्वरी से जुड़ी हुई है। बस्तर की संस्कृति राजशाही सभ्यता और आदिवासी संस्कृति से जुड़ी हुई है। बस्तर में विविध कला व संस्कृति प्रचलित है। इन कलाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही परंपराएं है। बस्तर में कला कौशल के रूप में काष्ठ कलाओं में लकड़ी से फर्नीचर व कई प्रकार की सामग्री बनायी जाती है। बस्तर की सुंदरता अपने आप में बहुत आकर्षक है। बस्तर में एकता व अनुशासन में रहने की सीख हमें बस्तर के आदिवासीयों से मिलती है।

यहां पर वनों से हमें महुआ, चार–चिरौंजी, तेन्दू, सरई–साल, बोड़ा, फुटू (मशरुम) सर्वाधिक बस्तर के जंगलों से प्राप्त होता है। जिससे लोग अपना व्यवसाय करते हैं व जीवन

यापन करते हैं। बस्तर वह भूमि है जहाँ वीर गुण्डाधुर, इन्दरु केंवट एवं वीर गैंद सिंह ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। यह बलिदानों की धरती है। बस्तर घने जंगलों, सर्पिली घाटियों एवं नदियों से युक्त एक रहस्यमयी भूमि है। बस्तर के पर्यटन स्थलों में तीरथगढ़ जलप्रपात, कोटमसर गुफा, नारायलपाल मंदिर, तामड़ा घुमर, मेन्द्रीघुमर जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात आदि अनेकों पर्यटन स्थल बस्तर की भूमि में हैं। साथ ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर से दक्षिण में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

बारसूर गीदम से 22 किलोमीटर पर स्थित है। बारसूर नाग राजाओं एवं काकतीय शासकों की राजधानी रहा है। बस्तर आज अपने आप में मस्त और मग्न है। बस्तर के लोगों को आज सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और तेजी से विकास की गति बढ़ती दिखाई दे रही है। हमें बस्तर के लोगों पर गर्व है। बस्तर के स्थानीय त्योहारों में नवाखाई, चैतरई प्रमुख है। यह बस्तर की संस्कृति को दर्शाती हैं।

*****

बीजापुर का सांस्कृतिक महत्व (मद्देड़ बाजा)

कुमार ज्योतिरादित्य
बी.ए. भाग तीन

भोपालपट्नम तहसील के मद्देड़ ग्राम का बाजा पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। बीजापुर जिले की विभिन्न विशेषताओं में यह बाजा भी अपना विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में यह अपने आप में विशेष पहचान बना चुका है। दूर–दूर से एक छोटे ग्राम से लेकर बड़े शहरों तथा गरीब से लेकर अमीर तथा व्ही.व्ही.आई.पी. लोग भी अपने घरों के मांगलिक एवं अन्य अवसरों पर इसे अच्छी कीमत देकर मंगवाते हैं। इसे प्रमुखतः परधान जाति के लोग बजाते हैं। बाजा बजाने वालों का एक दल होता है। जिसमें 10 से 12 लोग रहते हैं। इसके वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। इसमें शहनाई एवं बाजा 4–4 लोग तथा 1 हार्न व 1 झुनझुना जिसे तेलगू भाषा में मिरकेरा कहते हैं। ये सभी वाद्ययंत्र प्रमुखतः आंध्रप्रदेश में बजाया जाता है।

चूंकि यह क्षेत्र आंध्रप्रदेश से नजदीक है इसलिए इसे बजाने की कला सीखकर यहां के लोग शादी ब्याह व अन्य अवसरों पर बजाकर आर्थिक लाभ कमाते हैं यदि परधान जाति के इतिहास को पढ़े तो यह मालूम होता है कि पुरातन काल से ही इस जाति के लोग अपने आदिवासी देवी–देवताओं की पूजा अर्चना में बाजा बजाते आए हैं और इसलिए शायद ये लोग संगीत कला में निपुण होते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की मद्देड़ बाजा इस क्षेत्र के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। क्योंकि पंडित के बगैर शादी हो जायेगी परन्तु बाजा समय पर नहीं मिलने से विवाह की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है।

*****

छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग का विकास

शारदा कोमरा
एम.ए. तृतीय सेमेस्टर (भूगोल)

प्रस्तावना

''पर्यटन किसी भी क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का प्रत्यक्ष साधन है। दूसरी ओर पर्यटन आज विश्व का वृहतम् उद्योग है। आज जबकि सम्पूर्ण विकासशील उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है। पर्यटन इस महत्वपूर्ण संरक्षण का भी एक पक्ष है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र बिखरा पड़ा है। यहां के रमणीय एवं दर्शनीय स्थल प्रकृति प्रदत्त उपहार हैं। मैकाल, सिहावा और रामगिरी की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ यह प्रदेश महानदी (चित्रोत्पला) शिवनाथ, इन्द्रावती, हसदो एवं इनकी अनेक सहायक नदियों से सम्पन्न है। छत्तीसगढ़ की विशिष्ट संस्कृति इन्हीं प्राकृतिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक तथा मानवीय तत्वों का प्रतिफल है।

''आदिकाल से ही यह प्रदेश धार्मिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र कहा जाता है। यहां अनेक राजवंशों के साथ विविध आयामी संस्कृतियां पल्लवित एवं पुष्पित हुई; जिनमें मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, गुप्तवंश, नलवंश, पाण्डुवंश, सोमवंश, नागवंश, माण्डलिक एवं कल्चुरि (हैहय वंश) उल्लेखनीय हैं। रामायण तथा महाभारत के विविध प्रसंगों में भी इस प्रदेश का उल्लेख है। शैव, वैष्णव तथा जैन धर्मावलम्बियों द्वारा रचित मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कलात्मक एवं पुरातात्विक वस्तुएं इस क्षेत्र के वैभव तथा कलाप्रियता की द्योतक हैं ये सांस्कृतिक तत्व पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

प्रमुख पर्यटन स्थल

दण्डक गुफा – बस्तर संभाग में ''कुटम्बसर से 8 किमी. दूर दण्डक अवशैल उत्शैल के साथ ड्रिपस्टोन वाली कई प्रकार की शुभ रचनाओं तथा बड़ी–बड़ी कक्षाओं में सज्जित विचित्र गुफाएँ मन को लुभाने वाली हैं।

अरण्यक गुफा – कांगेर घाटी से लगी हुई मादरकोड़ा के निकट स्थित यह गुफा सबसे अनूठी एवं सौन्दर्य युक्त है। यहां जाहरा झाँपी और मकर कक्ष की अवशैल संरचना देखते ही बनती है। गुफाओं की श्रृंखला में भोपालपट्टनम के निकट स्थित संकल नारायण गुफा बारसूर के निकट तुला गुफा, चितापुर के पास रानी गुफा, मकर घाटियों में स्थित मकर गुफा, कनक गुफा और डोगर की गुफाएं पर्यटकों के लिए रहस्य और रोमांच का विषय है।

बस्तर की घाटियां– बस्तर के चारों तरफ फैली मनोहर घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उत्तर में केशकाल तथा चारामा घाटी, दक्षिण में दरभा की झीरम घाटी, पूर्व में आरकू घाटी और पश्चिम में तजारिन तथा बीजापुर की घाटियों के अतिरिक्त तिजारिन घाटी, रावघाट बड़े डोंगर एवं छोटे डोंगर की घाटियां मालघाट, अरनपुर बिनला भेजा, मारडुम आदि घाटियों की हरियाली तथा सौंदर्य पर्यटकों के मन को अनायास ही आकर्षित कर लेते हैं।

कुटुम्बसर गुफा– यह मानव निर्मित प्रसिद्ध गुफा है। इसकी खोज भूगोलवेत्ता डॉ. तिवारी ने की थी। इसलिए इसे केप्पी ओला शंकराचार्य गुफा भी कहते हैं। यह धरातल से लगभग 200 मी. गहरी अंधेरी गुफा है। वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी महीनों में यह पर्यटन के लिए उपयुक्त रहती है।

बारसूर– यह बस्तर संभाग में स्थित है। यहां की गणेश मूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे विशाल एवं भव्य मूर्ति है। यह कुछ समय के लिए काकतीय शासकों की राजधानी रही है। यह स्थान ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों के समूह में मामा–भांजा मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। यह मंदिर सुरक्षित है। बत्तीस गुड़ी शिव मंदिर भग्नावशेष स्थिति में है। यह दो गर्भ युक्त मंदिर है तथा इसके मण्डप आपस में जुड़े हुए हैं। बारसूर के अन्य भग्न मंदिरों में मिथुन प्रतिमाओं का काफी मात्रा में अंकन है।

दन्तेवाड़ा– बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर से 85 किमी. दंतेश्वरी देवी के प्राचीन मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। यह मंदिर शंखनी तथा डंकिनी नदी के तट पर बना है। गर्भगृह में महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्रतिस्थापित है।

गिरौदपुरी– बिलासपुर से 80 किमी. व शिवरीनारायण से 12 किमी. दूर स्थित सतनामी समाज का तीर्थस्थल है। यहां संत गुरू घासीदास का जन्मस्थल, निवास स्थान, तपोभूमि तथा तीर्थस्थल है।

पलारी– यह रायपुर से लगभग 60 किमी. दूर रायपुर–बलौदा बाजार मार्ग पर स्थित है। यहां बालसमुंद तालाब के किनारे ईंटों से निर्मित सिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। इसका गर्भगृह पंचरश शैली का है। यहां शिव को समर्पित मंदिर है यहां शिवलिंग भी स्थापित है।

भोरमदेव– रायपुर से 135 किमी. दूर तथा कवर्धा तहसील से 16 किमी. उत्तर पश्चिम में स्थित भोरम देव छत्तीसगढ़ का खजुराहों कहा जाता है। भोरमदेव मंदिर पर्वत श्रेणियों की गहरी घाटी में शिव को समर्पित मंदिर है। यहां शिवलिंग भी स्थापित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर घाटी में आकर्षक हाथी, घोड़े, नटराज, गणेश, स्त्री–पुरूष के अलावा मैथुन मूर्तियाँ विशेष दर्शनीय है।

डोंगरगढ़– यह हावड़ा–मुम्बई रेलमार्ग नागपुर अन्तर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरागढ़ से 40 किमी. दूर डोगरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। यहां 1600 फीट की ऊँचाई पर बम्लेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण डोगरगढ़ के राजा कमसेन ने करवाया था। यहां बड़ी एवं छोटी नाम से बम्लेश्वरी माँ के दो मंदिरों के अलावा माँ शीतला मंदिर, दादी माँ का मंदिर, नाग मंदिर तथा दि इण्डो जापान बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियास द्वारा निर्मित प्रज्ञागिरि पहाड़ी पर स्थित 30 फुट ऊँची बुद्ध की प्रतिमा देखने योग्य है।

सिरपुर– रायपुर से लगभग 88 किमी. की दूरी पर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से 14 किमी. दूर सिरपुर स्थित है। सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर या इसे समृद्धि की नगरी भी कहा जाता था। सिरपुर 5वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण कोशल की राजधानी रह चुका है। यहां 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कितनी प्राचीन नगरी है। यहां का लक्ष्मण मंदिर सोमवंशी राजा हर्ष गुप्त की विधवा रानी बासरा द्वारा

बनवाया गया था। इस मंदिर के समीप ही राम मंदिर है जो खण्डित अवस्था में है। धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि इसे पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के समान पवित्र माना जाता है।

निष्कर्ष– छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्य से भरा पड़ा है। यहां के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। यदि शासन द्वारा उचित प्रयास किया जाए तो छत्तीसगढ़ प्रदेश पर्यटन के दृष्टिकोण से वैश्विक पटल पर अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

*****

होवत हे बियान

ललित गोयल
बी.एस सी. भाग– तीन

सुन वो दीदी, सुन वो दाई,
सुनो गा लइका सियान,
देश, शहर, गॉव मा,
होवत हे बियान।
अपन गॉव ला सुघ्घर रखबों,
देश के रखबों मान,
स्वच्छ होही गॉव अउ,
जम्मों जीव के परान।
सुन वो दीदी, सुन वो दाई,
सुनो गा लइका सियान,
देश, शहर, गॉव मा,
होवत हे बियान।

नशाखोरी हे सबले बड़का,
दुनिया मा शैतान,
जिनगी ला बरबाद करथ,
करथे सबके अपमान।
नशा करे के बंद करबो,
राखबो सबके मान,
गॉव मा मया के फूल फूलही,
होही तब बियान।
सुन वो दीदी, सुन वो दाई,
सुनो गा लइका सियान,
देश, शहर, गॉव मा,
होवत हे बियान।

*****

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य–रक्षा

कु. अलका नेताम

एम. ए. चतुर्थ सेमेस्टर (अर्थशास्त्र)

स्वास्थ्य–रक्षा या सफाई–व्यवस्था की अवधारणा में तरल एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, व्यक्तिगत एवं खानपान संबंधी आरोग्य तथा घरेलू के साथ–साथ पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य–विज्ञान भी शामिल है। इस विस्तृत परिभाषा पर दृष्टिपात करते हुए यह कहना गलत न होगा कि यह भारत के गांवों में पायी जाने वाली सफाई–व्यवस्था की दशाओं का मुश्किल से ही वर्णन करती है।

अधिकतर लोग आज भी खुले में शौच करते हैं, अधिकांश गांवों में अपशिष्ट निपटान एवं अपवहन तंत्रों का अभाव है और वे खराब सफाई–व्यवस्था एवं अस्वास्थ्यकर दशाओं के दुष्परिणामों से बेखबर हैं। परिणामतः अनेक लोग व्यक्तिगत एवं पर्यावरण स्वच्छता संबंधी अस्वास्थ्यकर प्रथाओं और आदतों द्वारा उत्पन्न रोगों से ग्रस्त रहते हैं, यहां तक कि मर भी जाते हैं।

गांवों में अधिकांश रोगों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है, यदि लोगों को उचित स्वास्थ्य–रक्षा सुविधाएँ उपलब्ध हों और वे आरोग्य–संबंधी अच्छी आदतें अपनाकर शौचालय का प्रयोग करें, मलोत्सर्ग के पश्चात और खाना खाने से पूर्व हाथों को भली–भांति धोएं, स्वच्छ पेयजल एवं भोजन का सेवन करें, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, भोजन पकाने के लिए उचित स्थान का प्रयोग करें, अपने घरों में उचित संवातन की व्यवस्था रखें, मवेशियों के लिए उचित एवं साफ छप्पर आदि का इंतजाम करें।

रोग कैसे फैलते हैं?

दरअसल, अनावृत मानव विष्ठा (मल एवं मूत्र), रूका हुआ पानी और कूड़ा–कर्कट मक्खियों, मच्छरों और रोगाणुओं के लिए अपनी पैदावार बढ़ाने की सबसे अनुकूल जगहें हैं, जो कि खतरनाक रोगों के वाहक का काम करते हैं।

रोग से कैसे बचा जाए

अधिकतर बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, यदि लोग(अपने दैनिक जीवन में) इन बातों की आदत डाल लेंः–

1. पेयजल, सब्जियॉ एवं फल धोने और बर्तन साफ करने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग करें।
2. शौच जाने के बाद और खाने को छूने अथवा खाने से पूर्व हाथों को धोएँ।
3. स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें।
4. मक्खियों से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को ढककर रखे।
5. कूड़ें–कचरे का निपटान ठीक से करें।
6. दूषित मल–मूत्र उत्सर्ग पर नंगे पॉव चलने से बचें।
7. रुके हुए जल का क्लोरीन से उपचार करें ताकि लार्वा मर जाएँ।

*****

मोबाईल फोन

कु. आंचल यादव
बी. ए. भाग–दो

प्रस्तावना

मोबाईल फोन एक संचार उपकरण है, जिसे अक्सर सेल फोन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आवाज संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। हालांकि संचार के क्षेत्र में तकनीकी विकास ने मोबाईल फोन को काफी स्मार्ट बना दिया है, जिससे विडियो कॉल, इंटरनेट सर्च तथा प्रासंगिक गैजेट को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया है। मोटोरोला के तत्कालीन प्रेसिडेंट और सी. ई. ओ. जॉन फ्रॉसिस मिशेल और एक अमेरिकी इंजीनियर, मार्टिन कुपर द्वारा दुनिया का पहला मोबाईल फोन 1973 में प्रदर्शित किया गया था।

मोबाईल फोन के उपयोग

मोबाईल फोन का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जैसे – आवाज संचार, ई–मेल भेजना, इंटरनेट ब्राउज करना। स्मार्ट फोन में आज बेहतर कंप्यूटरिंग क्षमता है और कई विशेष कार्य कर सकते हैं जैसे– रियल टाईम विडियो चैटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजर, सोशल मीडिया, हाई रिजोल्यूशन कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, लोकेशन फाईंडर आदि। हमारे प्रियजनों, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ संवाद करना मोबाईल फोन के कारण कुछ सेकंड का मामला बन गया है। मोबाईल फोन आज इतने उपयोगी हो गए हैं कि उन्होंने वास्तव में लैपटॉप और अन्य बड़े गैजेट्स के उपयोग को बदल दिया है। इसके माध्यम से इंटरनेट पर विद्यार्थी कुछ भी सर्च करके अपने पढ़ाई की कठिनाई को दूर कर सकते हैं।

मोबाईल का महत्व

मनुष्य के जीवन में मोबाईल का निम्नलिखित महत्व है –

सूचना प्रदान करना– नौकरियों के लिए आवेदन करना व अपने पाठ्यक्रम को साझा करना मोबाईल फोन के उपयोग के कारण बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट का उपयोग 24 घंटे किया जा सकता है और आप रात में भी नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवागमन– मोबाईल फोन हर दिन आने–जाने के लिए उपयोगी हो गए हैं। आज कोई मोबाईल फोन पर लाइव ट्रैफिक स्थिति का आकलन कर सकता है और समय पर पहुंचने के लिए उचित निर्णय ले सकता है। कई ऐप फंसे हुए ड्राइवर या किसी विशेष स्थान पर पहुंचने के इच्छुक व्यक्ति को नेविगेशन सहायता प्रदान करते हैं।

प्रबंधन कार्य– मोबाईल फोन आज स्मार्ट हो गए हैं और हर दिन आधिकाधिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आज इनका उपयोग रोजमर्रा के कार्यो के प्रबंधन के लिए किया

जाता है जैसे– मीटिंग शेड्यूल, दस्तावेज भेजना और प्राप्त करना आदि।

मोबाईल फोन का दुरूपयोग

मोबाईल फोन का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग इसके दुरूपयोग की ओर ले जाता है। डॉक्टरों ने भी बार–बार चेतावनी दी है कि मोबाईल फोन का निरंतर और अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोबाईल फोन के एक और दुरूपयोग में तेज संगीत सुनना शामिल है। कुछ युवाओं ने मोबाईल फोन की इस मनोरंजक क्षमता को एक नए स्तर पर ले लिया है। वे व्यस्त सड़कों पर चलते हैं, संगीत सुनते है; जिससे वे अपने निकट वाहन को सुनने और समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप जानलेवा दुर्घटनाएँ घटित होती हैं।

निष्कर्ष

निःसंदेह मोबाईल फोन हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए उपयोगी और आवश्यक गैजेट है। मोबाईल फोन के बिना जीवन व्यक्तिगत रूप से और साथ ही पेशेवर रूप से कठिन होगा। लेकिन मोबाईल फोन का प्रतिदिन उपयोग किये जाने के बावजूद हमें अपनी सुरक्षा के लिए इसके दुरूपयोग से भी अवगत होना चाहिए।

*****

गुरू वंदना

गुरूदास बिस्वास

एल एल. बी. तृतीय सेमेस्टर

ओम गुरूवे शरनम् नमः
श्री गुरूवे शरनम् नमः 2
ओ ज्ञान के दाता भाग्य विधाता
ज्ञान दे मुझको मेरे विधाता
गुरू मेरे विधाता
ओ ज्ञान के दाता...
माता–पिता गुरू कहें उन्हें ईश्वर
देव पिता गुरू कहें जगदीश्वर 2
ओम गुरूवे.....
नेकी का तुम राह दिखाना 2
अज्ञानता से हमको बचाना
गुरू हमको बचाना
ये सुखमय जीवन तुझसे उधारी
तेरे ही चरणों में स्वर्ग हमारी
गुरू स्वर्ग हमारी
ओ ज्ञान के दाता भाग्य विधाता
ज्ञान दे मुझको गुरू मेरे विधाता
गुरू मेरे विधाता
ओम गुरूवे शरनम् नमः
श्री गुरूवे शरनम् नमः।।

*****

यातायात के नियम

अरविन्द कुमार अमिला

बी.एस सी., भाग – दो

यातायात :– प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कहीं भी आने जाने के लिए सड़कों का प्रयोग करता है। हर रोज सड़क हादसे के कई घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। ज्यादातर दुर्घटनाएं लोगों की लापरवाही के कारण, जल्दी पहुँचने के चक्कर में और नशा पान कर वाहन चलाने के चक्कर में होते हैं। हमारी थोड़ी सी गलती हमारा और सामने वाले का जीवन छीन सकती है। सरकार ने लोगों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए बहुत से नियम बनाए हैं और उन सबका पालन करना हमारा कर्तव्य है।

यातायात के साधन :– यातायात के साधनों को परिवहन के साधन भी कहा जाता है। कोई भी साधन जिसका प्रयोग एक स्थान से दुसरे स्थान तक आने जाने के लिए किया जाता है। उसे यातायात का साधन कहा जाता है। यातायात के साधनों के कारण मनुष्य कई दिनों का सफर कुछ दिनों में ही तय कर लेता है। इनके अविष्कार से बचत होने लगी है। यातायात के साधन मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है।

सड़क सुरक्षा :– सड़क हमारे द्वारा कहीं भी आने जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मार्ग है। जिस पर यातायात के साधन बहुत ही तीव्र गति से चलते रहते हैं। जिसके कारण हमें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिसका पालन करके व्यक्ति सड़क पर चलते समय अपनी सुरक्षा कर सकता है। सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि सड़क सार्वजनिक है और वह एक ही दिशा में चले अन्यथा वह औरों के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के कारण ही वाहन दुर्घटनाओं से दिन प्रतिदिन मृत्युदर में वृद्धि हो रही है, जिनमें से अधिकतर युवा हैं। सड़क पर लापरवाही करने से हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति की या तो सड़क पर ही मौत हो जाती है या फिर उसे गंभीर चोटों के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सड़क सुरक्षा लोगों के लिए परम आवश्यक है।

सड़क यातायात के नियम :– सड़कें विभिन्न प्रकार के वाहनों जैसे कार, बसों, ट्रकों, कृषि वाहनों, मोटर साईकिल और पैदल चलने वालों के साथ भीड़–भाड़ से भरी रहती है। वाहनों और यात्रियों की इतनी विशाल विविधता में सभी के लिए सुनिश्चित पारगमन करने के लिए सड़क का उपयोग करते समय विशिष्ट नियम को डिजाइन करना अनिवार्य हो जाता है।

सड़कों पर यातायात को नियमित करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1989 से पूरे भारत में समान रूप से लागू है।

कुछ महत्वपूर्ण यातायात नियम – सभी निजी और वाणिज्यिक वाहनों का अनिवार्य पंजीकरण और बीमा, केवल 18 वर्ष की आयु पर या उससे ऊपर के वयस्कों को ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, शराबी ड्राईविंग पर जुर्माना और कारावास, पैदल यात्रियों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए गति सीमा और जेब्रा क्रॉसिंग, अनिवार्य हेलमेट और सीट बेल्ट, सभी प्रकार के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र तथा किसी चौराहे को पार करते समय सड़क पर पहले चल रहे वाहन आदि को रास्ता देना आदि।

वायु यातायात – विज्ञान के चमत्कार का अनूठा उदाहरण है हवाई जहाज। आसमान में पंक्षियों को उड़ता देख इंसान के मन में भी उड़ने की हमेशा चाह रही है और इंसान के मन में जो बात आ जाये वो उसे करके ही रहता है। अपनी कल्पना को पर लगाकर उसने हवाई जहाज बना दिया। जिससे किसी भी स्थान पर जाना और भी आसान हो गया। देश विदेश की यात्रा अब किसी के लिए मुश्किल नही रही।

यातायात के साधन से होने वाले हानियां :–

1. इससे वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगी।
2. हवाई जहाज के निर्माण, उसमें सुख सुविधा देने के लिए अधिक खर्च किया जाने लगा।
3. बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने के लिए वनों को काटा गया।
4. पंक्षियों का जीवन खतरे में आ गया हवाई जहाज से कई बेकसूरों की जान रोज जाती है।
5. इससे ध्वनि प्रदूषण भी तेज हुआ है।
6. कई वाहनों के फ्यूल से खतरनाक जहरीली गैस निकलती है जो वातावरण में मिल जाती है। जिससे श्वास के द्वारा जीवों में अनेक प्रकार की बीमारियों और जान जाने का खतरा बना रहता है।

निष्कर्ष :– ट्रैफिक नियम हमारे सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां तक कि *अगर कोई नियमों की धज्जियाँ उड़ाता है और सुरक्षित रूप से पहुँचता है तो केवल अन्य अच्छे यात्रियों की वजह से जो यातायात नियमों का पालन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं।* यदि सभी वाहन सिग्नल नियम को तोड़ते हैं तो कोई भी सुरक्षित रूप से या कम समय में अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए सभी के लिए अनिवार्य है कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन अवश्य करें।

*****

कृषि आय एवं कर अपवंचन

ममता पारकर
एम.कॉम. चतुर्थ सेमेस्टर

सामान्य रूप से कृषि आय से आशय कृषि करने से उत्पन्न उपज के विक्रय से होने वाली आय का एक निश्चित एवं विशिष्ट अर्थ होता है । आय अथवा कृषि भूमि से प्राप्त किराया कृषि आय कहलाती है।

जब कोई करदाता कानून संबंधी नियमों तथा प्रावधानों का पालन नहीं करता है और अपने कर भार को कम कर लेता है, तो इसे कर अपवंचन कहते हैं। यह कर की जान बूझकर की गई चोरी है। जैसे– आय छिपाकर, अनावश्यक खर्चे दिखाकर, बनावटी एवं झूठे व्यवहार दिखाकर, झूठी कटौतियों की मांग दिखाकर आदि ठगी से कर बचाया जाता है। जो करदाता कर अपवंचन के दोषी होते हैं, उन्हें आर्थिक दण्ड एवं करावास की सजा दी जाती है। कर अपवंचन को कर वंचन भी कहते हैं।

कृषि आयकर सही या गलत

कृषि आय पर कर लगना चाहिए या नहीं यह आजादी के बाद से ही बहस का मुद्दा रहा है। कर यानि टैक्स जिसका प्रयोग सरकार देश और समाज के विकास संबंधी कामों में करती है। अतः एक निश्चित कृषि आय पर कर लगाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है, कि क्या कृषि से होने वाली आय पर कर नहीं लगाना चाहिए और नहीं तो क्यों नहीं लगना चाहिए?

देश में कृषि क्षेत्र के हालात किसी से छिपे नहीं है। किसान बड़ी संख्या में न केवल पलायन कर रहे हैं बल्कि आत्महत्या भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या कृषि पर कर की बात करना जायज है? इस बहस के बीच यह बात ध्यान रखना होगा कि कृषि राज्य के अधिकार में आता है, लेकिन कृषि पर आयकर केन्द्र के अधीन है।

कृषि आयकर के पक्ष में तर्क

कर चोरी से रोकथाम– कृषि आय को कर–मुक्त रखने से कर चोरी का बड़ा माध्यम बन गया है। कृषि आय पर कर लगाने से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है।

धनी किसान और एग्रो–इंडस्ट्री– वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार व्यक्तियों ने 1 करोड़ रूपए से अधिक की कृषि आय घोषित की है। कई बड़ी फर्में करोड़ों की आमदनी को कृषि आय के अंतर्गत दिखा कर कृषि आय पर लगने वाली छूट का दुरुपयोग करती हैं। इस प्रकार कृषि आय पर कर लगाने से इन पर नियंत्रण किया जा सकता है।

अन्य करदाताओं के साथ न्याय– किसान से कर ना लेना अन्य करदाता के साथ न्याय नहीं है। इसलिए अगर कोई किसान एक निश्चित सीमा से ज्यादा आय कमाता है, तो उसे भी कर

देना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के निवासियों से 22 प्रतिशत कर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से 5 प्रतिशत ही आयकर प्राप्त होता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए कृषि आय पर आयकर लगाना युक्तिसंगत है।

कृषि आयकर के विपक्ष में तर्क

1. कृषि क्षेत्र से प्राप्त आय पर कर लगाने से किसानों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा नहीं मिलेगी।

2. भू–राजस्व के साथ–साथ किसानों को कृषि आय पर भी करों का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे आयकर लगाना उचित नहीं है।

3. भारत में अधिकांश कृषक लघु जोत वाले एवं गरीब हैं, जिससे उन्हें अपने कृषि आय का हिसाब–किताब ना रख पाने के कारण कृषि आयकर निर्धारण में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

4. कृषि क्षेत्र और किसानों की हालत पहले से ही नाजुक है, अगर ऐसे में कृषि आय पर कर लगता है, तो किसान हतोत्साहित होंगे।

कहा जा सकता है कि सरकार को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो तथा धनी किसानों और कृषि संबंधी उद्योगों से प्राप्त आय को कर दायरे के अधीन लाया जाए।

*****

जी. एस. टी.

अभिजीत बाड़ई
एम. कॉम. तृतीय सेमेस्टर

जी. एस. टी. वस्तु एवं सेवाओं पर अलग–अलग टैक्स या कर की जगह लगाया जाने वाला एक कर है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 को नोट बंदी के बाद लगाया गया, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महत्वपूर्ण कर सुधार बताया गया।

साधारणतया आम जनता को जीवन जीने के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिस पर सरकार द्वारा कर वसूल किया जाता है तथा इसके अलावा जनता द्वारा अनेक प्रकारों का सेवाएं ली जाती है, इन सेवाओं के बदले भी कर वसूल किया जाता है। इसे जी. एस.टी कर के अंतर्गत लिया जाता है।

जी. एस. टी. आने से पहले सरकार अनेक तरह के अलग–अलग कर लगाती थी जिसमें 30–35 प्रतिशत कर का भुगतान करना पडता था। जी. एस. टी. आने के बाद 20–25 प्रतिशत कर का भुगतान किया जाता है, अर्थात् पहले अलग–अलग कर के जगह एक प्रकार के कर जी. एस. टी. के कारण आम जनता का कर बोझ कम हुआ है।

जी. एस. टी. आने के बाद वस्तुओं पर बार–बार लगने वाले टैक्स को जी. एस. टी. के अंदर ही शामिल कर दिया है जिससे वस्तु उत्पादन के बाद अनेक चरणों से गुजरकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने में बार–बार लगने वाला टैक्स समाप्त हो गया। जी. एस. टी. की शुरूआत बीजेपी सरकार द्वारा 2016 प्रस्ताव प्रस्तुत कर किया गया था, जिसे जुलाई 2017 को पारित किया गया।

जी. एस. टी. को चार भागों में लागू किया गया। सी. जी. जी. एस. टी. केन्द्रीय वस्तु या सेवा कर, जिसकी वसूली सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। यह कर राज्य के अंदर होता है। एस. जी. एस. टी. राज्य माल और सेवा कर, जो स्टेट लेवल का है राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। आई. जी. एस. टी. एकीकृत माल और सेवा कर है। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु भेजा जाता है तो सेंट्रल गर्वनमेंट द्वारा यह कर वसूल किया जाता है। यू. टी. जी. एस. टी. केन्द्र शासित प्रदेश के लिए सम्मान और सेवा कर है जो भारत सरकार द्वारा वसूल किया जाता है।

जी. एस. टी. लागू करने पर कर की दरें भी चार भागों में अलग–अलग चरणों में निर्धारित की गयी।

- 0 प्रतिशत कर में मांस, मछली, अंडा, खाने का सामान तथा 1000 रु तक किराया वाले होटल भी आता है।
- 5 प्रतिशत कर में 500 रु से कम कीमत के जुते, चप्पल, पनीर, कोयला, दवाएं, ऑटो, रेस्टोरेंट आदि आता है।
- 12 प्रतिशत कर में पाउडर, सेविंग मशीन, सॉस, अम्ब्रेला, फेसवॉस, ए.सी. वाले होटल, ऑटो आदि आता है।
- 18 प्रतिशत कर में ड्राई फुड, कैमरा, स्पीकर, मोबाईल, स्टील सामग्री तथा वे होटल आते हैं जो शराब बेचते हैं।
- 28 प्रतिशत कर में नशीली चीजें, सैम्पू, हीटर, मोटर साइकिल, मेकअप सामग्री और सिनेमा आता है।

भारत में जी. एस. टी. बहुत बाद में आया। जी. एस. टी. पहले फ्रांस में लागू किया गया था। जी. एस. टी. से सरकार का उद्देश्य यह था कि अलग–अलग करों को हटाकर एक ही कर लगाया जाए जिससे आम जनता को परेशानी न हो। हर नागरिक को जी. एस. टी. के नियम की जानकारी होना चाहिए।

*****

ज्ञान–गठरी (नॉलेज कॉर्नर)

संपादक मंडल द्वारा संकलित

हमारे देश भारत का प्रथम् नागरिक राष्ट्रपति होता है और 27 वां नागरिक भारत की जनता।
आइए जानें, इसके बीच कौन–कौन आता है।

श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14 वें राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम् नागरिक है और उसके बाद 27 वें स्थान जनता तक कौन– कौन है?

आइए देखते हैं पूरी लिस्ट...

- **भारत का प्रथम् नागरिक :–** देश का राष्ट्रपति।
- **द्वितीय नागरिकः–** देश का उप राष्ट्रपति। आपको बता दें इस समय भारत के उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं।
- **तृतीय नागरिकः–** प्रधानमंत्री। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी हैं।
- **चतुर्थ नागरिकः–** राज्यपाल। (संबंधित राज्यों के सभी)
- **पंचम् नागरिकः–** देश के सभी पूर्व राष्ट्रपति एवं पंचम (अ) सभी पूर्व उपराष्ट्रपति।
- **छठवॉ नागरिकः–** भारत के मुख्य न्यायधीश और लोकसभा अध्यक्ष।
- **सप्तम् नागरिकः–** केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री (संबंधित सभी राज्यों के), योजना आयोग के उपाध्यक्ष, सभी पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता और सप्तम (अ) सभी भारत रत्न पुरूस्कार विजेता।
- **अष्टम् नागरिकः–** भारत में मान्यता प्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (संबंधित राज्यों से बाहर के) राज्यपाल (अपने संबंधित राज्यों से बाहर के)
- **नवम् नागरिकः–** सुप्रीम कोर्ट के जज, नवम (अ) यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन (यूपीएससी) के चेयरपर्सन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
- **दशम् नागरिकः–** राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, योजना आयोग के सदस्य (वर्तमान में नीति आयोग), राज्यों के मंत्री (सुरक्षा से जुड़े मंत्रालयों के अन्य मंत्री)
- **ग्यारहवें नागरिकः–** अटार्नी जनरल (एजी), कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल (केंद्र शासित प्रदेशों के भी शामिल)
- **बारहवें नागरिकः–** पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक वाले कर्मचारियों के चीफ।
- **तेरहवें नागरिकः–** राजदूत, असाधारण और पूर्ण नियोक्ता जो कि भारत में मान्यता प्राप्त हैं।
- **चौदहवें नागरिकः–** राज्यों के चेयरमैन और राज्य विधानसभा के स्पीकर (सभी राज्य शामिल), हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (सभी राज्यों की पीठ के जज शामिल)

- **पंद्रहवें नागरिकः–** राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर्स (सभी राज्यों के शामिल), केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य कार्यकारी कांउसलर (सभी केंद्र शासित राज्य) केंद्र के उपमंत्री।
- **सोलहवें नागरिकः–** लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाले स्टाफ के प्रमुख अधिकारी।
- **सत्रहवें नागरिकः–** अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उनके संबंधित न्यायालय के पीयूज न्यायाधीश (उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में)
- **अठारहवें नागरिकः–** राज्यों (उनके संबंधित राज्यों के बाहर) में कैबिनेट मंत्री, राज्य विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान मंडलों के उपाध्यक्ष (उनके संबंधित राज्यों में), मंत्री राज्य सरकारों (राज्यों में उनके संबंधित राज्यों), केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और कार्यकारी परिषद, दिल्ली (उनके संबंधित संघ शासित प्रदेशों के भीतर) संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में।
- **उन्नीसवें नागरिकः–** संघ शासित प्रदेशों के मुख्य आयुक्त, उनके संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों के उपमंत्री (उनके संबंधित केंद्र शासित प्रद्रेशों में) विधान सभा के उपाध्यक्ष और मेट्रोपॉलिटन परिषद दिल्ली के उपाध्यक्ष।
- **बीसवें नागरिकः–** राज्य विधानसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)
- **इक्कीसवें नागरिकः–** सभी संसद सदस्य।
- **बाईसवें नागरिकः–** राज्यों के डिप्टी मिनिस्टर्स (उनके संबंधित राज्यों के बाहर)
- **तेईसवें नागरिकः–** आर्मी कंमाडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इन्हीं की रैंक के बराबर के अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव, (उनके संबंधित राज्यों के बाहर), भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के सदस्य।
- **चौबीसवें नागरिकः–** उप राज्यपाल रैंक के अधिकारी या इन्हीं के समकक्ष अधिकारी।
- **पच्चीसवें नागरिकः–** भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव।
- **छब्बीसवें नागरिकः–** भारत सरकार के संयुक्त सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी, मेजर जनरल या समकक्ष रैंक के रैंक के अधिकारी।
- **सत्ताईसवें नागरिकः–** भारत के सत्ताईसवें नागरिक आम इंसान होते हैं। जैसे की आप और हम !!

*****

प्रेरक प्रसंग

ईमानदारी की कथाएं

विरेन्द्र कुमार
बी.ए., भाग–दो

नाव गंगा के इस पार खड़ी है। यात्रियों से लगभग भर चुकी है। रामनगर के लिए खुलने ही वाली है। बस एक–दो सवारी चाहिए। वहीं पास में एक नवयुवक खड़ा है। नाविक उसे पहचानता है। बोलता है – ''आ जाओ खड़े क्यों हो क्या रामनगर नहीं जाना है? युवक बोला हां जाना तो है लेकिन आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता। क्यों भैया रोज तो इसी नाव से आते–जाते हो आज क्या बात हो गयी? आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं है, तुम जाओ। अरे यह भी कोई बात हुई। आज नहीं तो कल दे देना।

नवयुवक ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटाती है। कल भी यदि पैसे का प्रबंध नहीं हुआ तो कहां से दूंगा? उसने नाविक से कहा, तुम ले जाओ नौका, मैं नहीं जाने वाला। वह अपनी किताब कापियाँ एक हाथ में ऊपर उठा लेता है और छपाक से नदी में कुद जाता है। नाविक देखता ही रह गया। मुख से निकला – अजीब मनमौजी लड़का है। छप–छप करते नवयुवक गंगा नदी पार कर जाता है। रामनगर के तट पर अपनी किताबें रखकर कपड़े निचोड़ता है। भीगें कपड़े पहनकर वह घर पहुँचता है। माँ रामदुलारी इस हालत में अपने बेटे को देखकर चिंतित हो उठी। अरे! तुम्हारे कपड़े तो भीगे हैं? जल्दी उतारो।

नवयुवक ने सारी बात बतलाते हुए कहा, तुम्ही बोलो माँ, अपनी मजबूरी को मल्लाह को क्यों बतलाता? फिर वह बेचारा तो खुद गरीब आदमी है। उसकी नाव पर बिना उतराई दिए बैठना कहां उचित था। यही सोचकर मैं नाव पर नही चढ़ा। गंगा पार करके आया हूं। माँ रामदुलारी अपने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा ''बेटा तु जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ''वह नवयुवक अन्य कोई नहीं लाल बहादुर शास्त्री थे। जो देश के प्रधानमंत्री बने और 18 महीनों में राष्ट्र की प्रगति दिखाई।

––00––

यह एक पोलियोग्रस्त बालिका की कहानी है। चार साल की उम्र में निमोनिया और काला ज्वर की शिकार हो गयी। फलतः पैरों में लकवा मार गया। डॉक्टरों ने कहा विज्मा रूडोल्फ अब चल न सकेगी। विज्मा रूडोल्फ का जन्म टैनेसस के एक दरिद्र परिवार में हुआ था। लेकिन उसकी माँ विचारों की धनी थी। उसने ढाँढस बंधाया, नहीं विज्मा तुम भी चल सकती हो यदि चाहो तो। विज्मा की इच्छा शक्ति जाग्रत हुई। उसने डॉक्टरों को चुनौती दी क्योंकि मां ने कहा था। यदि आदमी को ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत और लगन हो वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। नौ साल की उम्र में वह उठ बैठी। 13 साल की उम्र में पहली बार एक दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुई, लेकिन हार गई। फिर लगातार प्रतियोगिताओं में हारी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 15 साल की उम्र में तेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में गई और

वहॉ तेम्पल नामक कोच से मिलकर कहा आप मेरी क्या मदद करेंगे। मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच तेम्पल ने कहा 'तुम्हारी इस इच्छाशक्ति के सामने कोई बाधा टिक नहीं पाएगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।

सन् 1960 की विश्व प्रतियोगिता ओलम्पिक में वह भाग लेने आयी। उसका मुकाबला विश्व की सबसे तेज धाविका जुत्ता हैन से हुआ। कोई सोच नहीं सकता था कि एक अपंग बालिका वायु वेग से दौड़ सकती है। वह दौड़ी और एक दो और तीन प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर 100 मीटर, 200 मीटर तथा 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता।

उसने प्रमाणित कर दिया कि एक अपंग व्यक्ति दृढ़ इच्छाशक्ति से सब कुछ कर सकता है। हर सफलता की राह कठिनाइयों के बीच से गुजरती है।

*****

संकलित कहानी

एक किसान की कहानी

कु. हिमा कुंजाम

एम. ए. तृतीय सेमेस्टर (हिन्दी)

एक किसान था जिसके दो बेटे थे। वे बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वे अपने पिता का कामकाज में हाथ बटाने के बजाए आलस किया करते थे, इधर–उधर घूमते–फिरते रहते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिकर थी, वह सोचता था कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा? ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे ?

एक दिन किसान की हालात बहुत गंभीर थी। कहने का मतलब किसान मरने की हालात में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारा हो गया।

खजाने की खबर सुनकर दोनो बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गये और खेत को खोदने लगे। कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, खेती! तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने भी खेत में बीज बोने शुरू कर दिए।

वर्षा का पानी पाकर बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहलहाने लगा।यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गये। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वे उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गये और अपने काम काज में लग गये।

*****

गुरू और शिष्य की कहानी

(संकलनकर्त्ता)

रूपेश कुमार मण्डावी

एम. ए. तृतीय सेमेस्टर (हिन्दी)

एक शिष्य अपने गुरू से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुंआ दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को असीम तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा क्यों ना यहां का जल गुरूजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा।

वह आश्रम पहुंचा और गुरूजी को सारी बात बताई। गुरूजी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा– वाकई जल तो गंगाजल के समान है। यह सुनकर शिष्य को खुशी हुई। गुरूजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया।

कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरूजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरूजी ने मशक शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला–गुरूजी इस पानी में तो कड़वापन है और न ही यह जल शीतल हैं। अपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की।

गुरूजी बोले– बेटा मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया, तब वह शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहां तक आते–आते यह जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना।

कहानी की सीख– दूसरों के मन को दुःखी करने वाली बातों को टाला जा सकता है और हर बुराई में अच्छाई खोजी जा सकती है।

*****

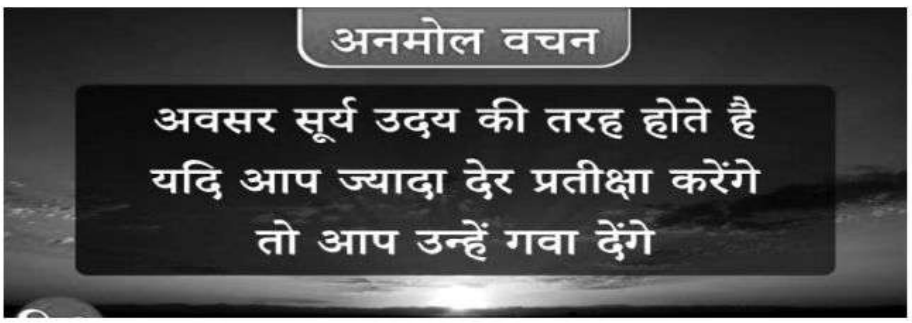

हिन्दी मेरी प्यारी हिन्दी

भोला चौहान
बी.एस सी., भाग–दो

हिन्दी मेरी प्यारी हिन्दी तेरा होता कहां सम्मान है,
सब बोलना चाहते हैं अंग्रेजी ये तेरा सबसे बड़ा अपमान है.....
कौन समझ रहा यहां पर तेरी क्या पहचान है,
राष्ट्रभाषा का दर्जा लिये तू ही भारत की शान है .....
आंगन महक रहा जिससे उस भारत मां का वरदान है,
हिन्दी मेरी प्यारी हिन्दी तेरा होता कहां सम्मान है .....
कभी पद्य भाग कभी गद्य भाग कभी कविता का स्वाभिमान है,
कब समझेगा ये हिन्दुस्तान हिन्दी वतन की जान है.....
कौन करेगा इज्जत तेरी जब सब तुझसे परेशान हैं,
सब सीख रहे हैं अंग्रेजी तू चंद दिनों की मेहमान है .....
साथ मिला तेरा हमको तभी तो देश महान है,
हिन्दी मेरी प्यारी हिन्दी तेरा होता कहां सम्मान है।

*****

बदलती प्रकृति बदलता मौसम

दीनदयाल सरोज
एम. एस सी. (रसायनशास्त्र)

बदलती प्रकृति बदलता मौसम और बदलता ये जहां,
ये मौसमों और मानवों की बढ़ती आबादी
ये बरसात की बूंदे और पुकारते मेढकों की टरटराहट
गर्मी में पसीनों की बूंदे और ये करवटें लेते मौसम
बदलती प्रकृति बदलता मौसम और बदलता ये जहां
एक–दूसरे के बढ़ते हौसले में कुचलते भारत माता और ये गरीब बच्चे
ये मौसमें और करवटे और बदलती ये प्रकृति
शहरों और गॉव और दुनिया को बढ़ाने के आड़ में
हो रही प्रकृति और मौसमों की हानियां
मंजिलों को पाने में जंगलों और प्रकृति की हानियां
पहले ना थी इतनी आबादी ना इतनी समस्या
बदलती प्रकृति बदलता मौसम और बदलता ये जहां।

*****

गिलोय

देवेश साहू
एम. एस सी. तृतीय सेमेस्टर (वनस्पतिशास्त्र)

गिलोय पौधे के प्रचलित नाम :– अमृता, जीवन्तिका, गिलोय, गुड़ची, चक्रांगी इत्यादि।
गिलोय बेल की तरह फैला रहता है तथा इसकी पत्तियां पान की पत्तियों की तरह होती है।
गिलोय एक औषधीय पौधा है इसके निम्न फायदे हैं –

- गिलोय की पत्तियां सबसे महत्वपूर्ण जड़ी–बूटियों के रूप में उपयोग की जाती है।
- इसमें एण्टीऑक्सीडेन्ट गुण पाया जाता है, जो खतरनाक बीमारियों से हमें बचाती है।
- यह किडनी एवं लिवर से विशाक्त पदार्थों को दूर करती है।
- अगर नियमित रूप से गिलोय के जूस का सेवन करते हैं तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
- चिकनगुनिया का जड़ से ईलाज इससे संभव है। इसका सेवन करने की सलाह आज सभी को दी जाती है।
- यह पाचन तंत्र को ठीक रखने में उत्तम भूमिका निभाती है।
- इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर ऑवले के साथ सेवन करना लाभकारक है।
- चूर्ण का उपयोग घी के साथ करने से इसके फायदे में बढ़ोतरी होती है।
- गिलोय कोलेस्ट्राल को कम करती है। रक्त में शुगर नियंत्रण करती है।
- इसके सेवन से सौंदर्य निखारने में एवं चेहरों की दागों को कम करती है।
- गिलोय की पत्तियों में फॉस्फोरस, कैल्सियम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है।
- गिलोय की शाखा, पत्तियां, टहनियां एवं जड़ यानि समस्त गिलोय का पौधा अत्यंत लाभकारी है। बुखार, बवासीर, शारीरिक कमजोरी, पीलिया, अस्थमा, खून की कमी, डायबिटीज, चिकनगुनिया, गैस समस्या, जोड़ों के दर्द, हड्डी टूटने आदि रोगों सहित बुढ़ापा की समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है।
- **इसको गरीब का डॉक्टर भी कहा जाता है।**
- प्राकृतिक रूप से शरीर के लगभग सभी दोषों को संतुलित रखने की क्षमता रखने वाला गिलोय आयुर्वेद के नजरिये से एक महत्वपूर्ण जड़ी–बूटी है।

गिलोय शीघ्रता से फलती–फुलती है। बेल जैसे फैलती है। इसका उत्पादन करने की विधि है जैसे गुलाब की टहनियॉ लगाते हैं वैसे ही इसको भी लगाया जाता है।

मिलने का क्षेत्र :–

- यह काली मिट्टी में अधिकतर पायी जाती है।
- जंगलों, खेत के मेड़ों, पहाड़ी चट्टानों में पायी जाती है।
- यह नीम, आम वृक्षों के पास अधिकतर पायी जाती है।

*****

त्रिफला

तामेश्वरी नेताम
एम. एस सी. तृतीय सेमेस्टर (वनस्पतिशास्त्र)

त्रिफला एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक रासायनिक फार्मूला है, जिसमें अमलकी (आँवला), विभीतक (बहेड़ा) और हरितकी (हर्रा) के बीजों को निकालकर 1:2:3 मात्रा में लिया जाता है। त्रिफला शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ''तीन फल''। त्रिफला प्रायः भारत में सभी जगह पाया जाता है। इनका वनस्पतिक नाम – आँवला, बहेड़ा और हर्रा

स्वास्थ्य संबंधी लाभ :–

- त्रिफला पाचन और भूख को बढ़ाने, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करने और शरीर में वसा की मात्रा को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- त्रिफला का उपयोग रक्त के जमाव और सिरदर्द को दूर करने के लिए किया जाता है।
- भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, मां नहीं है? यदि आपके पास त्रिफला है तो आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है'' इसका सार है कि जिस तरह मां अपने बच्चों की देखभाल करती है उसी तरह त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल करती है।
- यह पाचन एवं पोषक तत्वों के सम्मिलन को बेहतर बनाती है।
- रात को सोते वक्त एक चम्मच त्रिफला चूर्ण हल्के गर्म दूध अथवा गर्म पानी के साथ लेने से कब्ज दूर होती है।
- त्रिफला के सेवन से नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है।
- त्रिफला को पानी में भिगोकर रख दें शाम को छानकर पीने से मुँह में छाले व ऑखों की जलन ठीक होती है।
- एक चम्मच त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम गाय का घी और 5 ग्राम शहद के साथ मिलाकर नियमित सेवन करने पर ऑखों का मोतियाबिंद, कॉचबिन्दु दृष्टि दोष और अन्य नेत्र संबंधी रोग दूर होते हैं।
- चर्म रोगों– दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी आदि रोगों के लिए सुबह–शाम त्रिफला को एक चम्मच पानी के साथ लेना चाहिए।
- त्रिफला की राख शहद में मिलाकर गर्मी से हुए त्वचा के चकतों पर लगाने से राहत मिलती है।
- त्रिफला, तिल का तेल और शहद समान मात्रा में मिलाकर इस मिश्रण की 10 ग्राम हर रोज गुनगुने पानी के साथ लेने से पेटदर्द, मासिक धर्म और दमा से राहत मिलती है।
- त्रिफला में संभावित रूप से कैंसर विरोधी गुण मौजूद होता है।

*****

कालमेघ (भुईनीम)

रीना नेताम

एम. एस सी. तृतीय सेमेस्टर (वनस्पतिशास्त्र)

कालमेघ एक बहुवर्षीय शाक जातीय औषधीय पौधा है। कालमेघ की पत्तियों में कालमेघीन नामक उपाक्षार पाया जाता है। जिसका औषधीय महत्व है। यह पौधा भारत एवं श्रीलंका में मूलतः पाया जाता है । इस पौधे की पत्तियॉ हरी एवं साधारण होती हैं। इसके फूल का रंग गुलाबी होता है। पौधों को काटकर तथा सुखाकर बिक्री की जाती है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति में कालमेघ एक दिव्य गुणकारी औषधीय पौधा है जिसको हरा चिरायता, देशी चिरायता, बेलवेन किरयित के नामों से भी जाना जाता है। भारत में यह पौधा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। इसका स्वाद बेहद कड़वा होता है। इसमें एक प्रकार का क्षारीय तत्व एन्ड्रोग्राफोलाईड्स कालमेघिन पाया जाता है। इसके पत्तियों का उपयोग ज्वर नाशक, जांडिस, पेचिस की बीमारियों में बहुत ही लाभकारी पाया गया है।

इसके फायदे या उपयोग

घाव :– कालमेघ घाव और फोड़े–फुँसी को भी दूर करता है। इसके लिए कालमेघ को पानी में उबालकर उस पानी से घाव को साफ करने पर घाव जल्दी ठीक होता है।

गैस व एसिडिटी :– गैस व एसिडिटी में इसके पत्तों का रस पानी में मिलाकर पीने से फायदा होता है।

मलेरिया :– मलेरिया में कालमेघ का प्रयोग काली मिर्च के साथ किया जाता है। यह मलेरिया के वक्त नष्ट सेल को भी ठीक करता है।

खून साफ :– इसके पत्तों को साफ करके पानी में उबालें फिर उन्हें छान कर रोज एक गिलास पीएं, इससे खून साफ होगा।

पेट के कीड़े :– बच्चों के पेट के कीड़े को मारने में भी यह फायदेमंद है। इसके लिए आधा चम्मच कालमेघ के पत्तों के रस में 2 चम्मच कच्ची हल्दी और चीनी मिलाकर पीएं।

बुखार :– बुखार में इसके 1–2 चम्मच रस का सेवन करने से फायदा होता है। दिन में 3 बार लेने से शरीर का तापमान कम हो जाता है।

*****

हिन्दी दिवस का इतिहास

कु. शैलेन्द्री पटेल
एम. ए. चतुर्थ सेमेस्टर (हिन्दी)

हिन्दी दिवस साल 1953 से पूरे भारत में 14 सितम्बर को हर साल मनाया जाता है। हिन्दी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी। इस निर्णय के बाद हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितम्बर को हर साल हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

वैसे तो भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहां पर हर राज्य की अपनी अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान है। यही नहीं सभी जगह की बोली भी अलग है, इसके बावजूद हिन्दी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने हिन्दी को जनमानस की भाषा कहा था। उन्होंने 1918 में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मलेन में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था।

आजादी मिलने के बाद लम्बे विचार–विमर्श के बाद आखिरकार 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में हिन्दी को राजभाषा बनाने का फैसला लिया गया भारतीय संविधान के अध्याय 17 की धारा 343 (1) में हिन्दी को राजभाषा बनाए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया गया।

हिन्दी दिवस क्यों मनाया जाता है?

भारत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसी वजह से उस गुलामी का असर लम्बे समय तक देखने को मिला। इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। हिन्दी को अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है। आमतौर पर हिन्दी बोलने वालों को पिछड़ा और अंग्रेजी में बात करने वाले को आधुनिक कहा जाता है। इसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ऐसे में हिन्दी दिवस मनाना जरूरी है ताकि लोगों को यह याद रहे कि हिन्दी उनकी राजभाषा है और उसका सम्मान जरुरी है। हिन्दी दिवास मनाने के पीछे मंशा यही कि लोगों को एहसास दिलाया जा सके कि जब तक वे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इस भाषा का विकास नहीं होगा। ताजा ऑकड़ों के मुताबिक वर्तमान में भारत में 43.63 प्रतिशत लोग हिन्दी भाषा बोलते हैं। इसे आप हिन्दी की ताकत ही कहेंगे कि अब लगभग सभी विदेशी कंपनियां हिन्दी को बढ़ावा दे रही हैं। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में पहले जहां अंग्रेजी कंटेन्ट को बढ़ावा दिया जाता था वही गूगल अब हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषा वाले कन्टेण्ट को प्रमुखता दे रहा है। हाल ही में ई–कॉमर्स साइट अमेजॉन इंडिया ने अपना हिन्दी एप लॉच किया है। ओ.एल.एक्स., क्विकर जैसे प्लेटफार्म पहले से ही हिन्दी में उपलब्ध हैं। स्नैपडील भी हिन्दी में ही है। इन्टरनेट के प्रसार से भी हिन्दी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ

हैं। 2021 तक हिन्दी में इन्टरनेट उपयोग करने वालों की संख्या अंग्रेजी में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से अधिक हो जाएगी। इस तरह हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।

यह हिन्द जय हिन्दी

आज हिन्दी दिवस पर्व है हमें इस पर गर्व है,
सम्मानित हो राष्ट्रभाषा, सबकी यही अभिलाषा।
हिन्दी का न करे कोई अपमान, कड़ी सजा का हो प्रावधान,
हम सबकी यही पुकार सजग हो हिन्दी के लिए सरकार।
सदा मने हिन्दी दिवस, शपथ ले मन से पूरे बरस,
स्वार्थ को छोड़ना होगा, हिन्दी से नाता जोड़ना होगा।

*****

हिन्दी दिवस क्यों मनाया जाता हैं?

सुनीता सिन्हा
एम. ए. चतुर्थ सेमेस्टर (हिन्दी)

प्रेम की जो भाषा है
हमें हिन्दी सिखाती है,
क्या है मां की परिभाषा
हमें हिन्दी बताती है।
सुबह मां के भजन हो या
रात को दादी की लोरिया
हमारे ख्वाब का बिस्तर
सदा हिन्दी दिखाती है।
दिखावे में भले हम मॉम डैड
कहते हैं।
मगर जब चोट लगती है
जुबान फिर मां चिल्लाती है।
नकली पैर चलने का
सहारा तो वे दे सकते हैं।
दौड़ने में रफ्तार असली पैर से
ही आती है।
प्रेम की जो भाषा है वो
हमें हिन्दी सिखाती है।
क्या है मां की परिभाषा
हमें हिन्दी बताती है।

वैसे तो सब जानते है कि 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है, भारत की मातृभाषा होने के बाद भी हिन्दी का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं।

हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा सन् 1918 से है। जब महात्मा गांधी ने हिन्दी सम्मेलन में हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने हिन्दी को जन भाषा बुलाया था। 14 सितंम्बर 1449 को संविधान सभा में निर्णय लिया गया था कि भारत की राजभाषा हिन्दी ही होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिन्दी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए सन् 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंम्बर को भाग 17 की धारा

343(1) में दर्शाया गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। साथ ही संघ के सभी कार्यो के लिए प्रयोग किया जाने वाले अंक अंतराष्ट्रीय होगा।

इस दिन को हिन्दी दिवस के रूप में पहचाना जाता है। आज हिन्दी दिवस के मायने अलग हो गये हैं। अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग की वजह से आज हिन्दी भाषा का अस्तित्व खतरे में नजर आ रही है। हिन्दी के प्रयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके महत्व को पहुंचाया जाए।

हिन्दी भारत की मूल भाषा है। परन्तु जिस तरह देश में भिन्न–भिन्न धर्म के लोग हैं, उसी तरह कई भाषाएं एवं बोलियां भी यहां बोली जाती हैं। इन सबके अलावा देश में हिन्दी एवं आंग्ल भाषा अर्थात इंग्लिश के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही चली जा रही है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी धरातल पर हिन्दी भाषा में अपना उद्‌बोधन दिया। अतः बिना डरे इसे सीखने तथा आत्म विश्वास के साथ अपनाने की आवश्यकता है।

जय हिन्द जय हिन्दी

आज 14 सितम्बर है। संपूर्ण भारत में इस दिन को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी भाषा के प्रति समर्पण कर हम हर साल इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिन्दी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है।

हिन्दी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिम्ब है। भारत देश में अधिकतम् लोग हिन्दी भाषिक हैं। हमारी राजभाषा हिन्दी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। हिन्दी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती है। हिन्दी पूरे भारत को एक बनाए रखती है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का भी अपना स्थान है पर इस वजह से हम हमारे मातृभाषा को भूला नहीं सकते हैं।

आज हम हिन्दी में बात तो करते हैं पर कई बार हमारी बातों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी वजह से हिन्दी के कई शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हमें ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहिए। हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं।

भारत की गौरवगाथा है हिन्दी, हर भारतीय की पहचान है हिन्दी, एकता की परंपरा है हिन्दी, हमारे जीवन की परिभाषा है हिन्दी। आइये हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारी राजभाषा हिन्दी के विकास में हम हमारी ओर से पूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके हिन्दी भाषा का प्रयोग करेंगे।

(टीप– उक्त आलेख महाविद्यालय के हिन्दी–विभाग द्वारा हिन्दी दिवस के अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त है।)

*****

संविधान क्या, क्यों और कैसे?

आशु प्रजापति
एल एल. बी. तृतीय वर्ष

भारत का सर्वोच्च कानून ''भारतीय संवधिान'' के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले महान् नेता बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे। जिनका जन्म 14 अप्रैल सन् 1891 को मध्यप्रदेश के महू मे हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन भर देश में समानता के लिए लड़ते रहे।

संविधान एक लिखित नियम और कानून का समूह है जिसके द्वारा सरकार की शक्तियों का विभिन्न टुकड़ों में वर्णन है तथा इन शक्तियों का प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। कोई भी कार्यवाही जो संविधान के अनुरूप नहीं होता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। सत्ता के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए और सरकार की शक्तियों को एक सीमा में रखने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था।

ब्रिटेन देश में अधिकतर संविधान अलिखित है जबकि भारतीय संविधान ज्यादातर लिखित है। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था।

यह जानना बेहद आवश्यक है कि किसी भी देश में संविधान उचित ढंग से उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। यह कुछ सिद्धांन्तों पर आधारित होते हैं। भारत की तरह हर देश को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए संविधान का होना अति आवश्यक है। यदि हमारे भारत देश में संविधान न होता तो लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता न होता और न ही हमारी सीमाओं के बारे में पता होता, जिसकी जैसी मर्जी होती वह वैसा करता और पूरा देश अव्यवस्थित होता। मेरा मानना है कि संविधान एक ऐसी डोर है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ती है। गरीब–अमीर सब के लिए संविधान समान है। संविधान का आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गीता और महाभारत जैसे ग्रंथों के बाद देश को चलाने के लिए संविधान जैसे ग्रंथ की ही आवश्यकता है।

*****

वकील काला कोट क्यों पहनते हैं

गीतांजली सिन्हा
एलएल. बी. द्वितीय वर्ष

वकालत की शुरूआत 1327 में एक्वर्ट तृतीय द्वारा की गयी थी। उस समय ड्रेस कोड तैयार की गयी थी। उस समय जज सर पर बाल वाला विग पहनते थे और वकीलों द्वारा उस समय लाल कपड़े और भुरे रंग का गाऊन पहना जाता था। सन् 1600 में वकीलों की वेशभूशा में बदलाव आया और 1647 में ये प्रस्ताव रखा गया कि कौंसिल को जनता के अनुरूप कपड़े पहनने चाहिए इसके बाद वकीलों ने पूरी लम्बाई वाली गाऊन पहनने शुरू कर दिए। ऐसा

माना जाता है कि उस समय की वेशभूषा न्यायधीशों और वकीलों को अन्य व्यक्तियों से अलग करती थी।

1694 में क्वीन मेरी की चेचक की बीमारी से जुझते हुए मृत्यु हो गयी उनके पति राजा विलियम ने सभी न्यायधीशों और वकीलों को सार्वजनिक रूप से शोक मनाने के लिए काले गाऊन पहनकर इकट्ठा होने का आदेश दिया। इस आदेश को कभी भी रद्द नहीं किया गया जिसके बाद आज तक ये प्रथा चली आ रही है और वकील ये ही पहनावा पहनते आ रहे हैं। सदियां बीत गयीं और ये पहनावा वकीलों की पहचान आज तक नहीं बदला गया। भारत में अधिनियम 1961 के तहत अदालतों में सफेद बेल्ट टाई के साथ काला कोट पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया था। ये माना जाता है कि ये इससे कोर्ट के वकीलों में अनुशासन आता है। ये न्याय के प्रति उनमें विश्वास जगाता है और समाज के अन्दर एक सम्मान जनक रूप प्रदान करता है। काला रंग दृष्टि हीनता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी ये कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति किसी के साथ पक्षपात नहीं करता अतः काले कोट पहनने का मतलब है कि वकील बिना पक्षपात के अपना केस लड़ेंगे।

*****

महिलाओं के कानूनी अधिकार

कु. क्षमा साहू
एलएल. बी – द्वितीय वर्ष

हमारे संविधान में समय–समय पर महिलाओं की रक्षा और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून में बदलाव किये जाते रहे हैं। समाज में महिलाओं का शोषण न हो सके साथ ही पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सकें इसलिए महिलाओं के हक के लिए अनेक कानून बनाए गए जिनका फायदा आज देखने को मिल भी रहा है। इसका नतीजा ये है कि आज महिलाएँ सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने कॅरियर को लेकर काफी गंभीर भी हो गई हैं आगे हम महिलाओं के लिए कुछ कानूनी अधिकारों पर चर्चा करेंगे–

1. **गुजारा भत्ता का अधिकार :–** शादी के बाद यदि पति–पत्नी किसी कारण से साथ में नहीं रहते तो घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने का हक है। घरेलू हिंसा कानून के तहत पत्नी अपने गुजारे भत्ते की मॉग कर सकती है इसके अलावा अगर उनका तलाक हो जाता है तो हिन्दू मैरीज एक्ट की धारा 24 के अंदर मुआवजा पाने की हकदार मानी गई है जो कि पति की आर्थिक हालत को देखते हुए तय की जाती है।
2. **पैतृक सम्पति का अधिकार :–** हमारा संविधान महिलाओं को उनके पिता की सम्पति पर हक पाने का अधिकार देता है तथा किसी भी सम्पति का बटवारा उसकी वसीयत के अनुसार किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बिना वसीयत किये ही मृत्यु हो जाती है

तो ऐसे में बेटी का भी सम्पत्ति में उतना ही हक होता है जितना कि उसके भाई और मां का। ये हक उनके शादी के बाद भी बरकरार रहता है।

3. **पति की सम्पति में अधिकार :–** शादी के बाद अपने पति की सम्पति पर पत्नी का पूरा हक होता है पर अगर विवादों के चलते पति पत्नी का साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो पत्नी अपने पति को सम्पति की आय मे अपना अधिकार की मांग कर सकती है अगर पति की मृत्यु हो जाती है और उसने वसीयत कर रखी है तो यह वसीयत न करने की स्थिति में अपने बच्चे के लिए अपना अधिकार की मांग सकती है।
4. **घरेलु हिंसा के खिलाफ अधिकार :–** किसी भी महिला के साथ अगर उसका पति या उसके घरवाले या उसके रिश्तेदार किसी भी तरह से बुरा व्यवहार करते हैं या उसके अधिकारों का हनन करते हैं या उसके किसी भी अधिकार से वंचित किया जाता है तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है और अपने अधिकारों की मांग कर सकती है।
5. **यौन–उत्पीड़न पर रोकथाम :–** कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण व यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए महिला यौन–उत्पीड़न निवारण कानून बनाया गया है। इसके तहत किसी भी महिला से कार्यस्थल पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अश्लील पिक्चर व मूवी दिखाना या पीछा करना, गलत नियत से उसे टच करना, उसके चरित्र पर ऊंगली उठाना इत्यादि आते हैं। अगर इनमें से उनके साथ कुछ भी होता है तो उस पुरूष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है।
6. **दहेज निवारण कानून :–** दहेज निवारण कानून सन् 1961 में पारित किया गया। इस कानून के अन्तर्गत किसी भी महिला को उसके ससुराल से दहेज लाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है तथा इस कानून के तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन जुर्म समझे जाते हैं। जिसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है।
7. **पुलिस से जुड़े हुए अधिकार** :– किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी महिला को महिला पुलिस कर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करते वक्त उसे गिरफ्तार करने का कारण भी बताना बहुत जरूरी है। गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत की जानकारी देनी चाहिए। साथ ही गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसके करीबी लोगों को इसकी जानकारी देना आवश्यक है और महिला की तलाशी भी एक महिला पुलिस कर्मी ही ले सकती है।
8. **खुद की कमाई हुई सम्पति पर पूरा हक :–** किसी भी महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस सम्पति को उसने खुद कमाया है या पिता व पति की वसीयत से प्राप्त हुई है तो उस सम्पति को वो जैसे चाहे खर्च कर सकती है। वो चाहे उसे बेच सकती है या किसी को दे सकती है किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो उस महिला पर रोक लगाये।
9. **कन्या भ्रुण हत्या के खिलाफ अधिकार :–** अजन्मे बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो जन्म ले। नये चिकित्सा प्रणाली और भ्रुण हत्या द्वारा उसके जीवन का अन्त नहीं किया जा

सकता। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो महिला को उसके मूल अधिकार यानी जीने का अधिकार का पूरा अनुभव करने दे उस पर रोक ना लगाये।

10. निःशुल्क कानूनी मदद के लिए अधिकार :– अगर किसी मामले की आरोपी महिला है तो वो महिला निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। वो कोर्ट से सरकारी खर्चे पर वकील प्राप्त करने का अनुरोध कर सकती है। केवल गरीब महिलाएं ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति में पहुंची हुई महिला यह कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है।

*****

महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके कानूनी अधिकार

कु. भारती केशरिया
एलएल. बी. द्वितीय वर्ष

हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हिन्दुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परम्परा रही है कि यहां की महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। चाहे वो राजनीति, बैंक, विद्यालय, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र, खुद का कारोबार हो या आसमान में उड़ने की अभिलाषा हो।

यह सच है कि भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है लेकिन हम भारत में महिलाओं की स्थिति के नकरात्मक पहलू को भी नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। हर दिन और हर मिनट में देश के विभिन्न स्थानों पर कुछ महिलाएं एक मां, एक बहन, एक पत्नी और छोटी बच्चियां उत्पीड़न, छेड़छाड़, मारपीट और हिंसा का शिकार होती हैं। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक बड़ी सूची है। जैसे कि एसिड अटैक, बाल–विवाह, घरेलू हिंसा, जबदस्ती घरेलू काम, बाल शोषण, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चयनात्मक गर्भपात, बाल श्रम, सम्मान हत्या, बलात्कार और अन्य। हम 21वीं सदी में चल रहे हैं एक उन्नत युग में जी रहे हैं लेकिन भारत में महिलाओं की संदिग्ध सुरक्षा अभी भी बड़े शर्म की बात है। महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में ही बहुत विस्तृत विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को देखकर हम यह तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे देश की महिला पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं। खास तौर पर अगर उन्हें अकेले बाहर जाना हो तो। यह वाकई हमारे लिए शर्मनाक है कि हमारे देश में महिलाओं को भय में जीना पड़ रहा है। हर परिवार के लिए उसकी महिला सदस्यों की सुरक्षा चिंता का मुद्दा बन चुका है।

महिला सुरक्षा के मायने बहुत अहम् हैं फिर चाहे वह घर पर हो, घर से बाहर या फिर दफ्तर में हो।

महिलाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण अधिनियम

भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षा कानूनों की एक सूची है जो महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में काम कर रही है जो निम्न है –

1. बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929
2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1954
3. हिन्दू विवाह विधवा पुर्नविवाह अधिनियम 1856
4. भारतीय 65 संहिता 1860
5. दहेज निषेध अधिनियम 1961
6. मातृत्व लाभ अधिनियम 1861
7. भारतीय तलाक अधिनियम 1969
8. दंड प्रक्रिया संहिता 1973
9. समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976
10. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874
11. महिलाओं का उत्पीड़न प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986
12. सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम 1987
13. राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 अधिनियम
14. घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण ।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून

भारतीय संविधान द्वारा ऐसे कई कानून समय–समय पर बनाया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य ही महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना एवं उनके अधिकारों की रक्षा करना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण धाराएं और प्रावधान है जो महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ काफी असरदार है। इनका विवरण निम्नवत् है –

1. **आई.पी.सी. की धारा 228ए :–** भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए महिलाओं को यह अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है कि वह अपनी पहचान और खुद से जुड़ी जानकारियों को गुप्त रख सके। अगर कोई व्यक्ति महिला के इस अधिकार का उल्लंघन करता है तो इसकी सजा 2 साल की होती है।
2. **धारा 294 :–** अगर कोई व्यक्ति महिला के लिए अभद्र भाषा, गाली–गलौच या आपत्ति जनक इशारा करता है तो महिला को शिकायत करने का अधिकार है। सही पाए जाने पर आरोपी को लगभग 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है।
3. **धारा 306 :–** यह धारा महिलाओं को सुरक्षित जीवन का अधिकार प्रदान करती है। जिसमें किसी प्रकार से महिला को प्रताड़ित करना और आत्महत्या के लिए उकसाना गंभीर

अपराधों में शुमार है। संविधान की धारा 306 के तहत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक के सजा का प्रावधान है।

4. **धारा 312 एवं 315 :–** किसी महिला पर अगर जबरन गर्भधारण और गर्भपात के लिए दबाव डाला जाता है तो ये अपराध है। बिना महिला की सहमति के ऐसा करना गैर कानूनी है। महिला के पास गर्भधारण और गर्भपात की सुरक्षा का अधिकार है। अपराध सिद्ध होने पर धारा 312 और 315 के तहत 10 साल तक की सजा मिल सकती है।
5. **धारा 354 :–** किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग अपराध माना गया है।

   354 ए. लैंगिक उत्पीड़न
   354 बी. निर्वस्त्र करने के आशय से हमला करना
   354 सी. दृश्यरतिकता
   354 डी. पीछा करना
6. **धारा 406 :–** कोई भी महिला अपने सामान व गहने अगर रखने के लिए देती है और उसे वापस नहीं मिलता तो इसके लिए कानून में प्रावधान है। धारा 406 के तहत् महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
7. **धारा 493 :–** अगर कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण करता है तो धारा 493 के तहत महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। आरोप सही होने पर उस पर दण्ड का प्रावधान है।
8. **धारा 498 ए :–** अगर किसी महिला के प्रति क्रूरता का बर्ताव किया जाता है तो वह 498 के तहत अपराध माना जाएगा। यह क्रूरता शारीरिक एवं मानसिक दोनों हो सकती है। कोई भी व्यक्ति महिलाओं के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता, किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।

अन्य कानूनी अधिकार :–

1. **रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार :–** एक महिला को सूरज उगने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही ये संभव है।
2. **निःशुल्क कानूनी मदद के लिए अधिकार :–** बलात्कार के सिवाय किसी भी महिला को निःशुल्क कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। स्टेशन हाऊस ऑफिसर के लिए ये जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करें।
3. **गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार :–** किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई चिकित्सा जॉच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
4. यदि कोई महिला पुलिस थाने में गवाही देना चाहती है या फिर पुलिस थाने में आने से महिला को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो ऐसी स्थिति में उस महिला की सुविधा

को ध्यान में रखते हुए जहॉ महिला को सुविधा महसूस होती है वहीं जाकर गवाही दे सकती है।

निष्कर्ष :–

महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है। महिलाएं देश की लगभग आधी जनसंख्या हैं जिनमें से एक बड़ी संख्या में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित हैं। यह देश के विकास तथा तरक्की में बाधा बन रहा है। देश में अधिकांश महिलाओं को कानूनी जानकारी न होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाओं को अपने लिए प्राप्त कानूरी अधिकारों के प्रति जागरुक होना चाहिए।

*****

मानवाधिकार

अम्बिका चौहान
एल एल.बी. तृतीय वर्ष

मानव बुद्धिमान व विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण इनको कुछ ऐसे मूल तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त है जो उनके अस्तित्व के कारण उससे संबंधित रहते हैं। अतः वे उन्हें जन्म से ही विहित रहते हैं। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। चाहे उनका मूल, धर्म, वंश, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ये उनकी गरिमा एवं स्वतंत्रता के अनुरूप है तथा शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए आवश्यक है।

जैसा कि हम जानते हैं कि मानव को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें जीवन की सुरक्षा व अपना जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। हमारे संविधान के अन्तर्गत मानव को बहुत से अधिकार प्रदान किये गए हैं। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जिसमें मानव का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान है। इसे संविधान के मुल अधिकार में रखा गया तथा इन्हें उच्च व उच्चतम न्यायालय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत मानव को जीविकोपार्जन करने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, आवास का अधिकार, बिजली पाने का अधिकार, प्रेस का अधिकार ऐसे बहुत से अधिकार इस अनुच्छेद द्वारा सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। यह सभी अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। यह सभी अधिकार मानव जाति के लिए आवश्यक है। उनके विकास व गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संविधान ने उन्हें यह अधिकार प्रदान किया है। यह अधिकार उनके लिए बनाया गया है व उन्हें प्रदान किया गया है।

मानव जाति के लिए मानव अधिकार का महत्व क्या है इसे भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। मानवाधिकार का उद्देश्य सदैव मानव जाति का कल्याण रहा है। इसका

उद्देश्य मानवों की सुरक्षा, उनकी प्रतिष्ठा व गरिमा को बनाये रहने का रहा है। यह सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा आचरण करें व सबको सम्मान और इज्जत दें। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी मानवाधिकारों के प्रति सजग हो गया है और मानवाधिकारों से विश्व कल्याण और विश्व शांति की आशा और अपेक्षा करता है। मानवाधिकारों का महत्व आज की दुनिया में निर्विवाद है।

द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात् जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संरक्षण को अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखा। अपनी आने वाली पीढ़ियों को भयंकर युद्ध से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मूल मानव अधिकारों के प्रति मानव की गरिमा और महत्व को बनाए रखने के लिए मानवाधिकार को अपने उद्देश्यों में शामिल किया।

इसके पूर्व जो मानव जाति की स्थिति थी वह अत्यन्त दयनीय थी। समाज में मानव जाति की बुरी दशा थी। ऐसे कई शोषित वर्ग थे जिनके साथ समाज में भेद–भाव व उनके साथ शोषण किया जाता था। वर्ग के आधार पर विभेद, लिंग के आधार पर विभेद तथा आर्थिक दृष्टिकोण द्वारा समाज में लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। कई लोगों को दास या गुलाम बनाकर ऊंचे वर्गों द्वारा मनमाना कार्य व उन्हें शोषित किया जाता था। बच्चों, महिलाओं व दलितों को बन्दी बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। लोगों को बन्दी बनाकर उनका व्यापार किया जाता था। इन सबके कारण समाज में मानव जाति जो निचले व दलितों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिससे समाज में एकता व अखण्डता का अभाव था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को एक करने या सभी में समानता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार को अपने उद्देश्य में शामिल किया, ताकि समाज में चल रहे वर्ग भेद को समाप्त कर एक अच्छे समाज की स्थापना किया जा सके और सभी लोगों में एकता व अखण्डता बनी रहे।

*****

दहेज प्रथा

आलोका मण्डल
एल एल. बी. तृतीय वर्ष

हमारा देश वैश्विक पटल पर काफी विकसित हो गया है, परन्तु आज भी अनेक कुप्रथाओं का प्रचलन जारी है जो कि पूरे समाज को खोखला कर रहे हैं। इन प्रथाओं के कारण समाज में अनेक कुरीतियों का प्रचार हो रहा है। इन प्रथाओं में एक कुप्रथा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। दहेज प्रथा गैर कानूनी होने के बावजूद भी समाज में व्याप्त है और आज भी खुली तौर पर राज करती है। दहेज प्रथा के कारण अनेक अपराध कारित होता है। दहेज प्रथा के कारण महिलाओं का शोषण हो रहा है।

महिलाओं का सर्वाधिक शोषण और उन पर अत्याचार दहेज प्रथा के कारण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि महिला खुदकुशी कर लेता है या दहेज के कारण ससुराल

वाले बहु की हत्या कर देते हैं। महात्मा गाँधी जी ने दहेज प्रथा के बारे में कहा था कि ''जो व्यक्ति दहेज को शादी की जरूरी शर्त बना देता है वह अपने शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है और साथ ही पूरी महिला जाति का भी अपमान करता है।'' ये बात महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी से पहले कही थी परन्तु आज इतने सालों बाद भी सही प्रतीत होता है। यह हमारे सभ्य समाज के लिए हानिकारक है।

दहेज प्रथा का अर्थ

दहेज प्रथा का अर्थ यह है कि महिला को शादी के पहले या शादी के बाद किसी भी समय विवाह के किसी भी पक्षकार को कोई सामान या पैसे अर्थात् मूल्यों को देने का करार किया जाता है। विवाह के पश्चात् अगर ससुराल वालों के तरफ से कोई शारीरिक या मानसिक तौर पर प्रपीड़न करता है तो वह दहेज के अन्तर्गत आता है।

दहेज प्रथा से स्त्री की स्थिति दयनीय हो रही है। इसको कम करने के लिए समाज को कदम बढ़ाना चाहिए। दहेज प्रथा का प्रचलन उच्च वर्ग से प्रारंभ हुआ है। पहले वह सिर्फ बेटी के खुशहाल जीवन के लिए यह दिया जाता था। फिर वह एक परम्परा बन गया है। अब दहेज देने का तरीका में बदलाव हो गया है और यह कहा जाता है कि यह हम अपने मर्जी से दे रहे हैं। समाज में दहेज प्रथा के रोकथाम के अनेक उपाय किये जा रहे हैं।

दहेज प्रथा का इतिहास

प्राचीन समय से ही दहेज प्रथा का प्रचलन रहा है परन्तु यह अन्य रूपों में होता था। रामायण, महाभारत के समय से ही दहेज प्रथा का प्रचलन रहा है। पहले यह सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए किया जाता था, जो राजा, महाराजा करते थे। फिर यह प्रतिष्ठित वर्ग से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तक पहुँच गया जो समाज के लिए दाग बन गया है।

दहेज प्रथा का विस्तार

दहेज प्रथा में सिर्फ माता–पिता अपने बेटी को कुछ उपहार देते थे। परन्तु अब इसने विकराल रूप ले लिया है। दहेज प्रथा का विस्तार सम्पूर्ण समाज में व्याप्त है। क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा ऑकड़ों के अनुसार प्रतिघण्टा एक महिला द्वारा दहेज के कारण जान दी जा रही है और यह महिला के लिए घातक सिद्ध हो रहा है।

दहेज के कारण

दहेज प्रथा हमारे समाज के कुबुद्धि का परिणाम है। इस समाज में आज भी महिला और पुरूष में भेदभाव करते हैं। यह आज भी पुरूष प्रधान समाज बना हुआ है इसलिए महिलाओं का उत्पीड़न जारी है। दहेज के अन्य कारणों में झूठी शान है जो आज समाज में व्याप्त है और दूसरों को दिखावे के चक्कर में फल–फूल रहा है। इसके अतिरिक्त लालच, अशिक्षा, जागरुकता की कमी, योग्य लड़कों की कमी आदि भी महत्वपूर्ण कारण हैं।

दहेज प्रथा के दुष्परिणाम

दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के कारण महिलाएं अपना जीवन त्याग रही हैं और आत्महत्या कर रही हैं। एक कविता है –

''तेरी ही बगिया में खिली
तितली बन आसमान में उड़ी हूँ
मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर
ऐ बाबूल तू दहेज देकर विदा न कर''

इस कविता में यह आशय है कि महिला के जीवन को दहेज प्रथा से हानि हो रही है। महिलाओं का जीवन तबाह हो रहा है।

दहेज निषेध कानून

दहेज निषेध कानून 1986 में शामिल किया गया। जो गंभीर और गैर जमानती अपराध है। आईपीसी की धारा 498ए में दहेज प्रथा का उल्लेख है। दहेज के लिए पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए महिला उत्पीड़न हेल्पलाईन 1091 या 100 में भी कॉल कर सकते हैं। महिला पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह शांत और गंभीर रहे, जिससे शिकायत करने वाले व्यक्ति को ध्यान से सुने। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी जा सकते हैं। यद्यपि दहेज प्रथा में 80 प्रतिशत केस नकली साबित होते हैं जो कि पत्नी अपने पति पर करती है।

यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह से 7 वर्ष के समय सीमा में संदेहजनक परिस्थितियों से हो जाती है और सिद्ध हो जाता है कि दहेज से प्रताड़ित किया गया है, तो पति और उसके परिजनों को आईपीसी की धारा 304बी के तहत् 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास होता है।

दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय

दहेज प्रथा के कारण भ्रुण हत्या हो रही है। इसको समाप्त करने के लिए समाज को एकजुट होना होगा। महिला शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, बेटियों को सुशिक्षित और समर्थ बनाना होगा। दहेज कानून को और कठोर करना होगा। अन्तरजातीय विवाह को बढ़ावा देना होगा।

निष्कर्ष

आज के समाज में लड़का–लड़की खुद आगे आकर दहेज के बिना शादी कर रहे हैं और बिना दहेज के शादी करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। यह समाज में आशा की सुनहरी किरण दिखाई दे रही है–

''जब तक रहेगी दहेज प्रथा
बेटी रहेगी दुखी सदा,
तो आओ नया मुकाम बनाएं
दहेज प्रथा को दूर भगाएं।।''

*****

साक्षरता

कमितला नेताम
एम.ए. तृतीय सेमेस्टर (भूगोल)

साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक पक्ष है, जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदण्ड निश्चित किया जा सकता है। भूगोलविदों के लिए साक्षरता जनसंख्या का एक सामाजिक पक्ष होते हुए भी ऐसा गुणात्मक तथ्य है जो क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तशील सामाजिक–आर्थिक प्रवृतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करता है। वस्तुतः साक्षरता के विकास से मनुष्य सीमित परिवेश से बाहर निकलकर अपने क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रवृत्तियों से अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित कर लेता है। जिससे एक इकाई के रूप में मानव ही नहीं राजनीति सम्पूर्ण समान विकास के क्रम में आगे आ जाता है।

राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार :– ''किसी भाषा के एक साधारण सन्देश को समझकर पढ़ एवं लिख सकने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है।''

विश्व साक्षारता वितरण प्रतिरूप

साक्षरता वितरण में महाद्वीपीय और अन्तर्देशीय विषमता पायी जाती है। यह विषमता जनांकिकीय, सामाजिक व आर्थिक तथ्यों में मिलने वाली विषमता के कारण ही घटित होती है। समाजों में विभिन्न जनांकिकीय तथ्यों जैसे– लिंग अनुपात, जातीय संरचना और व्यावसायिक संरचना जैसे तथ्यों के अनुसार साक्षरता में अपेक्षाकृत विषमता पायी जाती है। जबकि आर्थिक दृष्टि से अधिक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता लगभग शत् प्रतिशत है। भारत तथा अनेक एशियाई, अफ्रीकी एवं लैटिन अमेरिकी देशों में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में साक्षरता के विकास की पर्याप्त विषमता है। इन विषमताओं हेतु निम्नांकित तथ्य उत्तरदायी हैं–

1. नगरों में प्रशिक्षण, शैक्षणिक विकास हेतु अनुकूल सामाजिक जीवन तथा अर्थिक प्रतिरूप ।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरी क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरी महिलाओं का जीवन स्तर उच्च होना।
4. नगरी जनसंख्या का अधिक जागरूक होना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षित लोगों का रोजगार की खोज में नगरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण।

विकासशील देशों में यातायात सुविधाओं के विकसित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना से साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। विकासशील देशों में साक्षरता दर न्यून है।

1. यहां गरीबी के कारण लड़कियाँ विद्यालयों में जाने की व्यवस्था नहीं कर पातीं।
2. यहां लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है।

स्त्रियों में अल्प शिक्षा हेतु ऐतिहासिक, परम्परागत और सामाजिक आर्थिक कारण उत्तरदायी रहे हैं। निर्धनता के कारण लड़कों को भविष्य की दृष्टि से साक्षर बनाने में लड़कियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है।

भारत में साक्षरता

भारत में 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 18.33 था जो 1961 में 28.30, 1971 में 34.45, 1981 में 43.56, 1991 में 52.51, 2001 में 65.38 तथा 2011 में 73

प्रतिशत हो गया। 2011 में पुरूषों में साक्षरता 80.90 प्रतिशत रही जबकि महिला साक्षरता 64. 67 प्रतिशत रही है। विभिन्न राज्यों में साक्षरता का स्तर भिन्न है। साक्षरता का स्तर 2011 में केरल में 94 प्रतिशत रहा जो अन्य सभी राज्यों से ऊंचा है। मिजोरम, गोआ, महाराष्ट्र, हिमांचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड में भी साक्षरता दर काफी बेहतर है, जो क्रमशः 91.3%, 88.7%, 83.3%, 82.8% है।

साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक

आर्थिक विकास का स्तर और साक्षरता प्रतिरूप एक–दूसरे से अन्तर्सम्बंधित हैं, अर्थात साक्षरता के विसरण और राष्ट्रीय भावी आर्थिक विकास के मध्य उच्च धनात्मक सह–संबंध है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नवत् हैं–

1. अर्थव्यवस्था का प्रकार
2. नगरीकरण का स्तर
3. जीवन स्तर
4. जातीय संरचना
5. समाज में स्त्रियों की स्थिति
6. मूल्य प्रणाली
7. शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता
8. यातायात व संचार साधनों का विकास
9. तकनीकी विकास का स्तर
10. सार्वजनिक नीति।

साक्षरता को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था का प्रकार महत्वपूर्ण सार्वजनिक कारक है। वास्तव में लेखनकला का आविष्कार ही अर्थव्यवस्था के विविध रूपों में प्रसार से संबंधित था। वर्तमान समय में कृषिगत अर्थव्यवस्था और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में साक्षरता का स्तर इसीलिए भिन्न–भिन्न है।

साक्षरता को निर्धारित करने वाले कारकों में अर्थव्यवस्था से निकट संबंधित नगरीकरण का स्तर भी प्रमुख है। उच्च नगरीकृत देशों तथा क्षेत्रों में साक्षरता भी अधिक है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र भिन्न आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थायुक्त होते हैं।

जीवन स्तर एवं साक्षरता में भी धनात्मक सहसंबंध है। जिन क्षेत्रों में जीवन स्तर भिन्न है। प्रायः वहां साक्षरता दर भी निम्न होती है। यद्यपि दोनों में अन्तर्संबंध का अध्ययन कठिन हो सकता है।

समाज में स्त्रियों की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत भी प्रभावित होता है क्योंकि विकासशील तथा पिछड़े राष्ट्रों में स्त्रियों के निम्न सामाजिक स्तर के कारण उनमें पहले से ही अल्प साक्षरता रही है।

निष्कर्ष

भारत में वर्तमान में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। शासन की तरफ से निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। ताकि हर व्यक्ति शिक्षित हो सके। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है।

*****

समानता की अवधारणा

पार्वती किर्तनीयां
एल एल. बी. तृतीय वर्ष

समानता का विचार एक जटिल विचार है जो आदिकाल से ही राजनीतिक चिंतन की मुख्य समस्या रही है। अतः शुरू में इसके बारे में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है।

समानता अधिकार का विवरण देती है तथ्य की नहीं। समानता एक ऐसा तत्व है जिसकी मांग अधिकारों की भांति की जाती है। समानता एक आधुनिक विचार है। अमेरिकी क्रांति (1776) और फ्रॉसीसी क्रांति (1789) से पहले तक समाज में धन–सम्पदा, पद–प्रतिष्ठा और शक्ति आदि की जो विषमताएं प्रचलित थीं, उन्हें स्वाभाविक माना जाता था। परंतु आधुनिक युग के आरंभ से इन विषमताओं पर सवाल उठाकर यह पता लगाने की कोशिश की जाने लगी कि कौन सी विषमताएं सामाजिक व्यवस्था की उपज हैं, इनमें से कौन सी अनुचित हैं और किन–किन विषमताओं को सामाजिक कार्यवाही के द्वारा दूर किया जा सकता है।

समानता का विचार सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है। जे.जे. रूसो ने अपनी कृति "Discourse on the origin of inequality1755"के अन्तर्गत दो प्रकार की विषमताओं की चर्चा की है। प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता मनुष्य–मनुष्य में आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि, बल इत्यादि की जो भिन्नताएं पायी जाती है, उसे प्राकृतिक विषमता कहा जाता है जो प्रायः अटल या अपरिवर्तनीय होती है। दूसरी ओर परंपरागत विषमता, धन सम्पदा, पद–प्रतिष्ठा और शक्ति की भिन्नताओं को सूचित करती है। ये भिन्नताएं सामाजिक व्यवस्था की देन है और परिवर्तनीय है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार के बारे में है। जो संक्षेप में निम्नलिखित है :–

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 15 : धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन में असवर की समानता।
अनुच्छेद 17 : छुआछूत का निषेध।
अनुच्छेद 18 : अपराधियों का अंत।

समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14–18 में उल्लेखनीय है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समानता से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी लिंग, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र का हो सभी को समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, घुमने–फिरने, नौकरी पाने या कोई भी कार्य करने और कोई भी व्यवसाय करने का (कार्य अवैधानिक नहीं हो) समान अवसर पाने का समान अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त समानता के अधिकार में अस्पृश्यता जैसी कुरीति का भी

अंत किया गया है। भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्य का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा व कठोर कारावास का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 14–18 में भारतीयों को समानता का अधिकार दिया गया है।

कानून के सामने समानताः अनुच्छेद 14– इस प्राधिकरण के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। कानून की दुनिया में उच्च और निम्न, गरीब, रंग या नस्ल, जाति, जन्म, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।

भेदभाव पर रोकः अनुच्छेद 15 – इस अनुच्छेद में यह देखा गया है कि–

राज्य कोई कानून नहीं बना सकता जिसके तहत घर, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म कानून द्वारा नागरिकों पर भेदभाव किया जा सकता है। राज्य एक नागरिक या इनमें से किसी भी आधार पर एक वर्ग को कोई विशेष रियायत नहीं दे सकता है और न ही धर्म जाति आदि के आधार पर नागरिक या वर्ग को अधिकारों से वंचित कर सकता है। सार्वजनिक स्थान जैसे– दुकानें, हॉटल, रेस्ट हाऊस, सिनेमा सभी व्यक्तियों के लिए खुले हैं और कोई भी व्यक्ति उन्हें धर्म, जाति, पंथ आदि के आधार पर उपयोग करने से वंचित नहीं कर सकता है।

छूत–अछूत का अंतः अनुच्छेद 17– इस अनुच्छेद से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और प्रावधान किया गया है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता पर निषिद्ध है। किसी अछूत के परिणाम स्वरूप किसी भी तरह का निषेध एक अपराध है और कानून के अनुसार ऐसे अपराध को दंडित किया जा सकता है।

ऑर्टिकल 18 – यह प्रावधान प्रदान करता है कि –

1. राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी सिवाय सैन्य या शैक्षणिक टाइटल के।
2. भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य के किसी भी शीर्षक को स्वीकार नही होगा।
3. कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना राज्य में एक उपयोगी पद पर बैठता है, वो किसी भी विदेशी सरकार से किसी भी उपहार, धन या किसी भी प्रकार की पद–स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा।

ब्रिटिश शासन के दौरान, सरकार के नुमाइंदों को राय बहादुर, दीवान बहादुर, सर आदि की उपाधि दी गई थी। ऐसे शीर्षक भारतीयों की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा साबित होते हैं। समानता लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। इसलिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसे शीर्षकों की समाप्ति महत्वपूर्ण थी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री आदि पुरस्कार दिये जाते हैं। यहां पर उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है। शीर्षक के रूप में किसी व्यक्ति के नाम पर उनका उपयोग करना अवैध है।

*****

महिला सशक्तिकरण

अनिता नागवंशी

एम. कॉम चतुर्थ सेमेस्टर

महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करना भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं को सर्वोच्च शक्ति कहा गया है, इसी कारण हर धार्मिक अनुष्ठान में महिलाओं को देवी के रुप में विशेष पूजा की जाती है, इसके बावजूद प्राचीन समय से ही महिलाएं अनेक सामाजिक कुरीतियों का सामना करते आ रही हैं। समाज में अशिक्षा और पुरुष प्रधान सोच के कारण महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय गुजरी है, इसके बावजूद प्रत्येक गतिविधियों में महिलाओं का योगदान सराहनीय रहा। स्वतंत्रता संग्राम में भी अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक लड़ाई के लिए आज भी झांसी की रानी का नाम गर्व से लिया जाता है।

पिछले कुछ दशकों से सरकार की नीति और शिक्षा के प्रसार से महिलाओं की स्थिति में बदलाव देखने में आ रही है। कल तक जो चहार–दीवारी में कैद रहती थीं, वे आज पुरूष से कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। खेल का मैदान हो या अंतरिक्ष यान हर क्षेत्र में महिलाएं अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं।

भारत में महिलाओं की स्थिति

प्राचीन समय की तुलना में वर्तमान समय में भारत में महिलाओं की स्थिति में बदलाव दिख रहा है। अब महिला खेल के मैदान से लेकर जंगी जहाज और संसद भवन में भी उपस्थिति और सफल नेतृत्व से यह दर्शा रही हैं कि कितना परिवर्तन आया है। 1951 के जनगणना में महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 6 प्रतिशत थी जो 2011 के जनगणना में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं

सुकन्या समृद्वि योजना– ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर अभिभावकों को बेटी की शादी के लिए आर्थिक परेशानी होती है या लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए पैसों का अभाव होता है। इस योजना में अभिभावक द्वारा अपनी बेटी के नाम पर रूपये जमा करने पर लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद सरकार अधिकतम् ब्याज के साथ रकम वापस देती है।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना– इस योजना के तहत सरकार ने व्यापक रूप में महिलाओं को बैंक से जोड़ने का प्रयास किया है जिससे उन्हें सरकारी सहायता का सीधा लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना– इसके तहत छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का 75 प्रतिशत लाभ महिलाओं को मिला। इसके साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारम्भ किया गया।

जननी सुरक्षा योजना– गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए पौष्टिक भोजन व आवश्यक टीका का प्रबंध किया जाता है। शिशुजन्म अस्पताल में ही हो इसके लिए विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।

देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए पुलिस द्वारा पारिवारिक हिंसा को रोकने के लिए ***टॉल फ्री नं. 191*** जारी किया गया है। साथ ही महिला के आरोप पर तुरंत गिरफ्तारी का भी प्रावधान किया गया है। निर्भया कांड के बाद देश भर में फोरेंसिक जांच केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। वैवाहिक जीवन में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उदेश्य से तीन–तलाक जैसे कुप्रथा को भी समाप्त किया गया। इस दौर में भी हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाएं मौजूद हैं, जो अब भी महिलाओं को पाबंदी में रखती हैं, उनकी स्वतंत्रता का हनन करती हैं एवं उनके पहनावा पर सवाल खड़ा करती हैं।

वैश्विक लैंगिक गैप रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व का एक भी ऐसा देश नहीं है, जहां महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। मगर रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बहुत लचर है। विशेष आरक्षण के बावजूद कई नौकरियों में महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव जारी है जो कि खेदजनक है। सामाजिक जागरूक से इस प्रकार की हिंसा रूकेगी जिसके लिए सामाजिक संगठनों को भी आगे आना चाहिए।

*****

समय–प्रबंधन

आयशा परवीन
एम. कॉम. तृतीय सेमेस्टर

समय के प्रबंधन के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि समय का पहिया निरंतर घुमता रहता है। यह किसी के लिए भी रुकता नहीं है, चाहे वह व्यक्ति प्रसिद्व हो या फिर सामान्य। जिस तरह मुट्ठी में बंधी हुई रेत को फिसलने से नहीं रोका जा सकता, उसी तरह समय के पहिए को भी नहीं रोक सकते।

जैसा कि हम जानते हैं कि कॉम्पिटिशन के दौरान समय के साथ ही चलना जरूरी होता है। खासकर युवा वर्ग व्यर्थ कामों में अपना समय गंवाकर समय की कमी का रोना रोता है। अधिकतर व्यक्ति बेकार के कामों में अपना समय लगाकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी करते हैं। फिर उनकी शिकायत रहती है कि हमें समय ही नहीं मिलता।

ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है टाइम मैनेजमेंट की। अर्थात आप अपना कार्य जितने व्यवस्थित तरीके से करेंगे, काम उतना बेहतर और जल्दी होगा। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि हमारे समय की बचत हमारे ऊपर ही है। ***अर्नाल्ड बेनेट*** कहते हैं कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपके पर्स में बिना कुछ किये 24 घंटे यूं ही मिलते हैं, ये जो 24 घंटे हैं वो न कोई आपसे चुरा सकता है, न कोई छिन सकता है और न ही इसे बढ़ा सकता है। ये आपके हैं, अब आप इसे इस्तेमाल करें या न करें, आपको सजा देने वाला कोई नहीं हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने 24 घंटों का क्या किया ? ये आपकी जिन्दगी है, आपके 24 घंटे या तो जी लें या इन 24 घंटों को निचोड़ लें।

समय का प्रबंधन कैसे करें – दिन के शुरूआत में ही *टू डू लिस्ट* बनाए और इसी अनुसार अपने काम की प्लानिंग करें, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आप दिन भर क्या–क्या करने वाले हैं तब तक बस दिन ही गुजरता जाएगा लेकिन आप एक काम भी ठीक

नहीं कर पायेंगे। इसलिए हमें कार्यों को दिन की शुरूआत में ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आज दिन भर में हमें क्या–क्या काम करने हैं। काम की प्राथमिकता तय कीजिए। दिन का एक खास समय खुद के लिए जरूर बचाएं ताकि आप अपने चाहने वालों को भी समय दे सकें। आप अपना ऑफिसियल और परसनल फोन नम्बर अलग–अलग रखें। अपने काम की वजह से विश्राम के समय को काटकर कोई भी ध्यान भंग करने वाला काम न करें क्योंकि विश्राम शरीर के लिए बहुत जरूरी है।

*****

आत्म–विकास एवं सम्प्रेषण

नरमिला
एम. कॉम चतुर्थ सेमेस्टर

मनोविज्ञान में आत्म–विकास का अर्थ अपने व्यक्तित्व तथा योग्यताओं के बारे में जानना एवं उनको उत्तरोत्तर विकासित करने से है। व्यक्तित्व विकास केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ही आवश्यक नहीं होता वरन् व्यावसायिक परिधि में आत्म विश्वास के प्रभाव से व्यापारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से व्यापारिक लाभ के बढ़ने की पूरी सम्भावना भी रहती है।

यह आत्म–विकास सामाजिक जीवन में लगातार सम्पर्क के माध्यम से ही सम्भव हो पाता है। आत्म शब्द को इस प्रकार समझाया जा सकता है–

आत्म– सामान्य रूप में एक व्यक्ति जो भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक व व्यावहारिक गुण धारण करता है वह उसका आत्म है। व्यवहार विज्ञान के अनुसार व्यक्ति की जटिल क्रियाओं के आधार की जो मानसिक पद्धति है वह आत्म है।

व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों द्वारा आत्म का निरीक्षण किया जा सकता है और भली–भांति जाना जा सकता है। आत्म के स्वरूप में वैचारिक भिन्नता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति का आत्म अद्वितीय होता है। किसी का आत्म कार्य एवं व्यवहार के प्रति अधिक सजग रहता है, तो किसी का ठीक इसके विपरित। प्रत्येक आत्म की अपनी एक मनोकृति एवं मूल्य होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म के मूल्य एवं वृत्तियों से नियंत्रित होना पड़ता है।

सम्प्रेषण एवं आत्म–विकास

सम्प्रेषण एवं आत्म–विकास दोनों एक–दूसरे के परस्पर पूरक हैं, क्योंकि बिना सम्प्रेषण के आत्म–विकास नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार बिना आत्म–विकास के प्रभावी सम्प्रेषण नहीं हो सकता। सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम लिखित, मौखिक, शाब्दिक, अशाब्दिक आदि का कौशलपूर्ण प्रयोग आत्म–विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

सम्प्रेषण सीखने का यंत्र

सम्प्रेषण सीखने का सर्वव्यापी साधन है। परिवार, समाज अथवा समूह से शाब्दिक अथवा अशाब्दिक सम्प्रेषण के माध्यम से व्यक्ति निरंतर सीखता है। मानव में नैसर्गिक रुप से प्रारम्भ से ही परिवारिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप हाव–भाव व मुखाभिव्यक्ति विकसित होते हैं।

*****

मेरी राष्ट्रीय सेवा योजना की यात्रा

गुरूदास बिस्वास

एलएल. बी. तृतीय सेमेस्टर

कोरोना महामारी के कारण जब सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन कर दिया गया और दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उस समय सम्पूर्ण देशवासियों के मन में भय एवं आतंक का माहौल बन गया था।

उस समय रासेयो वालिंटियर के रूप में मेरे द्वारा महाविद्यालय के रासेयो अधिकारी डॉ. मनोज कुमार राव के मार्गदर्शन में जिला कांकेर विकासखण्ड कोयलीबेड़ा स्थित अपने निवास स्थान पखांजूर ग्राम पीव्ही 125, वैकंठपुर पीव्ही 55, पीव्ही 18, पीव्ही 20, पीव्ही 25 और हाठ–बाजारों में कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए व इसे फैलने से कैसे रोका जाए इस बारे में जानकारी दिया एवं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर रहने की अपील तथा बार–बार साबुन से हाथ धोने के तरीकों के बारे में बताया गया।

इसके अलावा मास्क पहनने के स्वास्थ्य विभाग के गाईडलाईन का पालन करने कहा, घरों के दीवारों में स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया गया। गांव–गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र में जाकर मितानिनों से ग्रामीण के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी लिया गया। किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, छींक या बुखार के लक्षण आए तो उसे अपने नजदीकी ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी को बताने के लिए कहा गया।

ग्राम पंचायत, राशन दुकान, नल एवं दुकानों के सामने गोला बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया। साथ–साथ **निःशुल्क 600 मास्क का वितरण** किया गया।
इस प्रकार ''सेवा परमो धर्मः'' को जीवन में पालन कर आत्मसंतोष प्राप्त हुआ।

*****

कोरोना महामारी के दौरान रेडक्रॉस का योगदान

जयंत सरकार

एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर

कोरोना महामारी के कारण देश के सभी स्कूल, कॉलेज बंद हो गये थे और प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रहा थी। इस वायरस से कैसे बचा जाए, कैसे इसे फैलने से रोका जाए इस पर सभी चिन्तित थे। ऐसे में यूथ रेडक्रॉस वालिंटियर के रुप में, डॉ. मनोज कुमार राव के मार्गदर्शन में अपने निवास स्थान कोयलीबेड़ा विकासखण्ड ग्राम पी.व्ही. 78 जनकपुर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में गांव में प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, इसे फैलने से कैसे रोका जाए के बारे में जानकारी दिया। उन्हें बताया कि सामाजिक दूरी बनाये रखें, जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, मुंह में मास्क

लगाएं तथा हाथ नियमित रुप से धोते रहें। विशेषकर बुजूर्ग एवं बच्चों को हाथ धोने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया।

इसके अलावा गांव के प्रत्येक किराना स्टोर्स, राईस मिल, आटा चक्की, नल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सतर्कता व सावधानी से अपने काम करने के बारे में बताया। प्रत्येक जगह जहां भीड़–भाड़ होती है वहां कम से कम दो गज की दूरी बनाये रखने की सलाह दी गयी ताकि आपसी संपर्क से बीमारी न फैले। प्रत्येक दिन सुबह 8:00 बजे तथा शाम 7:30 बजे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षादान किया जो ऑनलाईन क्लास में अपनी उपस्थिति नहीं दे पाते थे। इस तरह समय का सदुपयोग करके मानव सेवा में अपना अल्प योगदान दिया।

''स्वास्थ्य है सबसे महत्वपूर्ण,
इसके बना जीवन अपूर्ण।

*****

घुमक्कड़ी–डायरी

विशाल ठाकुर
बी. कॉम. (एन.सी.सी कैडेट)

आदिकाल से ही यात्रा का अधिक महत्व रहा है। लोग घूम–घूमकर एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते थे, शिक्षा एवं धर्म का प्रचार–प्रसार करते थे। एनसीसी में भी ट्रैकिंग कैम्प का उद्देश्य एक–दूसरे की संस्कृति का आदान–प्रदान करना है। हम लोग काँकेर से पंद्रह कैडेट और एएनओ लेफ्टिनेंट विजय प्रकाश साहू सर के साथ 'सरदार पटेल नर्मदा ट्रैक' राजपिपला गुजरात ट्रैकिंग कैम्प जाने के लिये बस से रायपुर रेलवे स्टेशन सुबह ही पहुँच गए थे। वहाँ राजनांदगांव 38 बटालियन के भी सत्रह कैडेट हमारे साथ जाने के लिये तैयार थे। काँकेर शहर रेलवे से जुड़ा न होने के कारण कई कैडेट तो पहली बार ट्रेन में यात्रा करने जा रहे थे। उत्सुकता और उमंग सभी में नजर आ रहा था। सभी का आपस में परिचय हो गया। दो–दो कैडेट का बडी पेयर बना दिया गया। कैम्प में जाने से पहले 8 छग (स्व) कंपनी एनसीसी काँकेर के सीओ सर कर्नल ए के आहूजा ने ट्रैकिंग के दौरान क्या करना है? और क्या नहीं करना है? इस पर काफी विस्तार से बता दिया था। सभी कैडेट सर के निर्देशानुसार राजपिपला गुजरात में नवम्बर माह ठंड के मौसम के हिसाब से कपड़े–जूते और अन्य रोजमर्रा की सभी जरूरी चीजें रख लिये थे। ट्रेन में सभी अपनी–अपनी सीट में बैठ गये। दूसरे दिन हम करीब ग्यारह बजे वड़ोदरा पहुँच गये। वड़ोदरा में हमने रेलवे स्टेशन में ही वड़ोदरा के 2 गुजरात नेवल एनसीसी में रिपोर्ट दिया। फिर उनके पीआई स्टॉफ ने हमें राजपिपला जाने वाले बस से रवाना किया।

- राजपिपला लगभग तीन घंटे बस की यात्रा के बाद पहुँच गये थे। फिर गुजरात निदेशालय द्वारा आयोजित 'सरदार पटेल नर्मदा ट्रैक' कैम्प एरिया पहुँचे।वहाँ पहुँचने पर दस्तावेजों की जाँच हुई। हमारे रहने के लिये कमरे अलॉट किये गए।
- दूसरे दिन सुबह पीटी परेड के दौरान पैदल चलने का अभ्यास कराया गया। पीटी परेड के बाद सुबह दस बजे हम सब ड्रेस पहन कर उद्घाटन सत्र के लिए तैयार हो गए।
- उद्घाटन सत्र में कैम्प सीओ द्वारा सभी कैडेटों को ट्रैक के दौरान बरतने वाली सावधानियाँ एवं कैम्प के उद्देश्य के बारे में बताया। हमारे ग्रुप में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय से 100, दिल्ली निदेशालय से 100 एवं गुजरात निदेशालय से करीब 25 कैडेट शामिल थे। अगले दिन सुबह 5 बजे से ही सभी कैडेट राजपिपला से जूनाराज इको फॉरेस्ट कैम्प एरिया तक ट्रैकिंग करने के लिये तैयार हो गये थे। सुबह लगभग 7 बजे कैम्प से पैदल चलना शुरू किया, रास्ते में सभी कैडेट गाना गाते और जयघोष करते उत्साह से चल रहे थे। तीन किलोमीटर आगे जाने के बाद कर्ज़न बाँध की पहाड़ियों वाला रास्ता शुरू हुआ। रास्ता चढ़ाई का था और पथरीला था।
- उतार–चढ़ाव जंगली रास्ते में चलते हुए वन का मनोरम दृश्य चारों ओर दिखाई पड़ता था। चिड़ियों और छोटे–छोटे झरनों की आवाज़ें मानो सारा थकान दूर कर देने वाला था। करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद हम सबने कुछ देर विश्राम किया।
- आधे घंटे विश्राम के बाद फिर से पैदल चलना शुरू किया। इस दौरान कैडेट एक–दूसरे से बातचीत करते मेल–जोल बढ़ाते चल रहे थे। रास्ते में अनुमति लेकर फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय करके दोपहर बाद दो बजे करीब जूनाराज कैम्प पहुँच गये थे।
- वहां कैम्प के द्वारा भोजन का पहले से इंतजाम किया गया था। हम सबने खाना खाया कुछ देर विश्राम किया फिर जूनाराज कैम्प के सूबेदार सर ने उस जगह का इतिहास और प्रकृति से परिचित कराया। कैडेटों के रात्रि विश्राम के लिए बाँध के किनारे टेंट लगाये गये थे। संध्याकाल में वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था।
- हम सबने जंगल के जीवन को बहुत करीब से देखा। रात्रि भोजन के बाद कैम्प के सीओ द्वारा नाइट विजन टैक्टिकल क्लास लिया,जिसमें नाइट नेविगेशन के लिये तारों की स्थिति और तारे समूहों का नाम बताये।
- रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह का नाश्ता करके करीब 8 बजे वापस राजपिपला कैम्प के लिये रवाना हो गये। अगले दिन कर्जन बाँध घूमने जाने का कार्यक्रम था। बाँध पहुँचने पर सूबेदार सर ने बाँध की बनावट एवं जलभराव की जानकारी दिया। यह बाँध माही नदी पर बना है। बाँध की ऊंचाई 66 मीटर और लंबाई 575 मीटर है। यहाँ जल–विद्युत का भी उत्पादन होता है।

- कैम्प का अगला दिन विश्व प्रसिद्ध सरदार पटेल जी की मूर्ति 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी', 'बटर फ्लाई गार्डन', 'कैक्टस गार्डन', और सरदार सरोवर बाँध घूमने जाने का कार्यक्रम था। सुबह सभी कैडेट और साथ में जाने वाले कैम्प के स्टॉफ बस से पहले 'कैक्टस गार्डन' पहुँचे। यहाँ विभिन्न देशों में पाये जाने वाले कैक्टस की करीब 330 प्रकार की प्रजाति गार्डन में मौजूद है।
- 'कैक्टस गार्डन' के पास ही 'बटर फ्लाई' गार्डन लगा हुआ है। कई रंग–बिरंगे तितलियों की प्रजातियों को हमने देखा। फिर यहाँ से हम 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' गये। यह विशाल प्रतिमा बहुत दूर से भी दिख जाता है। 182 मीटर की इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनता है। आसपास की मनोरम प्रकृति इसे और भी सुंदर बना देता है। 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' देखने के बाद हम सभी सरदार सरोवर बाँध जाने के लिये बसों में बैठ गये। सरदार सरोवर बाँध में आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन एनसीसी कैडेटों के लिये विशेष अनुमति ली गई थी। यह बाँध नर्मदा नदी पर निर्मित है। 163 मीटर की ऊंचाई वाले इस बांध का प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। इस ऊँचाई से आसपास की प्रकृति का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सरदार सरोवर बाँध जल–विद्युत उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। इस तरह विभिन्न स्थानों के भ्रमण के बाद बांध के किनारे विश्राम गृह में कैम्प के द्वारा भोजन का प्रबंध किया गया था। हम सभी भोजन करने के बाद वापस कैम्प में आ गये।
- कैम्प के अंतिम दिन व्हालीबाल और रस्साकशी का खेल हुआ। खेल के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सभी कैडेट एक दूसरे को बहुत पहले से जानते समझते हों, संस्कृति का ऐसा मेल हो गया था कि दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कैडेट एक से लग रहे थे। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैडेटों ने अपने राज्यों की संस्कृति को गीत, नृत्य के द्वारा मंच पर प्रदर्शित किया। कैम्प फायर हुआ और सभी वापस घर जाने की तैयारियों में लग गये।

*****

I MISS MY SCHOOL DAYS....

Sakshi Meshram
B.A. –II

I miss my school days…
Twelve years have elapsed,
The years' of laughter, friendship and jealous,
Where teachers taught us,
About respect and knowledge of life.
I miss my school days …
Where we played together, the games of true friendship,
Promised to be friends forever,

We played the games of love not to pretend,
Where we used to make the all funs memorable,
Laughed at each-other, made jokes and shouted,
Cried all of sudden and felt the sorrow.
I miss my school days …
The participation in all the games and sports,
There was no place for hate and bad notion,
There was good relation among us,
Yes, I saw many breaks in the relation
After all, the misunderstanding erased, ego went off
I miss my school days …
Where the teachers were very strict for mistakes,
Encouraged and motivated us to achieve the goals
Showed parental tender love care
Taught to respect others and to look forward for the betterment
We remembered the heavy bags,
Sorrow, pain and happiness never forgettable,
In this way, I really miss those days.

*****

How to do Tax planning

Pragya Senapati
M. Com, III Sem.

The term 'Tax Planning' means to reduce tax burden by managing and planning of sources related to the tax.

As a necessary background, I find it of essence to begin with a brief description of the term tax planning. Tax planning is a process to minimize tax liability through getting advantages of reliefs, deductions, incentives given in the tax laws. It is a legal, intellectual and foresight function.

Tax planning is a medium in which tax law is followed accordingly and tax payer reduce their tax liability.

Importance of Tax Planning:

1. To reduce tax liability.
2. To elimination of tax liability.
3. Financial security of future.
4. Proper Appropriation of profit in business.
5. Beneficial for government also.
6. Foundation of economic growth.

Tax Planning

How to save more tax by creating a HUF?

Once, one venerable Finance Minister, Mr.M Chidambaram has said, "Left to God, even he will not like to pay Income Tax." Though as a responsible citizen of our country, we should pay our income taxes on time and should not avoid paying it. HUF is an entity, which has been given certain exemptions, quite similar to an individual by the IT Act.

How to avoid TDS in Fixed Deposits?

If you are a Fixed Deposit Investor, you are not very happy when the tax is deducted at sources by the bank from the interest paid to you. You must have thought in what way you can avoid or pay lower taxes in your FDS.

- Tax saving FD under section 80 C of Income Tax Act, 1961
- Recurring deposit Scheme
- TDS is not applicable to interest paid in RD

How to avoid or pay lower TDS in FD?

- Give Form 15G/15H
- Spread Across Banks
- Spread Across Financial Years
- Spread Across Entities

An overview of taxation on India ESOPs for US based NRIs

Employee stock option plans (ESOPs) employees a right to buy company shares at a pre-decided price and it forms part of taxable income. Most senior employees working with blue chip companies get ESOPs regularly and they have to pay tax on their ESOPs. When an Indian employee moves to the US to work there, he has to pay tax on his India ESOPs in US too. In this article, we will see how ESOPs are taxed.

Conclusion:

It is important to pay tax timely however, it is also important not to save or invest in a product solely for tax benefit. You should subscribe to a product only if it suits your needs and provides benefit. By Tax planning we can reduce our tax legally and for that employee has to take tax planning.

*****

महाविद्यालय के गौरव

(1)
गोविन्द सिन्हा
बी.एस सी. द्वितीय वर्ष

1. एन.एस.एस. का पहला सात दिवसीय कैंप 2018 में ग्राम – बारगरी, जिला धमतरी।
2. एन.एस.एस का दूसरा सात दिवसीय कैंप 2019 में ग्राम–हल्बा जिला–कांकेर में मेगा कैंप।
3. 9 नवम्बर 2019 को पहला रक्तदान।
4. महाविद्यालयीन युवा–उत्सव के विभिन्न विधाओं में प्रतिभागिता तथा प्रश्नमंच (क्विज) विधा में प्रथम स्थान।
5. विश्वविद्यालय स्तरीय प्रश्नमंच विधा में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व व दूसरा स्थान।
6. यूथ फेस्टिवल, मृगनयनी 18 दिसंबर से 22 दिसम्बर जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर (म.प्र.) में क्विज (प्रश्नमंच) विधा में बस्तर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व।
7. महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में सम्मानित।
9. महाविद्यालयीन वार्षिकोत्सव में नाट्य में प्रथम स्थान।
10. 15 अगस्त 2020 को कोरोना योद्धा के रूप में कलेक्टर द्वारा सम्मानित।
11. रेड रिबन क्लब (RRC) की तरफ से 2020 में महाविद्यालय का कॉलेज एम्बेसडर मनोनीत।
12. नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2021 में राज्यस्तर के लिए चयनित।
13. श्री सत्य साई संगठन कांकेर का जिला–यूथ समन्वयक मनोनीत और सत्य सांई रक्तदान समूह का गठन।
14. राज्यस्तरीय ऑनलाईन क्विज प्रतियोगिता में सहभागिता।
15. राष्ट्रीय सेवा योजना (ब्लू ब्रिगेड) के श्रेष्ठ स्वयंसेवक के रुप में रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बस्तर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व।
16. कोविड–19 के दौरान स्कूल से वंचित **20 ग्रामीण बच्चों** को शिक्षादान किया।
17. महाविद्यालय के छात्रों द्वारा संचालित **गणराज रक्तदान समूह** में सक्रिय भूमिका निर्वाह कर 21 लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया।

*****

(2)

शिल्पा साहू

एम. एस सी. (बॉटनी)

1. एन.एस.एस. के **चार सात दिवसीय कैम्प** 2015, 2016, 2017 व 2019 में शामिल
2. राष्ट्रीय कैम्प 23 से 29 मई 2018 उज्जैन मध्यप्रदेश (इन्टर नेशनल यूथ कैम्प)
3. राष्ट्रीय कैम्प 13 से 17 अक्टूबर 2018 असम मिर्जी कालेज (नेशनल इंटीग्रेशन यूथ कैम्प)
4. एन एस एस के द्वारा स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप मिशन के तहत 16.07.2019 से 28.07.2019 तक एक हजार पौधों का रोपड़ के साथ स्वच्छता, बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य, किशोरियों व महिलाओं के मासिकधर्म, प्लास्टिक प्रबंधन, जैविक खाद उपयोग, शौचालय, वाटर हावेस्टिंग आदि मुद्दों पर 100 घंटे कार्य किया गया।
5. जिला स्तर पर स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप में दस हजार पुरस्कार राशि सहित द्वितीय स्थान प्राप्त।
6. जिले में आयोजित रासगरबा कार्यक्रम में सीईओ कांकेर के द्वारा सम्मानित।
7. गांधी जयंती के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त।
8. एन एस एस के माध्यम से ''देश भक्ति एवं राष्ट्र निर्माण '' विषय पर नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से संचालित जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त।
9. महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के माध्यम से रक्तदान विषय आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त।
10. कौशल शिक्षा प्रशिक्षण भानबेड़ा कोरर में विशिष्ट अतिथि के रुप में आमंत्रित।
11. नेहरू युवा केन्द्र कांकेर के द्वारा ''आस पड़ोस युवा सांसद ''कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि।
12. ''सिविल डेवलपमेंट सोसायटी'' कांकेर में आयोजित लिंग भेद विषय पर अतिथि वक्ता।
13. महाविद्यालय स्तरीय भाषण व चित्रकला प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान।
14. 8 जनवरी 2020, नेहरु युवा केंद्र द्वारा आयोजित युवा नेतृत्व शिविर में विशिष्ट अतिथि।
15. ''फिट इंडिया हिट इंडिया'' में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।
16. राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2020, महाविद्यालयीन एंबेसडर के रुप में मतदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जिला सत्र मुख्य न्यायाधीश व जिला कलेक्टर द्वारा प्रशंसा पत्र।
17. कोरोना काल मे विभिन्न गाँव में जागरूकता कार्यक्रम –ग्राम चवांड बागोड़ , डूमरपानी, चनार, बेवरती, पटौद, नंदनमारा, कांकेर, नरहरपुर, भनपुरी , मुड़धोवा, आंखीहर्रा।
18. 04 अगस्त 2020 जड़ीबुटी दिवस निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त।
19. 15 अगस्त 2020 कोरोना योद्धा के रुप में कलेक्टर द्वारा सम्मानित।
20. 12 जनवरी 2021 युवा दिवस पर **राज्य स्तरीय श्रेष्ठ स्वयंसेवक** पुरस्कार से सम्मानित।
21. राष्ट्रीय सेवा योजना ''ब्लू ब्रिगेड'' के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक के रूप में रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बस्तर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व।
22. राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय रंगोली प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान।

भूतपूर्व विद्यार्थियों की रचनाएं...

(1)
सपनों का संसार

सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव
एम. ए. (1984)
स्वर्णपदक विजेता

उसे पूरी तरह
सपनों में लिपटा हुआ देखा था मैंने,
एक सपना दीवार पर टंगा था
तो दूसरा पलंग के सिरहाने
रखा हुआ था सुरक्षित
जब वह डाइनिंग टेबल पर होता
न जाने कितने सपने चबा जाता एक साथ
पत्नी सपने देखती नहीं
पहन लिया करती थी
कुछ गले में, कुछ नाक और कान में
तो कुछ खनका करते थे कलाइयों में

बहुरंगी था उसके सपनों का संसार
पर बर्फ की सफेदी झलक ही जाती थी
किसी कोने में
कभी–कभी टकरा जाया करते थे
सपने आपस में
बैठ जाता वह धरती पर कुछ इस तरह
जैसे तलाश रहा हो वह
अपने हिस्से की जमीन
और जैसे कोशिश कर रहा हो
सपनों के चूर–चूर हो जाने के बाद
बिखर गए टुकड़ों को समेट लेने की।।

(''मुश्किल दिनों से गुजरते हुए'' काव्य संग्रह से)

(2)
सिसकती है दूधनदी

मीरा आर्ची चौहान
बी.एस–सी .(1992–93)

मलांजकुडूम की पहाड़ी से
निकल कांकेर की गोद में,
कभी इठलाती– बलखाती।

दुग्ध–धवल जलराशियों के
बीच कत्थई प्रस्तर पर चढ़,
उतर लंबी–सी छलांगे भरती।

कभी खोह में भी फिसलती
कंदराओं के बीच लुकाछिपी
का खेल खेलती थी दूधनदी।

पर अब खामोश हो गई है,
श्वेत जलराशियों के बीच,
शहर के नालियों के पानी,
कचरों के ढेर से मलीन हो,
आंचल ही काला हो गया,
अब हर पल सिसकती है।

अपने ही अस्तित्व को देख
खतरे में मुंह छुपाकर रोती
दहाड़ मार हमारी दूधनदी।

अपने रुप को दर्पण में निहार,
खुश होता था गढ़िया पहाड़,
वह भी मौन स्तब्ध खड़ा है।

अपने अपूर्व सौन्दर्य को विकृत
होता देख पल–पल बिलखती,
सुबकती सिसकती है दूधनदी।

(3)

राष्ट्रीय सेवा योजनाः ज़रिया जिंदगी संवारने का

शहाना शेख

एल एल. बी. (2016–17)

हमारे यहां युवा अलग अलग प्रतिभाओं के धनी हैं लेकिन लोग जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो है, आपके बात करने का कौशल आपका व्यवहार...
कहते हैं ना

आपका व्यवहार कसौटी है इस बात का कि आप असल में हैं क्या?

वही बात जिसे हम व्यक्तित्व विकास या पर्सनॉलिटी डेवलपमेंट कहते हैं।

जिंदगी के हर मोड़ पर चाहे आप विद्यार्थी हैं या जीवन की रोजी–रोटी कमाने लगे हैं या फिर किसी बड़े अधिकारी के पद का गौरव हैं आपको लोग आपके व्यवहार के लिए ही याद रखते हैं।

ना जाने कितने कोर्स करवाए जातें हैं आजकल इस विषय पर...

पर हमारी तो एक ही पाठशाला थी जहां से हमें विद्या भी मिली और पर्सनॉलिटी डवलपमेंट का मौका भी....

जी सही समझ रहें हैं आप सब....

मैं चर्चा कर रही हूं **राष्ट्रीय सेवा योजना** और हमारे एन एस एस परिवार की .....

जहां से हमने बहुत कुछ सीखा जैसे अनुशासन, प्रबंधन, टीमवर्क और सहयोग करने का गुण। मगर सबसे बेहतरीन चीज जो सीखी वो है खुद को संवारने का हुनर।

रासेयो परिवार ने हमें बोलना सिखाया और इतना आत्मविश्वास जगाया कि हम अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां कर सके, वो हुनर सिखाया जहां छोटे और बड़ो से बात करने का ढंग आ गया और अपनी बात कहने का तरीका भी...

वैसे कहने को बहुत आसान सी बात लगती है कि बात करने में सीखने जैसा क्या है? पर जब तक आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका सही नहीं है और दूसरी बात ये कि कब क्या बोला जाए ये पता न हो तो सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाता है...

चाहे इंसान कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए 10–20 लोगों के सामने खड़े होकर कुछ कहने की बात कह दो तब अच्छे अच्छों के हाथ पांव फूल जाते हैं...

मेरा अपना तजुर्बा रहा है, लोगों के बीच खड़े होने से ही दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, फिर गुरूजनों का साथ मिला और **रासेयो** के मंच ने मौका दिया। टूटी फूटी भाषा में दो–दो लाइन कहते–कहते मैंने बड़े–बड़े आयोजनों तक का सफर तय किया। इस दौरान कितने ही भाषण और वाद–विवाद की प्रतियोगिताओं मे जीत हासिल की, कई कार्यक्रमों में मंच संभाला और आज भी निर्भिक और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूं। वजह सिर्फ एक रासेयो परिवार का हिस्सा बनना...

कुछ कहने वाले कहते हैं कि ये सब बातें स्कूल–कॉलेज तक ही सीमित रहती हैं पर उनको मैं बताऊं...

एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए?

ये कि आप मेहनत करने से नहीं डरते हों, आपका व्यवहार लोगों से अच्छा हो, आप तय समय–सीमा मे काम कर सकते हों, आपमें ईमानदारी व अपने काम के प्रति लगन हो, आप अपने से छोटे–बड़े सभी को साथ लेकर चलना जानते हों और सबसे जरूरी आपका व्यक्तित्व हॅसमुख और मिलनसार हो।

ये सारी बातें आपको रासेयो परिवार सिखाती है और वो भी केवल किताबी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज और वो भी इनफिल्ड। यहां आप कापी पर बातें नोट नहीं करते यहां आप कर के सीखते हैं जैसा कि समाजशास्त्री भी कहते हैं कि समाज हमारी प्रयोगशाला है और हम यहां कर के सीखते हैं।

हमारे जो शिविर लगते हैं वो इन सब को ध्यान मे रखकर बनाई गई पूरी परिपाटी है जहां से हम इंसान बनकर निकलते हैं। आजकल की पीढ़ी में एक सोच बनती जा रही है कि ऐसी योजनाओं में शामिल होना मतलब समय की बरबादी और आप से साफ–सफाई जैसे छोटे काम करवाए जाते हैं। शायद ये आधुनिकता और दिखावटी माहौल का नतीजा है कि एक ओर जहां बच्चे अपने संस्कार भूल रहे हैं वहीं सफाई और श्रमदान जैसे काम छोटे नजर आने लगे हैं। उन्हें ये बताने की जरुरत है कि केवल दो–चार किताबें पढ़कर वे दुनिया का सामना नहीं कर सकते, उनका नज़रिया बदलना बहुत जरूरी है। इसके लिए **रासेयो** से अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता और बोनस तो ये है कि यहां सीखी सारी बातें आगे चलकर कहीं न कहीं काम जरूर आती हैं।

इसलिए आप सभी के लिए सुझाव है कि यदि आपके कॉलेज के दिन चल रहे हों तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो इस सुनहरे अवसर का लाभ ले सकते है और अगर आप कर्मपथ पर आगे बढ़ चुके हैं तो आने वाली पीढ़ी को समझदार संस्कारी व कुशल बनाने के लिए ये फ्री की पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास जरूर ज्वाइन करवाएं।

(4)

यादें

अमिताभ कुमार दीवान
बी. एस सी. (1992–93)

वो चढ़ता जुनून, वो उबलता खून।
वही पुराना लिफाफा, वही मजमून।
आँखों को इन्तेजार की आदत है,
जिस्म भी वही, वही है नाखून।

वही समतल सड़क, वही सड़क की उठान।
वही साइकल स्टैंड, वही कॉलेज की चढ़ान।
वही कॉलेज का प्रवेश द्वार, सभा का स्टेज
वही द्वार के सामने झंडोत्सव का मैदान।

वही सीढ़ियां, वही बरामदा, वही उपर का हाल।
लगती थी कभी, हमारी भी वहीं क्लास।
वहाँ अंदर से सहारा देकर, बाहर से चोट किया जाता था।
वहाँ मिट्टी को घड़े का आकार दिया जाता था।

वहीं गुप्ता सर की भौतिकी, अग्निहोत्री सर का रसायन।
चक सर का रसायन, गहलोत सर की बातों में घूमता आयन।
सलूजा सर की बातों से, पूरा गणित घूमता था,
सभी छात्र आज्ञाकारी थे, बस कभी कभी करते थे पलायन।

वही प्यारे–प्यारे, सहपाठी छात्र और छात्रा।
बातचीत कम होती थी, होता था बस आँखों का इशारा।
गुजरते लम्हे उभरते जज्बात, बस छोटा सा संसार,
कोई पहने हुए सलवार कुर्ती, कहीं कोई शरारा।

जिंदगी आगे कैसे बीतती है, इसका कोई गम नहीं।
इस कॉलेज ने दिया है, बहुत वो कुछ कम नहीं।
गुरुदेव, ये आपके ज्ञान का ही संसार है।
हमारा रोम–रोम आपका कर्जदार है।

(5)
दिन बचपन के

राजेश शुक्ला"काँकेरी"
एम. कॉम. (1986–87)

पुकारते हैं मुझको, दिन वो मेरे बचपन के।
अब कभी संभव नहीं,लौटकर जाना जहाँ।
माँ की डाँट में छुपा, सुंदर सा प्यार वो।
कोमल से हाथों की, थपकी सा मार वो।
अब केवल यादें ही,बाकी हैं बचपन की।
बचपन के वैभव सा, कोई वैभव कहाँ।

पुकारते हैं मुझको,दिन वो मेरे बचपन के।
अब कभी संभव नहीं,लौटकर जाना जहाँ।

पेड़ों पर टायरों के झूले पर झूलना।
कंचों के खेल में डूब, घर को भूलना।
बर्फ वाली कुल्फी का,स्वाद और ठंडकता।
न तो होश सुबह की,न ही शाम का पता।
मन करता लौट जाऊँ, एक बार फिर वहाँ।
बचपन के दोस्तों का, प्रेम छुपा है जहाँ।

पुकारते हैं मुझको,दिन वो मेरे बचपन के।
अब कभी संभव नहीं,लौटकर जाना जहाँ।

बारिश का बहे पानी,और कागज की नाव।
भीगे हुए कपड़े, कीचड़ से सने पाँव।
गर्मियों में कच्ची, कैरियों का खाना।
अंत्याक्षरी में सब मिल, सुरीले गीत गाना।
काश वो दिन आ जाएँ, फिर से वापस यहाँ।
फिर तो लगे, पा लिया, जैसे ये सारा जहाँ।

पुकारते हैं मुझको,दिन वो मेरे बचपन के।
अब कभी संभव नहीं, लौटकर जाना जहाँ।

गुल्ली–डंडा, लुका छिपी, जाने कितने खेल थे।
पल में रूठ जाते थे, पल में करते मेल थे।
बचपन की कोमलता, मन की वो निश्छलता।
मैले से कपड़ों में, छुपी हुई निर्मलता।
बचपन वो प्यारा सा, गुम हुआ यहाँ–वहाँ।
उस प्यारे बचपन को,ढूँढें अब कहाँ–कहाँ।

पुकारते हैं मुझको, दिन वो मेरे बचपन के।
अब कभी संभव नहीं,लौटकर जाना जहाँ ।

(6)
पेड़

अनिल कुमार मौर्य, अनल
एम. ए., हिन्दी (2003–04)

देखो कटे पड़े हैं पेड़
जंगल नहीं तो कहॉ के शेर
पेड़ लगेंगे, तब तो नाचेंगे
बंदर, भालू और बटेर
जंगल सुना, भरा देखो
शहर का चिड़ियाघर।
पर्यावरण विनाश गर्त में
जाता देखूँ, लगता ड़र।

क्या करें, क्या करें
हमें इसे बचाना है।
नागरिक यदि हम अच्छे तो
एक–एक पौधा लगाना है।
एक एक पौध लगाना है।
तब सुनी धरती खिल उठेगी
और शायद तुमसे कहेगी।

उत्पादन बढ़ाने फसल उगाओ
देखो बादल बरसने को है,
आज तेरे घर आँगन में
फूलों से लदा गमला होगा
अब तो तेरे छाजन में।
देखो कटे पड़े हैं पेड़
जंगल नहीं तो कहां के शेर।

(7)

मार्ग अगर अवरुद्ध हो

कु.गरिमा पोयाम
बी. एस सी. (2014)

मार्ग अगर अवरुद्ध हो,
छलांग को लत बना।
मन कभी क्रुद्ध हो,
बढ़ा आत्मविश्वास अपना।
मुसीबतें रोकती नहीं,
रणवीरों को।

जांबाज कब देखते हैं,
हाथों की लकीरों को।
मत घबरा जिंदगी में,
परीक्षा में हार जाने से।
जिंदगी की जंग जीत,
पहले मौत के आने से।

एक चाह रख,
बन एक वृक्ष की तरह।
परोपकारी जो,
मन में न कोई गिरह।
कांटे जो चुभे अभी,
वो और मजबूत बनाएंगे।
श्रृंग पर जरूर पहुँचोगे,
ऐसे दिन भी आएंगे।

(8)

नश्वर काया

अनुरमा शुक्ला
बी. एस सी (1993)

कभी गंगा घाट का दृश्य देखो जीवन की सच्चाई बताती।
खाक होते जिस्म, अस्थियाँ पवित्र जल में समाती।
प्राण पखेरु उड़ते ही, नाम होता मृत शरीर।
मोह माया क्षण में मिटा, सज़ जाती पल भर में चिता।
जलकर भस्म होते देखा, मान सम्मान अभिमान।
पुण्य नगरी मंदिर देवालय, बहता नीर स्वर्ग पथ बना।
सत्कर्मों से ही पहचान बनेगी, गुण–अवगुण का लेखा होगा।
आनी–जानी है यह दुनिया, अमरत्व का पियूष किसने पिया।
धू–धू करती जलती लकड़ी, साथ जलाती सुंदर काया।
कभी दोनों सजीव कहलाते, पल भर में राख वो बन जाते।
चमकते रहेंगे सूरज चंदा तारे, बदलते रहेंगे इन्हें निहारने वाले।
अकाट्य सत्य यह स्वीकार लें, मृत्यु अटल है मान लें।
परोपकार सेवा दान धर्म, यही जीवन की असली पूजा है।
सफल करना यह जनम तो, कर्म नहीं कोई दूजा है।

(9)
जीत लेंगे जीवन का हर समर

अनुपम जोफर
एम. कॉम. (1986–87)
पूर्व सह–सचिव, छात्रसंघ

स्कूल के सरल सपाट रास्ते पर चलकर,
जीवन पहुँचा जब कॉलेज की दहलीज पर,
अनसुलझे रास्ते,पथरीली राहें,उमंग,उत्साह,
कि जीत लेंगे,जीवन का हर समर।

शिक्षकों का शिल्पबोध तराशता,
जीवन के हर पहलू को,
हम नासमझ न समझ सके,
भविष्य की चमक को,
और अहसास पालते रहे,
कि जीत लेंगे जीवन का हर समर।

कब छूटा आँचल से,दोस्तों,गुरूजनों का साथ,
पर महक बनी रही,दो चार साल कॉलेज की,
और हम मस्त रहे इस ऐतबार में,
कि जीत लेंगे जीवन का हर समर।

फिर भी जीवन तुमसे यह कहता है,
हर क्षेत्र में तुम्हारा वर्चस्व बना रहे,
जीवन की राहें कठिन ही सही,
उम्मीद,संघर्ष,सकारात्मक सोच का
दामन थामे रहना,कि अवश्य ही
जीत लोगे जीवन का हर समर।

(10)
अमृत का गागर

पल्लवी झा (रूमा)
एम.ए., हिन्दी (1986–87)

शिक्षा ज्ञान का सागर है,
तो शिक्षक अमृत का गागर है।
विद्यालय एक मंदिर है,
तो शिक्षक वहां का पंडित है।

गुरु–शिष्य का पावन रिश्ता,
जन्म–जन्मांतर से निभता आया।
सौ सुनार की एक लोहार की,
गुरु की वाणी जीवनदायिनी

जब चाणक्य जैसे गुरु हों,
और चंद्रगुप्त सा शिष्य हो।
जहां अखंड भारत का स्वप्न हो,
हर स्वप्न साकार कर जाते हैं वो।

ज्ञान की अग्नि में तपकर,
हजारों कसौटियों में कसकर।
जब शिष्य कुंदन बन जाता है,
सारे जग को आलोकित कर जाता है।

आओ आज शिक्षक दिवस पर,
हम सब ये प्रण कर लेते हैं।
गुरुजनों का रखेंगे सदा मान–सम्मान,
एकलव्य की राह पर चलते हैं ।

(11)
पृथ्वी का दर्द

डॉ पूर्वा शर्मा
एम.ए., हिन्दी (2002), एलएल. बी. (2010)

यूँ उसका रोना चिल्लाना सहमना और चुप हो जाना।
जब इंसानों द्वारा चीरा जाता है उसके वृक्षों की डालियों को,
हाथ जोड़ कहती है रोक लो अपने हथियारों को, और दे दो मुझे जीवनदान।
उसका रोना चिल्लाना सहमना और चुप हो जाना।
जब बहाई जाती है गंदगी उसके गंगा रूपी जल में,
हाथ जोड़ कहती है रोक लो अपने हाथों को और दे दो मुझे जीवनदान।
उसका रोना चिल्लाना सहमना और चुप हो जाना।
जब खोदी जाती है खनिज हेतु वसुंधरा,
हाथ जोड़ कहती है रोक दो अपनी कुदाल, और दे दो मुझे जीवनदान।
उसका रोना चिल्लाना सहमना और चुप हो जाना।
आओ हम सब मिलकर संकल्प लें,
पृथ्वी का रोना बिलखना बदल खुशियों से भर दे।
आओ हम सब मिलकर अपना फर्ज निभाएं पर्यावरण को स्वच्छ बनायें।

(12)

सफरनामा...

एक सामान्य विद्यार्थी से शैडो कलेक्टर तक

संदीप द्विवेदी

एलएल. बी. (2017), एम.ए., इतिहास (2019)

कांकेर से 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बासनवाही तह. नरहरपुर से भानुप्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में शिक्षा का अवसर मिला। आर्ट विषय से स्नातक का पढ़ाई किया, परंतु प्रथम वर्ष बाद ही घर की आर्थिक स्थिति संभालने वाला कोई न होने से कांकेर में रहकर शिक्षा प्राप्त करना मुसीबतों से घिर गया। घर में बुजूर्ग बीमार दादी मां, मेरी मां और छोटी बहन की जिम्मेदारी थी। अतः प्राइवेट परीक्षा के माध्यम से स्नातक पूरा किया। उसके बाद आभास हुआ कि आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल है। घर में कृषि के कार्य और गांव में संगठन बनाकर युवाओं के साथ पंचायत स्तर पर कार्य प्रारंभ किया, जिससे आर्थिक स्थिति इतना मजबूत हो सके कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूं। इस तैयारी में 2 साल पढ़ाई से दूर रह मैने पुनः महाविद्यालय में विधि की कक्षा में प्रवेश लिया और घर से 40 किलोमीटर प्रतिदिन धूप हो या बरसात पढ़ाई में शत–प्रतिशत देने का लक्ष्य रखा।

ग्रामीण था, महाविद्यालय को देखकर मन में भय होता था। अनेकों बार विचार आता था कि इस महाविद्यालय के सभी कमरों में घूमना भी भविष्य में संभव हो पाएगा या नहीं? जब मैं लोगों का भीड़ देखता था तो लगता था क्या इनमें से कुछ लोग मेरे परिचित बन पाएंगे? क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ही जीवन यापन हुआ था। मन में एक भय था कि बड़े स्थान के छात्र जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाई किए हैं, इनसे मुकाबला करना मुश्किल है। बहुत दूर से साइकिल चलाकर आने के कारण अक्सर मैं कक्षा के बाद घर जाते समय थक जाता था। अतः महाविद्यालय के होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भीड़ का हिस्सा बन बैठकर देखता था, जिससे मनोरंजन के साथ समय भी व्यतीत हो जाता था, क्योंकि दोस्त नहीं के बराबर थे और मुझे कोई जानता भी नहीं था इसलिए खामोश ही रहता था।

जीवन में एक पल ऐसा आया कि मेरे विधि संकाय के प्रभारी ने आदेश दिया कि सबको आज महाविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भाषण देना है। मन में भय था क्योंकि कभी किसी बड़े संस्थान के कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं किया था। स्कूलों में जरूर अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था परंतु वहां विद्यार्थी कुछ ही संख्या होते थे। अंततः हौसला रख कर कार्यक्रम में भाग लिया और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो सभी ने सतत मेरे भाषण का प्रशंसा किया। दूसरे दिन जब मैं महाविद्यालय आया तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे मिलकर कहा कि कल आप बहुत अच्छा बोले। इसी के साथ महाविद्यालय में मुझे एक अलग स्थान प्राप्त हुआ, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जिला से संभाग स्तर पर अनेक कार्यक्रमों में विभिन्न विधाओं में सतत् भागीदारी निभाकर सम्मान प्राप्त हुआ। इससे न केवल महाविद्यालय, बल्कि अखबार और टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे जिले में पहचान मिली। इसी

बीच राज्य स्तरीय यूथ स्पार्क कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें भाग लेने की इच्छा नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में सतत् हिस्सा लिया था और मैं चाहता था कि मेरे अन्य मित्र व नये विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त हो। इसी समय बस्तर वि.वि. से राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देने के लिए भी चयन हुआ, साथ ही नेहरू युवा संस्थान से भी राज्य स्तर पर भाषण देने के लिए नाम चयन हुआ परंतु घर छोड़ कर जाना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैंने यूथ स्पार्क में ही भाग लिया जहाँ पांच चरणों में प्रतियोगिता थी। सतत् चार चरण पार करके राज्य के 3.30 लाख छात्रों को पीछे कर आगे बढ़ा परंतु पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में आगे क्या होगा? एक रात कांकेर मेला के तीसरे दिन रात्रि 7.00 बजे मित्रों के साथ भ्रमण कर रहा था तभी कुछ राज्य स्तरीय राजनीतिक नेताओं का फोन आया कि बधाई हो ! आप अपने कांकेर जिले के **1 दिन के लिए कलेक्टर** बनाए जा रहे हैं, परंतु लगा कि कुछ दोस्त मजाक कर रहे हैं परन्तु उसी समय बहुत सारे मीडियाकर्मी साथियों का फोन आना प्रारंभ हुआ तब अपने प्राध्यापकों से संपर्क किया जिन्होंने बताया कि उन्हें भी तत्सम्बन्धी जानकारी मिली है। मात्र एक रात बाकी था, मन पूरी तरह से डर चुका था कि कल क्या होगा? यह सरकार की कौन सी नीति है? टीवी न्यूज़ और अखबारों में सुबह से ही फोटो के साथ खबरें आना प्रारंभ हो गई थी क्योंकि देश में यह पहली बार होने जा रहा था।

उस समय तक मैं घर से दूरी से बचने के लिए सामान्य बालक छात्रावास में रहना प्रारंभ कर चुका था। सुबह होते ही वहां प्रशासन के तमाम अधिकारी व पुलिसकर्मी पहुंचे, उन्होंने कांकेर कलेक्ट्रेट जाने के लिए कार की व्यवस्था की बात कही, परंतु मैं और मेरे मित्र मना कर दिये क्योंकि कार में कुछ ही लोग जा सकते थे और मेरे मित्र चाहते थे कि वे सब मुझे कलेक्टर कार्यालय तक छोड़ें। अतः हम सब ने फैसला लिया कि हम सब साइकल से जाएंगे और इसमें हमारे गुरु डॉ. जय सिंह भी सम्मिलित हुए। स्वागत के साथ सभी ने मुझे कलेक्ट्रेट तक पहुंचाया। प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने स्वागत किया, चारों ओर लोगों की भीड़ थी।

मैंने अपना एक दिन बेहतर बनाने के लिए तत्कालीन कलेक्टर माननीय टामन सिंह सोनवानी जी की सलाह से रणनीति बनाया। इसके तहत् मैं सर्वप्रथम पुराना बस स्टैंड गया वहां तमाम अधिकारियों से स्वच्छता के लिए चर्चा किया। तत्पश्चात जिले के सबसे बड़े विद्यालय नरहरदेव पर गया जहां कुछ छात्रों से मुलाकात हुई जो कि सिगरेट पीते हुए मुझे मिले, उनको ऐसा न करने हेतु समझाया। इसके बाद शहर के सरकारी दारु भट्टी में प्रवेश किया जहां जीवन में पहली बार जाकर देखा कि चारो ओर गंदगी ही गंदगी है साथ ही नशे में डूबे लोग मदहोश घायल पड़े हुए हैं। तुरन्त मैंने जिला चिकित्सालय से संपर्क कर एंबुलेंस बुलवाकर बेहोश पड़े लोगों को चिकित्सालय भिजवाया व कलेक्टर महोदय से वहां के अव्यवस्था की शिकायत भी किया। तत्पश्चात जिला चिकित्सालय भ्रमण किया जहां जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वच्छता के संबंध में चर्चा किया।

उस दिन मेरे गाँव सहित अनेक लोग मुझे बधाई देने पहुँचे, परंतु एक घटना याद बनकर रह गयी जब जिले में तैनात कुछ जवानो ने रेडियो से पता लगने पर मेरे मोबाईल

नम्बर पर फोन किया व बधाई देते हुए सभी ने भारत माता की जय का नारा लगाया। यह मेरे लिए सबसे बेहतर वह भावुक पल था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गांव के इस लड़के को इतना प्यार मिल सकता है।

मेरे द्वारा जिले के कुछ प्रशासनिक कार्य पर कटाक्ष और मीडिया के सामने प्रशासन की कमजोरियों को बोलने पर बहुत सारे लोगों ने टोका कि राज्य स्तर पर आपका रिपोर्ट गलत जाएगा, परंतु मुझे लोगों के प्यार से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। जब राज्य स्तर पर सबसे बेहतर 3 लोगों को सम्मानित करना हुआ तो तीसरे नंबर पर मेरा चयन हुआ और **शैडो कलेक्टर कांकेर** के रूप में तात्कालिक मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मुझे सम्मानित किया। यह पल मेरे जीवन में एक नया मोड़ लाया। मैं इस नाम–पहचान को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहता था। घर से लेकर सभी सम्मानीय लोगों ने बड़े नौकरी के तैयारी के लिए सुझाव दिया, लेकिन मेरा मन समाज सेवा की ओर मुड़ चुका था और मैं इसी ओर बढ़ा।

एक दिन जिले की कमान संभालने वाले संदीप ने सरकारी गाड़ी से घूमने से इनकार किया

साइकिल से घूमे शहर, एक दिन के कलेक्टर बोले- यहां का काम ढीला

बेहोश पड़े थे शराबी दुकानदार नहीं देता बिल

चाट्स अप से जानकारी हुई पहुंच गए मिलने कलेक्टरेट

गांव का बेटा कलेक्टर बना तो लोगों में जगी उम्मीद कहा- 20 साल पुरानी समस्या दूर करेंगे साहब

शैडो कलेक्टर का ऐसे होता है चयन

विधि की शिक्षा पूर्णकर अधिवक्ता का प्रमाण पत्र हासिल किया और आज मैं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 20,000 से अधिक ग्रामीण युवक–युवतियों का संगठन बनाकर उनके हितों के लिए कार्य कर रहा हूं। जिला स्तर पर भी समाज सेवा में मुझसे जितना संभव हो पाता है निस्वार्थ सेवा का कार्य करता हूं और सदैव प्रयासरत हूं कि अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाऊं। आज राजनीतिक जीवन से दूर रहकर भी मैं राज्य के सभी छोटे बड़े जन प्रतिनिधियों से परिचित हुआ। इस मुकाम तक मैं पहुंच पाया इसके लिए महाविद्यालय में मुझे हर पल सही सुझाव देकर आशीर्वाद देने वाले तत्कालिक प्राचार्य डॉ. शार्वा, प्रो. माधवेन्द्र तिवारी, प्रो. नवरतन साव, डॉ. बसंत नाग, डॉ. मनोज राव, डॉ. जय सिंह, प्रो. दिनेश मालवीय, डॉ. रामआशीष श्रीवास्तव सहित सभी गुरूजनों व महाविद्यालयीन कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए महाविद्यायल के सभी विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि गुरु का सम्मान कर उनपर पूर्ण विश्वास करें आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन को एक उद्देश्य प्राप्त हो गया है।

(13)

संस्मरण...

महाविद्यालय की यादें

अनिल कुमार मौर्य 'अनल'
एम.ए., हिन्दी (2004)

सत्र 1999–2000 में मुझे भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में पढ़ने का अवसर मिला। जहां मैंने हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास को मुख्य विषय के रूप में चुना। वहां सर्वप्रथम मेरी भेंट इतिहास विषय के विभागाध्यक्ष प्रो. जे. आर. वार्ल्यानी से हुई। समय सारणी बनते ही मैं समयानुसार कक्षा में प्रवेश करता और प्रत्येक कालखण्ड के पश्चात जो अंतराल आता उसमें मैं और मेरे मित्र राजेश ठाकुर एवं रूपेश नागे किसी तरू की छाया में जाकर बैठते एवं विभिन्न चर्चाएं करते और जैसे ही घण्टी बजती वैसे ही भागते हुए अपनी–अपनी कक्षा में प्रवेश करते।

द्वितीय कड़ी के रूप में मेरी भेंट प्रो. नवरतन साव से हुई जिन्होंने मुझे प्रथम बार हिन्दी साहित्य परिषद के कार्यकारणी सदस्य के रूप में चुना और तृतीय कड़ी के रूप में मेरी मुलाकात भूगोल विषय के प्राध्यापक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दादूलाल पटेल से हुई। चूंकि मैंने शासकीय नरहरदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में कक्षा 11वी एवं 12 वीं पढ़ते समय एन.एस.एस. में स्वयं सेवक के रूप में कार्य किया था। अतः कॉलेज में भी मुझे रासेयो की विभिन्न शिविरों में प्रतिभाग करने का सौभाग्य मिला। ध्यातव्य है कि मैं और मेरा मित्र रूपेश नागे बाबूदबेना और भैंसमण्डी के शिविर में भाग लेने हेतु सायकल से लगभग एक घण्टा सफर करके पहुंचे जिसकी स्मृति आज भी ताजी हो उठती है।

जब मैंने स्नातक की परीक्षा पास किया तब हिन्दी साहित्य को अपना मुख्य विषय चुनने के पूर्व डॉ. एस. आर. बंजारे से चर्चा किया, तब उन्होने मुझसे कहा कि बहुत कठिन है, पढ़ पाओगे? तब मैंने कहा आप जैसे गुरूओं का साथ रहा तो अवश्य ही सफल होऊंगा। प्रो. आर. के. कुलमित्र ने यह सीख दिया की साहित्य के विद्यार्थियों को सदैव ही जागरूक रहना चाहिए। अंधेर–नगरी, अंधों का हाथी प्रहसन एवं नाटक के माध्यम से वर्तमान परिवेश में साहित्य के महत्व को बताया। प्रो. एन. आर. साव ने परख, गबन, गोदान, ''आवारा–मसीहा'' निराला, अज्ञेय और मुक्तिबोध के अंधेरे में (व्यक्तित्व की खोज) काव्य आदि साहित्य की महान कृतियों के माध्यम से अपने व्याख्यान में प्रतिपल एक नवीन विचारधारा और जीवन के लक्ष्य को पाने का मार्ग प्रशस्त किया।

यहां पर मैं एक बात अवश्य ही कहना चाहूंगा कि जब सन् 2004 में एक लंबे अरसे के बाद छात्रसंघ का चुनाव हुआ, तब हम पेड़ के नीचे खड़े होकर परिणाम का इन्तजार कर रहे थे। प्रो. थवाईत के द्वारा परिणाम की घोषणा किया गया जिसमें अध्यक्ष महेन्द्र नेताम एवं

सचिव नवीन पटेल निर्वाचित हुए। उनकी दूसरी घोषणा में छात्र संघ के कार्यकारणी सदस्यों का नाम लिया गया। जिसमें मुझे सांस्कृतिक विभाग का कार्य सौंपा गया। मेरे लिए आज भी यह रहस्य ही है कि मेरा नाम छात्रसंघ में रखने का प्रस्ताव किसने दिया मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे गुरूओं का ही शुभाशीष रहा होगा।

विभागाध्यक्ष डॉ. एस. जे. कुपटकर ने हमेशा यह कह कर आत्मविश्वास बढ़ाया की बी. ए. भाग तीन का परिणाम ही आपके भविष्य का निर्धारण करेगी। अतः उनका यह सबक ध्यान में रखकर ही मैं अपने अध्ययन रूपी बाण से द्वितीय श्रेणी रूपी लक्ष्य को साधने में सफल हुआ। प्रो. थवाईत (वाणिज्य विभाग) की यह प्रेरणा कि छात्रों में कलात्मक प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें पहचानने की। इस वाक्य ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया और मन ही मन उस कलात्मक प्रतिभा को स्वयं में ढूंढ़ता रहा हूँ।

रूपेश नागे जो कि साहित्य का विद्यार्थी न होते हुए भी साहित्य प्रेमी है उसने साहित्य संबंधी लेख लिखने में सर्वदा ही मेरा मनोबल बढ़ाया है। इनके सतत् सहयोग के सहारे ही मुझमे अज्ञान के अंधेरे से लड़ने की क्षमता आयी है।

अंत में मैं अपने सभी तात्कालिक महान् गुरूओं जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही मेरा साहित्य सृजन ''कोलाहल'' रचना संग्रह परिणति को प्राप्त हुआ, सर्व श्री डॉ. एस. जे. कुपटकर (विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग), प्रो. एन. आर. साव, प्रो. आर. के. कुलमित्र, डॉ. एस. आर. बंजारे, श्री पी. के. श्रीवास्तव, (मुख्य ग्रंथपाल), श्रीमती ललता शर्मा (सहायक ग्रंथपाल) एवं भृत्य गोवर्धन भैया तथा विशेष रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए. के. बंसल के प्रति अभार व्यक्त करते हुए श्रद्धेय गुरूजनों को नमन करता हूँ।

(13)
तलाश

आत्मा राम साहू
एम.ए., हिन्दी (2002)

जिन्दगी हर पल नई तलाश है।
तलाश के बिना जिन्दा लाश है।
राही को मंजिल की तलाश।
भक्त को भगवान की तलाश।
दुःख को सुख की तलाश।
भूखे को भोजन की तलाश।
सिपाही को चोर की तलाश।
अंधेरा को है, उजाले की तलाश।
अज्ञानी को ज्ञान की तलाश।
मंत्री को कुर्सी की तलाश।
कवि को कविता की तलाश।
इधर–उधर चहुं ओर तलाश
जहां तलाश नहीं वहां है लाश।

(14)
प्यारी बेटियां

अनुपमा पांडेय
बी. ए. (1988)

बेटियां तो घर की रौनक होती हैं।
बेटियां मां की दुलारी
और पापा की दौलत होती हैं।।
घर में जब गूंजती हैं
खिलखिलाहट बेटियों की।
तो खुशियां गुलजार होती हैं।।
नवसृजन, नवांकुर, सृष्टि रचना की।
बेटियां तो अवतार होती हैं।।
बेटियों के पढ़ने से दो कुल रौशन होता है।
परम्पराओं और रीतियों का
इन्हीं से पोषण होता है।।
उन्मुक्त गगन में उड़ने दो इन्हे, बेडिया ना पहनाओ।
समझो ना, इनके भी मन को विश्वास का परचम फहराओ।।
बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तभी तो समाज बनेगा।
बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बुलंद ये आवाज बनेगा।।
आइए ना !! हम सब ये अभियान चलाएं।
हर एक बेटी को शिक्षित कर उसका जीवन बनाएं।।

(15)
कॅइकर राज

राजेन्द्र प्रसाद नागवंशी
एम.ए., हिन्दी (2006)

कंक ऋषि तपोभूमि
अखंड तपोबल धाम
कर्म भूमि कॅइकर राजा
की ख्याति महान
मातृभूमि छत्तीसगढ़
वसुंधरा कांकेर महान
कांकेर महान।।01।।
कांकेर राजा– महाराजा
राज महल बावन दरवाजा
एक अनबूझे तस्वीर है
युद्धभूमि महावीर है।।02।।
नरहरदेव
नर–नारी
छोटे– छोटे बाल–गोपाल
भाग्य लकीर है
शिक्षा की ओर
पग–पग कदम
बदलती तस्वीर है।।03।।
राजा भानुप्रतापदेव
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
विद्या मंदिर है
केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम
स्थापित स्वर्ण तस्वीर है।।04।।
कोमलदेव राजा
जिला चिकित्सालय
कांकेर की तकदीर है
राष्ट्रीय राज मार्ग तीस
दूध नदी के तट
निकट जिला जेल
पोस्ट ऑफिस नजदीक
आधी ब्याधि से पीड़ित
जनमानस की
बदलती तस्वीर है।।05।।
प्राकृतिक सौंदर्य
कलाकृति आकृति
अनुपम है पहल
वैज्ञानिक खोज
ज्योतिष शोध
नैऋत्य ईशान
दस–दिशा दिगपाल
सूर्य की प्रथम किरण
चंद्र प्रभा पर
अस्त प्रकाश
अनमोल छटा
अचरच अनुपम है
नरहरदेव राज महल।।06।।
देश फिरंतीन
देवी–माता टँगापानी
बाजार भाटा
निकट हाई स्कूल
राजमार्ग छः कांकेर सरहद
सिहावा राज
अलंकरण दिव्य शक्ति
सरताज।।07।।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन

प्रो. नवरतन साव
डॉ. (श्रीमती) **बसन्त नाग**
डॉ. मनोज राव

संस्कृति समाज का दर्पण होता है, संस्कृति के माध्यम से किसी भी राष्ट्र, उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि के साथ–साथ कला, परम्परा, भौतिक और अभौतिक तत्वों को भी जान सकते हैं। इसी के परिपेक्ष्य में वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान विद्यार्थियों एवं अध्येताओं के छ.ग. राज्य के संस्कृति के संदर्भ में जनजागरूकता तथा विषयगत रुचि की दृष्टि से **''सांस्कृतिक ई–प्रश्न मंच''** का आयोजन किया गया।

दिनांक 13 से 18 अगस्त 2020 तक प्राचार्य डॉ. के. आर. ध्रुव के मार्गदर्शन में संयोजक प्रो. एन. आर. साव, सह संयोजक डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग एवं डॉ. मनोज राव के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें 11 राज्यों के लगभग 1500 प्रतिभागी सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सार्थक बनाकर अपनी अभिरूचि एवं छ.ग. की संस्कृति के प्रति रूझान को प्रदर्शित किए।

इस तरह के आयोजन के माध्यम से न केवल छात्र–छात्राओं में बल्कि संपूर्ण जनमानस में चेतना का विस्तार होता है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से छ.ग. की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित 20 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ई–प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थी, शोधार्थी, प्राध्यापक सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों ने भी भाग लिया।

*****

कोविड–19 महामारी के दौरान मनो–सामाजिक समस्याएं व समाधान विषयक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में कोविड–19 महामारी के दौरान 26 जून 2020 को मनोविज्ञान, अंग्रेजी व जन्तु विज्ञान विभाग के संयुक्त संयोजन में *मनो–सामाजिक समस्याएं व समाधान* विषयक *एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार* का आयोजन किया गया।

उद्घाटन सत्र में आयोजन का शुभारम्भ वेबिनार की संयोजक डॉ अर्चना सिंह के स्वागत भाषण के साथ हुआ। उन्होंने जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथियों, वक्ताओं व प्रतिभागियों का अभिनन्दन करते हुए विषय पर विमर्श करने व सुनने हेतु आमंत्रित किया।

महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री पी. एस. गौर ने देश के सुदूर अंचल में स्थित बस्तर क्षेत्र से सम्मानित वक्ताओं का परिचय कराते हुए आयोजन की रुपरेखा व उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

मुख्य संरक्षक **प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह**, कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनर का विषय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महामारी के दौरान भारी संख्या में आम जनता द्वारा कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समस्याएं महसूस किया जा रहा है। वक्तव्य सत्र में सर्वप्रथम मुख्य वक्ता **प्रो. गिरीश्वर मिश्र**, पूर्व कुलपति, महात्मा गाँधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा ने अपने बीज वक्तव्य में कहा कि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। यह बहुआयामी समस्या है जिसका समाधान समाज के सभी जिम्मेदार वर्ग को मिलकर ही करना होगा। व्यावहारिक रूप से सबसे बड़ी समस्या यह है कि मानव ने जीवन जीने का जो एक तरीका स्वीकार कर रखा था, उसे एकाएक बदलने में स्वयं को समायोजित नहीं कर पा रहा है, जिससे तनाव उत्पन्न हो रहा है।

आमंत्रित वक्ता **प्रो. बी. एल. दुबे**, एडजन्क्ट फैकल्टी, अलास्का विश्वविद्यालय, यूएसए ने कहा कि कोविड–19 के कारण जो मानसिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनके समाधान के नए तौर–तरीके भी हमने खोज लिया है। अब लोगों ने तकनीकी का उपयोग करते हुए उपचार के महत्त्व को स्वीकार कर लिया है जो कि एक सकारात्मक पक्ष है। यद्यपि कुछ देशों में यह सुविधा कम ही लोगों को उपलब्ध है, जिन्हें अधिक समस्याएं महसूस हो रही हैं। अतः इस परिस्थिति में मनोवैज्ञानिकों को इसी प्रकार के नवोन्मेषी विधियों का उपयोग करते हुए समस्याग्रस्त लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। आमंत्रित वक्ता **डॉ सोनाक्षी रूहेला**, अमिटी यूनिवर्सिटी, दुबई, यूएई ने कहा कि कोविड–19 के कई मनो–सामाजिक पक्ष हैं, जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस दौरान जहां एक तरफ कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे– तनाव, दुश्चिंता, कुसमायोजन आदि तेजी से बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक सामाजिक समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं।

आमंत्रित वक्ता **प्रो. अनुभूति दूबे**, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपना वक्तव्य मुख्य रूप से व्यक्तिगत व पारिवारिक स्थिति स्थापन या लचीलापन (Resilience) पर फोकस करते हुए कहा कि मानव जाति ने तमाम कठिन परिस्थितियों व महामारियों का सामना किया है और ऐसी स्थितियों में समस्याओं के प्रति हमारा नजरिया ही हमें स्वस्थ व खुश रहने में मदद करता है। आमंत्रित वक्ता **डॉ पद्मिनी राम**, स्कूल ऑफ बिज़नेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज, बैंगलोर ने उच्च शिक्षा विषय पर बात करते हुए कहा कि इस समस्यात्मक परिस्थिति में विद्यार्थियों को कई प्रकार के अनिश्चितताओं व परिवर्तनों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भविष्य में नुकसान की संभावना है।

प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं जाहिर की जिसका समाधान वक्ताओं द्वारा उचित उत्तर देकर किया गया। अंत में **आयोजन सचिव डॉ मनोज राव** ने सत्र के वक्तव्यों का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए सभी विद्वान आमंत्रित वक्ताओं, सम्मानित अतिथियों व प्रतिभागियों का धन्यवाद् ज्ञापित किया। इस वेबिनार से देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने जुड़कर विषय पर विमर्श का लाभ उठाया।

*****

मनोविज्ञान विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता हेतु प्रयास

डॉ. अर्चना सिंह, डॉ. मनोज राव, डॉ. जय सिंह

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर के मनोविज्ञान विभाग व साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में 10 अक्टूबर 2020 'विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस' के अवसर पर 'मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम "मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इनवेस्टमेंट–ग्रेटर एक्सेस" थीम पर आयोजित हुआ। इस मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त आम–जन तथा विशिष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के कोविड अस्पतालों में भर्ती संक्रमित व्यक्तियों को भी यू–ट्यूब लाइव जोड़ा गया।

आयोजन में मुख्य अतिथि **प्रो. बंश गोपाल सिंह,** कुलपति, पं. सुन्दरलाल शर्मा मुक्त विवि बिलासपुर, मुख्य संरक्षक **प्रो. एस के सिंह**, कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर तथा महाविद्यालय के प्राचार्य व संरक्षक **डॉ के आर ध्रुव** ने सभी के मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित किया। आयोजन के आरम्भ में **आयोजन सचिव डॉ जय सिंह** ने आयोजन की रुपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूरी दुनिया अब मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व को समझ रही है। हम शारीरिक स्वास्थ्य पर तो जरुरत से ज्यादा चिंतित रहते हैं लेकिन मानसिक समस्याओं को स्वीकार करने में भी हिचकते हैं। मनोविज्ञान विभाग द्वारा इस पक्ष पर जागरूकता प्रसारित करने की दिशा में यह आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की **संयोजक डॉ अर्चना सिंह** ने आमंत्रित अतिथियों, वक्ताओं व प्रतिभागियों का स्वागत किया, साथ ही अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरी दुनिया आज मानसिक समस्याओं से जुझ रही है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि वक्ताओं द्वारा बताये गए उपायों से श्रोताओं को लाभ होगा।

डॉ जी ए घनश्याम, ओएसडी, राज्य गुणवत्ता प्रकोष्ठ रायपुर ने कहा कि वर्तमान समस्या पैनडेमिक नहीं बल्कि इसे पैन अकादमिक कहना सकारात्मक होगा, क्योंकि इस दौरान जितनी अकादमिक गतिविधियां हुई उतनी शायद ही कभी एक समय विशेष में हुई हों। यदि हम खुश रहना चाहें तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष **डॉ बसंत सोनबर** ने कहा कि फोरम द्वारा लगातार पूरे प्रदेश में आम–जन के मानसिक कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। **विशिष्ट वक्ता डॉ अभिषेक शर्मा**, सरदार पटेल पुलिस विवि, सिक्यूरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, जोधपुर, राजस्थान ने कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि इस विषय पर बहुत बातें और शोध हो चुके हैं, अब सभी स्तर पर ठोस उपायों की आवश्यकता है। मानसिक समस्याओं का निदान झोला–छाप छद्म मनोविज्ञानियों द्वारा नहीं बल्कि प्रशिक्षित मनोचिकित्सकों द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने की कोई व्यस्थित व्यवस्था न हो पाने के कारण प्रति वर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सही व सकारात्मक नेतृत्व के साथ कर्मचारियों में आपसी स्नेह बेहद आवश्यक है। संगठनों में **मेरा फायदा मतलब किसी और का नुकसान** की मानसिकता से कभी कार्य नहीं करना चाहिए। **डॉ राजेंद्र सिंह** ने अपने विशिष्ट वक्तव्य में **तनाव कोविड– 19 के साथ भी और कोविड के बाद भी** विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि यदि हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है तो अपने मन के स्वास्थ्य को भी समय

देना होगा, क्योंकि यह लगातार नींद में भी कार्य करता रहता है। अतः नित्य थोड़ा सा समय निकालकर शारीरिक के साथ–साथ मानसिक व्यायाम करना जरुरी है। इसके लिए हमें साइको–सोसिओ–मेडिको मॉडल को अपनाकर व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना होगा।

अंत में आयोजन के **सह–संयोजक डॉ मनोज राव** ने सभी वक्ताओं व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है और हमारे महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ के सहयोग से इसे लगातार जारी रखा जायेगा।

*****

भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा बस्तर संभाग के नोडल महाविद्यालय के रूप में नैक हेतु सद्प्रयास

किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता और विकास के न सिर्फ प्रमाणन बल्कि इस दिशा में निरंतर प्रगतिशील रहने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद बैंगलूरू (नैक) द्वारा मूल्यांकन एक बेहद अहम् और आवश्यक प्रक्रिया है। देश के सुविधा संपन्न स्थानों के लिए तुलनात्मक रूप से यह थोड़ी आसान प्रक्रिया है, परन्तु छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग जैसे दूरस्थ वनांचल इलाके के महाविद्यालयों की अपनी परिस्थियों में भी यह कार्य कराया जाना है। नैक द्वारा इस प्रक्रिया में समय–समय पर तमाम परिवर्तन किये जाते रहे हैं। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से आधुनिक *सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी* पर आधारित हो चुकी है।

अगस्त 2018 में तत्कालीन प्राचार्य डॉ. कोमल सिंह शार्वा के नेतृत्व में हमारे महाविद्यालय ने अपने उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधन के साथ प्रथम बार नैक द्वारा मूल्यांकन कराकर *बी–ग्रेड* प्राप्त कर लिया। इस उपलब्धि से प्रभावित होकर उच्चशिक्षा विभाग, छ.ग. शासन ने बस्तर संभाग के महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु सहायता के क्रम में हमारे संस्थान को संभागीय नोडल महाविद्यालय के रूप में नियुक्त किया। महाविद्यालय ने इस दिशा में सराहनीय कार्य करते हुए संभाग के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्राचार्य डॉ. के. आर. ध्रुव के मार्गदर्शन में चार *ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम (वेबिनार)* का आयोजन किया। इसमें महाविद्यालय स्तर पर नियुक्त मेंटर्स के अतिरिक्त नैक मूल्यांकन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त अनेक आमंत्रित विद्वानों द्वारा प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल निर्माण से लेकर IIQA, SSR, DVV, SSS आदि को सम्मिलित करते हए पूरे नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया को विस्तार से प्रस्तुत किया गया।

यह बेहद हर्ष का विषय है कि आज पर्यंत बस्तर संभाग के कई महाविद्यालयों द्वारा नैक मूल्यांकन कराये जाने हेतु प्रतिबद्धतापूर्वक तैयारी कर ली गई है। बस्तर संभाग में नोडल महाविद्यालय तथा जिला उ.ब. कांकेर के अग्रणी महाविद्यालय के रूप में यह गर्व का विषय है कि निकट भविष्य में संभाग में लगभग सभी पात्र महाविद्यालय नैक द्वारा मूल्यांकित होंगे।

*****

गणराज रक्तदान समूह के कुछ रक्तदाताओं की सूची

क्र.	रक्तदाता	कक्षा	रक्त समूह
1.	डॉ. डी. एल. पटेल	सहा. प्राध्यापक	O+
2.	डॉ. जय सिंह	सहा. प्राध्यापक	B+
3.	दिवाकर वर्मा	डाटा इन्ट्री आपरेटर	AB+
4.	कलेश्वर साहू	B.Sc III	O+
5.	अरूण शोरी	B.Sc III	B+
6.	आशुतोष पाण्डे	B.Sc III	O+
7.	गजेन्द्र कुमार	M.Sc Botany	O+
8.	नीलकमल साहू	B.Sc III	B+
9.	सूरज नेताम	M.A. Eco. III	AB+
10.	तुलसी सिन्हा	M.A. Geo. III	A+
11.	गोविन्द सिन्हा	B.Sc II	AB+
12.	राहुल पटेल	B.A. III	O+
13.	पिताम्बर बघेल	B.Sc II	O+
14.	अरविन्द हिड़को	B.A. III	A+
15.	प्रमोद तेता	B.Sc III	B+
16.	नारद नेताम	B.A. III	B+
17.	घनश्याम नेताम	B.A. III	O+
18.	गुड्डूराम यादव	LLB II	O+
19.	विमल यादव	B.Sc II	O+
20.	योगेन्द्र सिन्हा	B.Sc II	B+
21.	ओमप्रकाश यादव	B.Com III	O+
22.	ललित गोयल	B.Sc III	O+
23.	गजेन्द्र कुमार जैन	M.A. Geo.	O+
24.	कलेश्वर साहू	M.Sc. Botany	AB+
25.	दीपक कुमार	M.A. Geo.	A+
26.	मोनिका सेन	M.A. Geo.	O+
27.	शारदा कोमरे	M.A. Geo.	O+
28.	मोहन तारम	M.A. Geo.	A+
29.	अनुतन नेताम	M.A. Geo.	B+
30.	मोनेश्वर सिन्हा	B.Sc II	AB+
31.	परमेश्वर जैन	B.Sc III	B+
32.	भगवान दास पटेल	M.A. Socio.	O+
33.	कु. शिखा सोनी	M.A. Eco.	B+

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य / प्राध्यापकों / सहायक प्राध्यापकों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	विषय	मोबाईल नंबर
1.	डॉ. के. आर. ध्रुव	प्रभारी प्राचार्य	समाजशास्त्र	9406108188
2.	श्री पी. एस. गौर	सहायक प्राध्यापक	भूगर्भ शास्त्र	7694979525
3.	डॉ. एस. आर. बंजारे	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	9425259879
4.	श्री एन. आर. साव	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	7974803016
5.	श्री विजय प्रकाश साहू	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	7828260395
6.	डॉ. अर्चना सिंह	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	9407666900
7.	श्री पतरस किण्डो	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	9589631199
8.	डॉ. निधि भट्ट	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	9340462332
9.	डॉ. व्ही. के. रामटेके	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	9424274051
10.	डॉ. बसंत नाग	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	9424290046
11.	श्री शरद ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	इतिहास	9479031333
12.	श्री प्रताप चौधरी	सहायक प्राध्यापक	इतिहास	9754921896
13.	डॉ. एल. आर. सिन्हा	सहायक प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	9424275285
14.	डॉ. लक्ष्मी लेकाम	सहायक प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	9424294748
15.	डॉ. कमला ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	राजनीति शास्त्र	7415346181
16.	डॉ. डी. एल. पटेल	सहायक प्राध्यापक	भूगोल	9424275020
17.	श्री भुवनेश्वर सिंह कंवर	सहायक प्राध्यापक	भूगोल	7999170403
18.	डॉ. आर. के. एस. ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य	9424273845
19.	श्री अशोक कुमार ज्योति	सहायक प्राध्यापक	भौतिक शास्त्र	8223914514
20.	श्री सुरेन्द्र सिन्हा	सहायक प्राध्यापक	रसायन शास्त्र	9926219623
21.	श्रीमती सुमिता पाण्डेय	सहायक प्राध्यापक	प्राणी शास्त्र	9424281448
22.	सुश्री आर. कुलदीप	सहायक प्राध्यापक	वनस्पति शास्त्र	9425593305
23.	डॉ. मनोज कुमार राव	सहायक प्राध्यापक	मनोविज्ञान	9770588486
24.	डॉ. जय सिंह	सहायक प्राध्यापक	मनोविज्ञान	9407746100
25.	श्री नरेन्द्र कुमार साहू	सहायक प्राध्यापक	विधि	9039977978

अधिकारियों की सूची

क्र.	नम	पदनाम	मोबाईल नंबर
1.	श्री निरंजन सिंह कश्यप	रजिस्ट्रार	9406108892

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	प्द	हस्ताक्षर
01.	श्री सुनेश्वर ठाकुर	सहा.ग्रेड–02	9926136561
02.	श्री दिवाकर वर्मा	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	9406145324
03.	श्री संतराम अहरवाल	प्र.शा.तकनीशियन	9424289179
04.	श्री रमेश कुमार ध्रुव	प्र.शा.तकनीशियन	9424222144
05.	श्री बिदेराम मरकाम	प्र.शा.तकनीशियन	9165431950
06.	श्री मनोज कुमार ठाकुर	प्र.शा.तकनीशियन	8120402641
07.	श्री सूर्यप्रकाश ठाकुर	प्र.शा.तकनीशियन	7489179465
08.	श्रीमती रोशनी ठाकुर	प्र.शा.तकनीशियन	8435362290
09.	श्री गोवर्धन सोनवानी	प्र.शा.परिचारक	9424289182
10.	श्री रिखीराम भूआर्य	प्र.शा.परिचारक	9669043205
11.	श्री भुवन लाल भूआर्य	प्र.शा.परिचारक	9630170458
12.	श्री भारत सिंह कंवर	भृत्य	9165533681
13.	श्रीमती राजकुमारी शोरी	भृत्य	8966847441
14.	श्री पुरुषोत्तम कुमार यादव	बुक लिफ्टर	7879366368
15.	श्री सूरज कुमार बिछिया	स्वीपर	9926124264
16.	श्री परस राम मंडावी	चौकीदार	8109136250
17.	श्री शीतल कुमार सोना	भृत्य	7225878969
18.	श्री मनीराम यादव	फर्राश	9303593884
19.	श्रीमती अमरीका चौधरी	स्वीपर	

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

क्र.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
01.	श्री अर्जुन कुमार नाग	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9685978040
02.	श्री गोवर्धन लाल ध्रुव	माली / चौकीदार	8223078425
03.	श्री चम्पा लाल नेताम	चौकीदार बालक छात्रावास	8817221582
04.	श्री खेमू राम पटेल	चौकीदार बालिका छात्रावास	8982450823
05.	श्रीमती द्रोपती नाग	सा. बालिका छात्रावास चौकीदार	8817721745
06.	श्रीमती कांति	सफाई कर्मचारी	....

अतिथि व्याख्याताओं प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक पद के विरूद्ध की सूची सत्र 2020–21

क्रमांक	संकाय/विभाग	नाम	पदनाम
1.	इतिहास	डॉ. पूनम साहू	अतिथि व्याख्याता
2.	रसायन शास्त्र	कु. गीतांजली	अतिथि व्याख्याता
3.	रसायन शास्त्र	श्री गिरीश	अतिथि व्याख्याता
4.	प्राणी शास्त्र	डॉ. शर्मिला सोनी	अतिथि व्याख्याता
5.	हिन्दी	डॉ. किरण वर्मा	अतिथि व्याख्याता
6.	अर्थशास्त्र	डॉ. प्रीति वैष्णव	अतिथि व्याख्याता
7.	वनस्पति शास्त्र	कु. पुष्पलता कंवर	अतिथि व्याख्याता
8.	वनस्पति शास्त्र	कु. अनुजा कुजूर	अतिथि व्याख्याता
9.	वाणिज्य	श्री राकेश थवाईत	अतिथि व्याख्याता
10.	वाणिज्य	श्री जोगेन्द्र कुमार साहू	अतिथि व्याख्याता
11.	विधि	कु. लुब्धेश्वरी	अतिथि व्याख्याता
12.	विधि	कु. गायत्री बंजारे	अतिथि व्याख्याता
13.	बी.सी.ए.	कु. डिम्पल गंजीर	अतिथि व्याख्याता
14.	गणित	कु. दीप्ति दादरा	अतिथि व्याख्याता
15.	भूगोल	डॉ. योगिता साहू	अतिथि व्याख्याता
16.	भूविज्ञान	श्री सेमंत बघेल	अतिथि व्याख्याता
17.	भूविज्ञान	श्री मनीष कुमार अठभैया	अतिथि व्याख्याता
18.	राजनीति शास्त्र	श्री कोमल सिंह भलावी	अतिथि व्याख्याता
19.	माइक्रोबायोलॉजी	श्री मुकेश कुमार चन्द्राकर	अतिथि व्याख्याता
20.	रसायन शास्त्र	कु. आकांक्षा टांडिया	अतिथि व्याख्याता
21.	मानवविज्ञान	कु. सीमा साहू	अतिथि व्याख्याता

स्व–वित्तीय मानसेवी सहायक प्राध्यापकों की सूची सत्र 2020–21

क्रमांक	संकाय/विभाग	नाम	पदनाम
1.	डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए.	श्री उमेश घृतलहरे	स्व–वित्तीय मानसेवी सहा. प्राध्या.
2.	बी.एस–सी. आई.टी.	रूखसार मिर्जा	स्व–वित्तीय मानसेवी सहा. प्राध्या.

आदर्श महाविद्यालय के अतिथि व्याख्याताओं सूची सत्र 2020–21

क्रमांक	संकाय/विभाग	नाम	पदनाम
1.	वाणिज्य	श्री चित्रसेन राय	अतिथि व्याख्याता
2.	वाणिज्य	कु. प्रियंका दौलतानी	अतिथि व्याख्याता
3.	अंग्रेजी	श्रीमती सुषमा सिन्हा	अतिथि व्याख्याता
4.	हिन्दी	डॉ. आभा श्रीवास्तव	अतिथि व्याख्याता

*****

विभिन्न विधाओं का पुरस्कार वितरण

महाविद्यालय द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत कम्बल वितरण

छ.ग. राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में
प्रथम व द्वितीय पुरस्कार विजेता क्रमशः कु. रीना सिवना व रिफत फातिमा

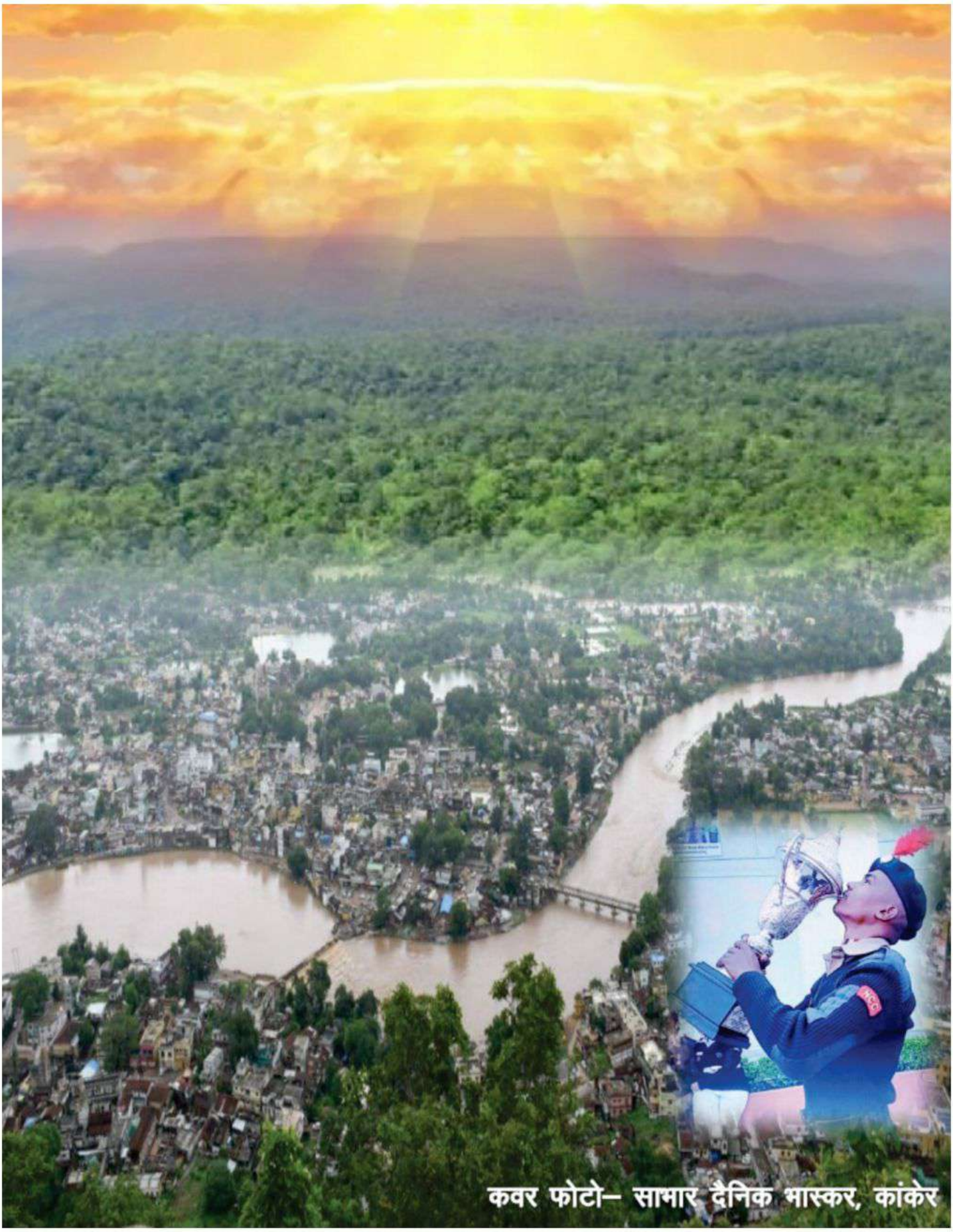

कवर फोटो– साभार दैनिक भास्कर, कांकेर